[Prof Madhu Dandavate]

These were the suggestions made with a full sense of responsibility. Sometime back in front of Parliament House, there was a big demonstration. The demonstrators were addressed by representatives of the ruling party, Jan Sang, CPI, Swatantra, Socialist Party etc., and all of them had evolved a consensus that these minimum demands will have to be satisfied. But we find no reflection of these demands in this Bill. Therefore, since these amendments cannot be brought to this amending Bill, it is better they withdraw the Bill, consider the memoranda and these demands, try to understand the consensus evolved at the meeting of all the political parties including the ruling party and on the basis of that, they should reformulate the Bill and only the reformulated Bill should be brought before this House. Otherwise, I must say that this Bill in this present form and shape will never be able to protect the interests of the small goldsmiths. This Bill is more heavily in favour of the big dealers and refiners and the interests of the small goldsmiths will be completely destroyed. Therefore, in its present form and shape, I totally oppose it. I hope wiser counsel will prevail on the treasury benches and they will withdraw this Bill and in the light of the suggestions made by their own colleagues and members of the various organisations, redraft the Bill and bring the redrafted Bill before this House.

---

15 hrs.

DISCUSSION RE: RECRUITMENT OF MINORITIES FOR JOBS ON THE RAILWAYS

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Sir, we have got this opportunity to raise a very vital problem not only for emotional integration of the country but also to uphold the socialist principles of giving equal opportunity, equal privilege and equal benefit to all communities, to all people of our country, so that there will be a classless and casteless society built up in our country. Therefore, the issue of the recruitment of the minorities and the backward communities to different services both at the Centre and the States cannot be delinked from this basic attitude to the problems of casteism and communalism.

Communalism and casteism had been the two plague spots in the body politics of our country which are eating into the very vitals of our nation. Although these are increasingly getting obsolete ideas, they are still lingering in our society and creating a great hurdle for the progress of our society.

It is no doubt a fact that today the casteists can play their role only behind the curtain; they do not come out in the broad day light in support of casteism. Similarly, although we had a rude shock of the partition of our country on the basis of communalism, yet, communalism cannot be justified from the national platforms although, unfortunately, taking advantage of the certain liberties that have been assured by our Constitution to the different communities, some communal parties are still trying to harp on communal politics and trying to divide the national will and discriminate the national will on the basis of communal appeal and even communal hatred.

Although the Constitution provides that opportunity should be given to all communities, although there is no provision for the abolition of casteism, there are certain procedures which have been suggested so that communalism as well as casteism may be abolished from our country. If there is any challenge before the socialist of our country, I should say it is really the struggle against caste or our struggle against communalism. These are the two main hurdles that we have to cross if we really want to achieve the objective of socialism.

Although all the political parties profess by the policy of abolition of caste and communalism, unfortunately, in real practice, all political parties or almost all the political parties are equally sinners in the sense that almost all the political parties are trying to harp upon casteism, take advantage of communal sentiments

and profit by it in their electoral politics. I regret to remark that the ruling party, since the split in the older Congress, has made electoral politics of caste the main lever, certainly in the name of abolition of caste or communalism, certainly in an attempt to create an impression that the ruling party is a real friend of the backward communities and classes but what in practice is being done is not to abolish these two plague spots from the body politics of our country but indirectly to help it.

I would not say that my party or other political parties belonging to the opposition are also above this sin. Now, there is a competition of trying to woo the Harijans, the tribals, the Muslims and the Christians with the main objective to have benefit in their electoral politics. About the Muslim League, it is blatantly preaching communalism, taking advantage of our Constitution. Even after the emergence of Bangladesh, the political party, like, the Muslim League has not taken any lesson. Openly and blatantly, they are propagating communal politics and their main electoral lever is the communal cry and the communal appeal. If you really want to bring about a real emotional integration of the country and if you really want to make the policy of recruitment of the backward communities and minorities, it is necessary for us to do a heart-searching. If we behave ostrich-like, crying hoarse for the recruitment of minorities, backward communities, Muslim and Christians and, at the same time, trying to play up their communal passion and caste passion trying to take advantage of the communal and caste prejudices and if you want to have a political game at the time of elections—whatever you may try to do; you may give better and higher representation to backward communities, the Harijans and the tribals and also to Muslims and Christians—the ultimate objective of a real emotional integration of the country will not be achieved and the communalism and casteism will aggravate, accentuate and create greater problems for our country.

With these preliminary remarks, I want to draw your attention to another question. I think, there are no two voices in the House that the Scheduled Castes and the tribal people for historical reasons and also due to our social, cultural and economic inhibitions, these unfortunate people, have not had the opportunity to progress with other advanced communities in sharing the benefits of the freedom of our country.

As regards the Class I recruitment, I am totally opposed to any kind of relaxation of the qualifications that will be necessary for the recruitment of Class I category of officers. The efficiency must be the main criterion of selection. Otherwise, the edifice of our administration will crumble down, the progress of our nation will be stunted. This does not mean that the mental capacity of Scheduled Castes or the tribals or the Muslims or the Christians is in any way less than that of any other privileged community who call themselves as progressive community or advanced community. What is the real problem? The real problem is that they are deprived of certain privileges. If you can really assure them certain privileges, say, for instance, you provide special coaching arrangements, special training, for the people belonging to the Scheduled Castes, the tribal community, and even for the people belonging to Muslim and Christian communities, so that they can make up their deficiencies, I believe, they can easily compete with the most so-called candidates of the advanced communities.

One thing more I want to say that in the case of recruitment of Class I category of officers, the *viva voce* or the oral examination must be abolished. That day, the hon. Railway Minister was vigorously protesting that there is no prejudice against any community, that there is no prejudice against anybody. But the crux of the problem is that we have to admit very frankly and realistically that the prejudice against certain communities, the prejudice against backward communities, the prejudice against Muslims, the prejudice against Christians, does exist. That

[Shri Samar Guha]

is the crux of the issue. You have to admit that. Unless you admit that, there is no possibility of really doing justice to them. I have said that, in respect of recruitment to Class I category through competitive examination, two things must be abolished; one of them is the *viva voce* or the oral examination. Why do I say so? Who are the examiners? Those who belong to the privileged classes, those who, euphemistically, call themselves advanced communities; but, in their heart of hearts many of them are subject to caste prejudice, communal prejudice....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Samar Guha, you have already taken half of your time, but you have not yet come to Railways.

SHRI SAMAR GUHA: Sir, I am coming to the crux of the problem.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (ग्वालियर) जो मोशन दिया गया था वह केवल रेलवे तक सीमित रखा जाएगा यह इरादा नहीं था। सवाल सरकारी नौकरियों का है और उस में सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। क्या माइनोरिटीज को नौकरियां देने का सवाल केवल रेलवे का सवाल है और पी० एंड० टी० डिफेंस तथा गृह मंत्रालय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है? ताज्जुब है मेरा जो मोशन था वह बदल कैसे दिया गया ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have before me the motion as admitted by the Speaker and listed in the order paper:

"to raise a discussion on the recruitment of minorities for jobs in the Railways".

That is the motion. We cannot just change the motion here.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: May I know who gave this motion?

MR. DEPUTY-SPEAKER: It stands in the names of Mr. Samar Guha, Mr. Atal Bihari Vajpayee, Mr. Jyotirmoy Bosu, Mr. S. M. Banerjee and Mr. N. K. P. Salve.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: In my motion I also referred to the recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other minorities.... (*Interruptions*).

SHRI SAMAR GUHA: I was on my legs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please. I can tell you, Mr. Samar Guha, that this will not be taken from your time. Let me first resolve the difficulty which has been raised. Now, this is the motion before me. Whatever might have been the wordings of the motion that you had given notice of, I think, it is the practice here that the Speaker has the right to admit any motion in any form that he wants and he can make modifications even in the notice that has been given. And he has admitted the motion in this way.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Without informing the members?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not know. Moreover, this order paper was circulated to the members in the morning, and if you thought that this was not the form in which the motion should be discussed, you should have drawn the attention of the Speaker at that time. Now it is rather late. Mr. Guha.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि यह मामला केवल रेलवे का नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं चाहता था कि गृह मंत्री जी यहां आते, प्रधान मंत्री जी सदन में होतीं। यह प्रश्न गम्भीर है और बड़ा नाजुक है। इसको टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। क्या रेलवे का विचार अलग किया जाएगा, और मंत्रालयों का अलग से किया जाएगा ? आप गृह मंत्री जी को बुलाएं और वह सदन में उपस्थित हों।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I understand that this was discussed in the Business Advisory Committee also. The Minister of Parliamentary Affairs is here. He might be able to enlighten us on this.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): In the Committee a suggestion was made by one or two members that it should be enlarged to cover all services, but the opinion expressed by me and the other members was that, since this arose out of a question concerning the Railways, the discussion should be confined to the Railways only. And that is why the motion has come in this form now.

SHRI K. S. CHAVDA (Patan): The question was regarding the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes also. It was not only the minorities.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj): This discussion arose out of a question raised during the Question-Hour. The question was regarding the Railways and all Members were complaining about the recruitment in the Railways and the way it was being done and how the minority communities are excluded from the services. Then the Members wanted a discussion on this subject. So, it pertains to the railway administration. Hence, this matter should be confined to the Railways only. If any other motion is to be given, that should be given separately.... (*Interruptions*).

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में मैं भी मौजद था। मैंने खुद और वाजपेयी जी ने तथा सभी साथियों ने इसके बारे में बहुत जोर के साथ कहा था कि सिर्फ रेलवे ही नहीं तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंटस, आल गवर्नमेंट डिपार्टमेंटस में जो रिप्रिजेन्टेशन है उस पर विचार होना चाहिये। यहां तक कहा गया था कि लोक सभा के भी स्टाफ को लेना चाहिये। इस पर स्पीकर साहब ने कहा था कि वह मेरे मुताल्लिक है। समझ में नहीं आता कि मिनिस्टर साहब ने यह कैसे कह दिया है। या तो बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी की बात यहां आती नहीं और आई है तो ठीक आनी चाहिये थी। वहां पर जो बात तय हुई उसके खिलाफ जाकर मोशन लाना यह कोई इंसाफ की बात नहीं है।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : कार्य मंत्रणा समिति में जब इस पर विचार हुआ था तब यह फैसला हुआ था कि रेलवे को दृष्टिगत रखते हुए उन सभी बातों पर विचार किया जाएगा और मोशन में अल्पसंख्यकों का ही नहीं बल्कि शैडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से है उसका भी जिक्र होगा। मोशन को रेलवे तक ही सीमित रखने की बात नहीं थी। आश्चर्य की बात है कि मोशन को तोड़ मरोड़ कर रख दिया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था।

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): I will humbly make an appeal to Mr. Raghu Ramaiah. He has stated the facts as they were discussed in the Business Advisory Committee. There, the same thing arose that we now discuss, whether it will be only regarding the Railways or it will include other Ministries also. In that case Mr. Raghu Ramaiah himself said that he will have to take the opinion of the Government and if the Government agrees, in that case, the motion may be in that form. It was not a fact that you have agreed to this type of motion.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): To solve this controversy, can we not express our opinion and give some figures when we compare it with the railway? Suppose, I compare the Central Secretariat with the Railways.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is upto you. How clever a speaker you are, it is upto you.

SHRI K. S. CHAVDA: The main question was regarding representation of the Scheduled Castes and Scheduled

[Shri K. S. Chavda]

Tribes and minorities in the Railways. Then how is it that it is only regarding minorities in the Railways and not the Scheduled Castes and Scheduled Tribes... (*Interruptions*).

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: There seems to be some little confusion here. First of all, I do not think this resolution bars the discussion regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is included in that. The only point I mentioned was that the need for this discussion arose and the Speaker was good enough to direct on that day. when the question concerning the Railways came up and he said that he would allow a discussion.

When the matter came up before the Business Advisory Committee, some hon. Members said that this should cover the whole gamut of the Government. I said that the scope is limited. It arose out of a question regarding the Railways. Therefore, I said I am willing to agree on behalf of the Government for this discussion as far as it is confined to the Railways and as it is directed by the Speaker. If you want to expand the scope of it, that is to say, take up all the services, I have no authority, except to consult my other colleagues. Even this I would not have referred to except for the fact that you referred to it, on somebody telling you. that there was a discussion in the BAC. Therefore, what we are doing, what Government has agreed to, is in accordance with the direction of the Speaker when the question arose during the Question Hour and nothing more than that,

SHRI K. S. CHAVDA: Why do you exclude Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: Who said it is excluded? It is not excluded. It is not meant to exclude the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I have not given the draft of the language. Government are assuming that it is included. I have not given the draft. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please. I am on my legs. There has been unnecessary confusion about this. Let me put the facts as they are before the Members. At present we have more heat...

SHRI K. S. CHAVDA: than light..

MR. DEPUTY-SPEAKER: than sense. Normally the decisions of the Business Advisory Committee are reported to the House and then the question is put to the House and the House accepts the Report of the Business Advisory Committee. But in this case I don't think this particular item was included in the report of the Minister of Parliamentary Affairs. Even so, a notification under our Bulletin on July, the 26th was made, in which the names of the Members have been mentioned and the subject has also been mentioned. Now, if the Members had been alert at that time they could have drawn the attention of the Speaker at that time; but now this is being raised. (*Interruptions*) Order please; I am on my legs. I have this bulletin before me. I will read out what is the notice of Mr. Samar Guha. His handwriting is as good as mine. It is difficult to read it. It says:

> "The issue of recruitment of the Muslim and Christian minorities in the Railway Services arising out of the Question No. 24 dated 24th July. 1973 be taken into consideration for short duration discussion.."

(*Interruptions*) Order please. This is Mr. Vajpayee's motion. It says:

> "Under Rule 193, I give my intention to raise a short duration discusson for the reply given by the Railway Minister to SQ No. 24 answered on July, 24."

SHRI K. S. CHAVDA: He has mentioned Scheduled Castes and Scheduled Tribes........

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: It relates to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other minorities. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am on my legs. Order please. I have heard you Mr. Chavda. Why do you exclude the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes from the rest of the minorities? I don't understand it. I have told you a little while ago that Scheduled Tribes are the minorities of the minorities. Will that satisfy you? Mr. Samar Guha said 'Muslim and Christian minorities'. (*Interruptions*) I think it is only fair that it should be worded in this way. Let us go on with the discussion.

PROF. MADHU DANDAVATE: I seek a clarification. Railways can be considered only illustrative; that is all..

SHRI S. M. BANERJEE: What about my Motion?

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no motion, please.

SHRI SAMAR GUHA: Mr. Deputy-Speaker, Sir, the policy of recruitment in the railways cannot be discussed in isolation. I was just discussing the general principles. Those principles that were applied in general can also be applied in particular. Under no circumstances, the recruitment in class I categories should be in any way diluted or in any way relaxed—I mean from the point of view of qualifications that is necessary. Even if you take the class I categories of officers of any department of Government and in particular, the railways, they do not belong to any particular community or any particular region or any linguistic area. As an Indian, I feel that they are all Indians. As I said there should not be any reservation or relaxation of rules so far as the recruitment to class I categories of officers is concerned as the fate of the country depends upon them.

Sir, in the Azad Hind Force, all the higher officers—80 per cent of them—belonged to the Muslim community. And 75 per cent of the rank and file belonged to this community who come from the area which is now called East Pakistan. In the oral examination, they are all subjected to various factors—examiners subjective predilection comes in; prejudices come in. I would, therefore, say that the *viva-voce* (oral examination) in the case of recruitment of Class I officers should be wholly removed. Similarly, in the case of confidential reports, all sorts of prejudices—caste or communal—come in. Also various kinds of prejudices creep in and therefore, I say the confidential reports should be eliminated.

Otherwise there should not be any utility of having reservation whatsoever. As I said the people belonging to the backward community and the less privileged community should have better opportunities by competing with others. For this purpose, certain special coaching centres or special training centres for the backward community and for tribals and other unfortunate minorities should be set up. For example, for recruitment in the scientific and technical department, this is absolutely essential. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes constitute about 25 per cent of our population. Our Constitution gives them a guarantee. There should be 25 per cent reservation made for them. What do you find now after the lapse of 25 years? In general administration the percentage of recruitment to class I categories is only 2.7 in the case of Scheduled Castes while that is 4 per cent in the case of Scheduled Tribes. Table the class II categories. It is 4.41 per cent in Scheduled Castes and .48 per cent only belongs to Scheduled Tribes. Take the class III category. 10 per cent belongs to Scheduled Castes while 1.8 per cent only belong to Scheduled Tribes. In class IV category. 17.72 per cent belongs to Scheduled Castes while 3.96 per cent only belongs to Scheduled Tribes. The Railway Minister has got with him the figures. And according to his own figures, in the Railways in class I category, 3.8 per cent belongs to Scheduled Castes, while only .4 per cent belongs to Scheduled Tribes. In class II, 3.25 per cent belongs to Scheduled Castes; regarding .4 per cent belongs to Scheduled Tribes. In class III, 8.6 per cent belongs to Scheduled Castes while 1.1 per cent belongs to Scheduled Tribes. Similarly, in class IV excluding sweepers, 17.6 per cent belongs to Scheduled Castes while only 4.1 per

[Shri Samar Guha]

belongs to Scheduled Tribes. In sweepers only 90.3 per cent belongs to Scheduled Castes and 6.8 per cent belongs to S.T. Does this not show that 90 per cent of the people belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this lowest category of services? This should be a matter of any pride for us. Can you not devise a chemical or any human device? Certainly, the posts of the sweepers should also be shared by the other community.

As I have stated already, the recruitment to class I should be on the basis of free competition. For example in class II, people from class III are being promoted. That is the case with regard to the Railway service. In the Railways, as in U.P.S.C.. they have got a railway service commission. It is this service commission which recruits people to class III. As regards class IV employees, it is the regional authorities that recruit them.

As I had suggested earlier in regard to class I posts, special coaching and training arrangements should be made and the *viva voce* should be eliminated and the system of confidential reports should be done away with.

As regards promotion from class III to class II, there is a lot of difficulty. In connection with the Untouchability Offences Bill, I had the opportunity to go round the country. Everywhere we found that whenever there was promotion from class III to class II, in most cases the confidentail reports went against the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the members of the minority communities like the Muslims and Christians. Therefore, confidential reports should be abolished in one case of promotions from class III to class II in the Railways as also in other Ministries. There should be a certain periodical review of the process of recruitment.

As regards non-government service, we can ony exert moral pressure and nothing more. But I would submit that it is possible to do something more also in that direction. The hon. Deputy Minister Shri Mohd. Shafi Qureshi in his reply said that we could not exert any pressure on the private sector, that is, the business houses and commercial institutions. But I submit that we certainly can exert moral pressure. Further, we have a certain lever also in our hands, namely the issuing of permits, licences and financial assistance to these commercial institutions. Constitutionally, it may not be possible to do anything in this regard, but we could have certain rules framed and on that basis we can control and we can compel at least some of the commercial houses with regard to the recruitment of members of the minority communities including Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

As regards the unfortunate Muslim community, it is a measure of great tragedy for us that we are still carrying on the legacy of the policy of British imperialist machination. They divided the country by supporting the politics of communal partition of our country. It is a historical fact that at the time of partition, the leaders of India and Pakistan allowed the option to the Government servants who were in former East and West Pakistan to shift to India; and most of the Government servants shifted to India. As regards the members of the Muslim community in India, they were allowed the option to shift to Pakistan. The result was that from every sphere in services, in Defence, in Police, in the railways and in the whole of the Government administration either at the Centre or in the States, the Muslim Government employees shifted to Pakistan almost *en bloc*, and there was a sudden vacuum in the Government services for the Muslim community in India. In the case of Defence, 95 per cent of them shifted to Pakistan. In the Police, about 90 per cent shifted to Pakistan, and in other categories, a large number shifted to Pakistan, and as a result of such vacuum, created certain difficulties, which the Muslim community is facing today. So, we have to remember the historical background. But that does not mean that during the last 25 years we could not have done anything for the Muslim community. The members of the Muslim community also belong to India; they are the blood

of our blood; they are also our brethren in the common fraternity of independent India. But during the last 25 years what has been their representation? Why should they not be taken into the services? Let me give you the figures in this connection. In class I and class II categories, in the Ministries of Defence and Finance, out of 18,000 officers in class I and class II categories both put together, there were only 290 members belonging to the Muslim community, which means 1.45 per cent. In the Railways, out of 7000, there were only 105 Muslim officers, which means 2.14 per cent. In the P.&T. Department, the Department of Personnel, the External Affairs Ministry, the Department of Family Planning, the Department of Mines and Metals etc., out of 1,400, there are only 172 out of 11,400 persons in these categories, making a percentage of 1.57. In the case of the Ministries of Irrigation and Power, Tourism and Civil Aviation, Information and Broadcasting, Supply, Shipping and Transport, all taken together, out of 2,550, only 54 Muslism class I and class II officers were there. Percentage 2.4. In the Ministries of Industrial Development, Company Affairs, Law, Education, the Department of Parliamentary Affairs and the President's Secretariat, out of 425 officers, only 11 are Muslim. Percentage 2.3. The grand total for the whole country in classes I and II is 39,375 out of which only 677 are Muslim officers. Percentage 1.7 although the percentage of their population to the total population is 10. I do not mean that they should get representation in arithmetical proportion to their population, but their representation must be sizeable, must be fair, must be just. It may even be more than their percentage. It does not mean that they should not get it. But it should be fair representation for them in the Railways and in other government departments.

The other day the hon. Minister adopted a pious attitude being obligious of the constitutional restraint and provision. He was proliferous in his promises, that they should be given 'due representation', they should be given 'fair representation', they should be given proper representation...

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI L. N. MISHRA): I never said 'proportionate representation'.

SHRI SAMAR GUHA: I am sorry, I say, proper representation. I do not know how these words, 'due', 'proper', 'fair' can be translated into reality in course of implementation. Constitutionally, you cannot do it. If you do it, anybody can file a writ petition and the whole thing will be scuttled.

Coming to the brasstacks, the main problem which we are trying to gloss over, is that there is a prejudice, a communal prejudice, in certain sections of people who feel that quite a large number of Indian Muslims are pro-Pakistani.

SHRI L. N. MISHRA: No, no.

SHRI SAMAR GUHA: Some of the officers are prejudiced. This communal and other prejudice against them is the main reason why Muslim are not recruited in the Railways and in other departments. You have to accept this reality.

SHRI L. N. MISHRA: No, no.

SHRI SAMAR GUHA: I know you are behaving ostrich-like. But you have to accept this reality. There are two ways to obviate the difficulty. One is that in the personnel of the recruiting authorities in the UPSC in regard to classes I, II, III and IV, there must be fair representation to the Muslim and Christian communities. That can be done by rules. As regards promotions from class III to class II, do away with the confidential reports and the oral examination. Also only have recruiting officers who will do justice in regard to promotions from class IV to class III.

It was said the other day that in the Railway Service Commissions, there were only two members belonging to the Muslim community. That will not do. The recruiting bodies in the different regions must include a fair representation of Muslims. Only then will those recruiting authorities have an approach unbiassed by any communal prejudice, political

[Shri Samar Guha]

considerations or any other consideration of that kind; only then can they do justice and give fair representation to the Muslim community.

I have already said that the confidential reports must be done away with. I would also ask Government to do one thing which they have been stoutly refusing to do so far. This is to set up a special committee to go into the causes, why the Government have failed to recruit Muslims and Christians and other minorities and give them due, the word used, or fair representation. Such a committee must be set up. A committee must be set up to go into the details as to what are the causes that led to the lack of their representation.

I would conclude by saying one thing. Whatever you may try, as I said earlier, unless we can eradicate the real malady the malady of casteism and communalism and the real malady of opportunistic politics, playing the politics of minorities and use them as lever of election politics, unless we get rid of it, unless we firmly and mercilessly deal with the communal parties and policies, unless we ban communal parties, there is no chance whatsoever of correcting the present situation. Just by giving representation to the minorities, you will not be able to deal with casteism or communalism.

Therefore, ultimately, finally, the problem of real representation, which is also linked with the issue of national integration of our country, depends on the extent to which we can adapt ourselves, adjust ourselves, to the task of national harmony, national understanding, and building up a real national outlook for national integration.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If, despite my best efforts, Members persist in crossing the limit of the Railways—

SHRI S. M. BANERJEE: Sir,—

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please. I do not understand this, Mr. Banerjee. I will hear you. But I have not finished even half a sentence; nobody would like to hear me! What is this? You better put a stone here who will control the proceedings of this House.

I say, if Members persist in crossing the limit of the Railways and cover the entire gamut of the services, I am helpless. They can do it. I would only point out that other Ministers will not be here and they will not be in a position to answer their points. (*Interruption*) Only the Minister of Railways will be here and I suppose he will not cross the limits into the other Ministries. Shri N. K. P. Salve.

SHRI PILOO MODY (Godhra): Mr. Deputy-Speaker, I made a special request to you and to Mr. Salve also I would make the same request. I have a press conference at 4 O'clock, and if I may be permitted to speak now, I shall be thankful.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have your request here. But I would like to say that when we are involved in the proceedings of the House, no extraneous consideration comes in, and specifically because of this, I have called Mr. Salve.

SHRI PILOO MODY: I thank you for your consideration. I know how well the procedures of the House are being followed and I know how well the procedures of the House are being upheld. And if this is all the consideration that the Chair can make for a request as simple as that, I am very sorry and I do not think it is functioning correctly.

SHRI N. K. P. SALVE (Betul): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I will heed your warning seriously and if nothing else in my speech I shall endeavour to achieve the merits of both, relevancy and brevity.

Speaking for myself, I should have really liked this debate in respect of the entire employment position of the Government of India as a whole. That would have given us an opportunity to collate and critically examine the employment policy of the Government of India. (*Interruptions*)

It is most unfortunate that in a serious debate like this, we should resort to any cheap gimickery. I was submitting that we should collate and critically examine the overall employment policy of the Government of India in relation to the SCST and minorities, namely, Christians and Muslims. That would have given us on opportunity to evaluate to what extent we were adhering to the directive principles of the Constitution and to our secular values. But even if the debate is confined to the employment position in the Railways, it is a fairly wide gamut we shall cover because the Railways employed 1,400,000 persons as per the 1971-72 report; it might have increased by now. It is the largest Government enterprise so far as employment is concerned. It has to be appreciated that the motion relates to an extremely delicate subject and extremely sensitive subject. I hope, therefore, that in this debate utmost equanimity and restraint would be observed. Otherwise it is more likely that under the name of championing the cause of minorities some political objective will super-impose itself. It happens, unfortunately that minorities are used by political parties oftener than not as pawns for the purpose of aggrandising their own political objectives than otherwise. But those who are interested in bringing about economic relief to the minorities, I am sure, would utilise this opportunity by coming out with objectivity and constructive suggestions in the matter.

The information that has trickled so far about the employment position of the minority and Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Indian Railways, causes very grave concern. It is extremely disconserting that such a poignant and distressing situation should have arisen. I shall refer to some of the figures from this very report which relates to 1971-72. I find that in 1971-72, out of 8,311 officers in Class I and Class II only 40 are Scheduled Tribes, that is less than ½ per cent and 300 are Scheduled Castes, that is 3 to 4 per cent.

So far as Class III is concerned, out of 5,92,234, say about 6 lakhs, 51,000 were Scheduled Castes and 6,000 were Scheduled Tribes. In respect of Class IV out of about 8 lakhs 1,73,806 were from Scheduled Castes and 31,662 from Scheduled Tribes. This figure of 1,73,806 includes about 92 or 93 per cent sweepers. This is most unsatisfactory.

So far as minorities are concerned, information given the other day discloses that the Minister himself was completely dissatisfied with the recruitment policy of the Railway Commission. He admitted that so far as recruitment through the Railway Service Commission to Class III posts was concerned, he was himself not satisfied. So far as Class IV employees were concerned, they were recruited from the Zonal Railways and the recruitment is not through the Service Commission, but from the Regional and Zonal Railways. There was a grave allegation made by the hon. Member Shri Moinul Haque Choudhury that not even a liftman, not even a chaprasi or other working class people recruited in the Railway Bhavan, not one of them appeared to be a Muslim. That was an allegation made by him which causes very grave disconcert. It was not repudiated and that has created, a foul odour of discrimination against community which needs to be looked into. The Minister said, there were two Muslim gentlemen who were Chairmen of Railway Public Service Commissions and said there would not be any prejudice against the Muslims. I really wish the matter was as simple as that. We have not the slightest doubt that so far as the Government is concerned, under the leadership of Shrimati Indira Gandhi, it just cannot have any possible prejudice against the minorities. That is our faith and that is why we are here. Despite that if the figures reveal this sordid picture of inadequate representation to minorities in Railway there must be very serious lapses employment somewhere.

SHRI SAMAR GUHA: When you say, it is your faith, you are indulging in politicking. Call it the nation's faith, the faith of the Constitution.

SHRI N. K. P. SALVE: I say from the housetops that under Mrs. Indira Gandhi's leadership, it is the faith of the nation that there shall not be any discrimination against Muslims or Christians....

SHRI SAMAR GUHA: To me, the leadership of the nation is much more than Mrs. Indira Gandhi. It is a concept. Unless and until you have that concept, you will not be able to understand it.

SHRI N. K. P. SALVE: I only have common sence; if he has something much above that, I cannot understand it. I am a very average mortal and he is superhuman. How can I understand him?

Coming back to the extremely unfortunate situation, which smacks of some sort of discrimination, the same has created a grave concern in the minds of all of us and we want effective steps to be taken so that this sort of situation never develops again. It is not purely the particular symptom that we want to be eradicated. It is the malady which has led to this sort of disease that we want eradication of, not only in the Railways but in every Government organisation where it exists. That is why I said, in the beginning that we wanted discussion on a broader issue.

I look at this discrimination basically as an economic problem of a backward community. Some people asked the other day whether we are trying to imply that there is now going to be reservation for Muslims and Christians? This is a complete distortion of what was sought to be made out in the House when the question was raised. You are aware that for Class III and Class IV posts, you do not need people who are technically highly qualified, who have gone to Oxford, Cambridge or Massachusetts University or who have high-sounding degrees from our country. We need people who have very moderate education even who have no education. If you are working on the rule of equality and not on the rule of reservation, let there be equality amongst equals. If all the aspirants to Railway jobs are uneducated, if all are less qualified or unqualified and only one community finds itself left out of recruitment, if there is thus palpable discrimination and if it is suggested that some remedial measures should be taken, some corrective measures should be taken, is it fair to imply that reservation is sought of? Reservation is a concept entirely different from the concept of correcting where the right of equality in State employment has not been ignored. Among two equals if there is reservation, one will supersede the other. Here you are wanting to take a corrective measure, where without reservation minorities have been left out of recruitment. Article 16(1) speaks of equality of opportunity in employment under the State. Where among all non-educated, less qualified, or not qualified candidates you find any one particular community does not find itself recruited, can you say that article 16(1) has been adhered to? Can you say that equality of opportunity has been justly and fairly given to everyone concerned? If it is not given, I have not the slighted doubt that there is certainly something drastically wrong at the recruiting level for which the Minister, although he is not really at fault, must take the constitutional responsibility as the head of the organisation. Therefore, I say that it is an over-simplification of the entire malaise to say that because there was a Muslim Chairman, any discrimination has to be ruled out. That is incorrect. As it would be wrong to say that despite the figures to the contrary no inference of prejudice against Muslims in the Railways can be drawn just because there is a Muslim Deputy Minister, who happens to be a very capable and able Minister. That is not fair. That is not the way to look at the problem. We want to have a thorough and searching probe into the matter.

We must realise that the poignant and distressing situation of the minorities causes anguish and agony in this country. This is not a matter in which for a moment do we consider that what is involved is giving reservation to anybody

or giving preference to anybody, or showing favour to anybody. If all those who are employed in class III and class IV are coming from economically backward classes, I have nothing against them whichever community they may belong-- majority or minority. Only perverted sadist will take the view that because all the persons happen to belong to majority community, article 16(1) must be taken to be violated and, therefore, all the appointments taken are null and void. This is a foolish argument. All that we want to submit to the Minister is that among those who are less privileged, those who are the victims of misfortune, of dire poverty, among them let there be no discrimination. They are the sons of the soil, sons of the country, our kith and kin, whether they are Muslims, Christians, Hindus or others. So, let them all be taken without any discrimination whatsoever. And, if it has not been so done, let there be a thorough probe into the matter.

Shri Hanumanthaiya told me that the Christians have got adequate representation in Railways. May be due to the policy followed by the British Government in the earlier days, the Anglo-Indians and the Indian Christians may be properly represented today. But the Minister has to find out whether in the course of the last ten or fifteen years the policy which has been followed has been just and fair to all the communities. If it is not satisfactory, if there is discrimination, let the Minister make an elaborate statement on the steps that he proposes to take by way of remedial measures and let that statement be made before the end of the present session.

It is an utter distortion of the Constitution to say that under article 16(1) the Minister cannot take corrective measures. If recruitment has not been made so far from a particular community which is backward and if it is now sought to be given preference in the matter of recruitment, such an order cannot be struck down under either article 16(1) or 16(4), if one reads the case law of the Supreme Court carefully. If any person takes that view, either he does not know the Constitution or he does not know how a progressive interpretation can be given to articles 16(1) and 16(4). It is only when the Minister tells us what effective measures he is going to take before the session comes to an end, shall we be satisfied. Because to us social justice is not merely a political shibboleth, nor is it a merely catchy political jargon. It is an article of our faith with us and because we want to stand by it, we shall stand by the Scheduled Castes and Tribes, and for our faith secular ideals we shall stand by Christians and the Muslims.

16 hrs.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the question relates to the matter of recruitment policy in the Railways. As it is, if we look into the issue, it may be covered in a very limited sphere. But it is a fact that it concerns the whole policy and the whole outlook of this Government.

In spite of tall professions of secularism and socialism, keeping safeguards for the minorities, after 26 years of Independence, in this House, it is being charged by the ruling partymen that there has been discrimination against the minorities. In the Rail Bhavan where the Railway Minister is supposed to sit daily, he cannot show a single *chaprasi* in the Rail Bhavan who belongs to the minority community, that is, the Muslim community.

SHRI L. N. MISHRA: My own *chaprasi* is a Christian.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: On the day the issue was raised here, about 40 minutes were spent and it was given to us to understand that the Minister will give figures regarding the employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as well as the Muslim community in the Railways. Up till now, he has not given any figures or made any further statement on the allegations and the charges made against him that there is a discrimination in the matter of appointment and recruitment against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Muslim community.

[Shri Dinen Bhattacharyya]

I personally feel and our party also believes that by safeguarding the interests of minorities in certain sectors you cannot solve the problem. The problem is a socio-economic condition of the country. In the last 26 years, you could not do anything. Those who think that by giving same safeguards here for certain minority communities you can solve the problem, it is not so.

Look at the socialist countries, like, the Soviet Union and China. Is there any such safeguard for a particular community or a particular section of people or a particular resident of a particular place for any job? No. They have built up socialism. They have done away with big zamindars and big monopolists. The people are the real controller of the society as well as the State there. So, this question does not arise there. Here, you talk of socialism; you talk of secularism. But you make discrimination. I can say that Muslims always feel that they are treated as second-class citizens of the country....

SOME HON. MEMBERS: No, no.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: I know. Even if he happens to be a Member of Parliament, he will be taken into custody as it happened in the case of Shri Baddruduja.

Can you deny that in West Bengal—I have got my personal experience—the Muslims were not allowed to sell their land unless they got a certificate from the panchayat Pradhan? The panchayat Pradhan would not ordinarily give a certificate. A Hindu can sell....

SHRI L. N. MISHRA: A Hindu cannot sell.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: It is a fact. You come with me there and I will show you that it is still existing in Bihar. A Hindu can sell his property at ease at any time. But a Muslim cannot sell unless he has got a certificate from the panchayat Pradhan. He cannot sell his property. He is treated as a second class citizen. So, how can you expect justice from this Government? Out and out, in spite of all their professions, they make discriminations, and discriminations are made not only in Railways but in all services. The figures have been given by others. I do not want to go into the figures, but it is a fact. You take the statistics in respect of Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats, how many Muslims are there as *chaprasis* and boys, how many officers are there belonging to the Muslim community. How will you defend your 'secularism'? It is all a bogus thing. This Government is making discriminations against the minorities in all spheres—in Defence you will not find them, in the Police services you will not find them. This is the case in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes also. Even now, after 26 years of independence, the posts of water-boys—those who are employed to distribute drinking water—are given to caste Hindus. This does not call for any education or efficiency. But Scheduled Castes and Scheduled Tribes are prohibited from being employed. Mr. Mishra, if you want, you can go and check up the position in your own Station; in Patna Station, you will not find even a single water-boy belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe. This is the position everywhere; I want to say this emphatically.

Mr. Mishra, would you admit that your Department has issued a circular to your Service Commission and other recruiting authorities that, in the case of recruitment of Muslims, not only a certificate from the District or First Class Magistrate about their identity and other qualifications but also certificates from some authorities about the history of their forefathers have to be produced? I want to know whether that circular is there or not. The other day Mr. Banerjee put this question categorically. I have also verified it. There is a standing circular in this respect that, in the case of recruitment of Muslims in the Railways, they will have to satisfy their *bona fide* not only by producing a certificate from First Class Magistrate but also by producing certificates from two MPs or MLAs.

regarding their antecedents. This practice is still there. So, I charge this Government that, whatever they might say, they are practising in all respects discrimination against the minority communities as per their own convenience. Because of this policy, what is happening now regarding employment? Everywhere they are raising the slogan 'Sons of the Soil'; only the sons of the soil will get employment. This is creating a bad atmosphere. You are talking of national integration and so many other things.

Now, because of this Government's policy....

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): Your Party is doing it.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Our Party is fighting for the real cause, namely, removal of unemployment and poverty which are growing like anything. Our people have resisted the slogan.... (*Interruptions*).

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Your leader, Mr. A. K. Gopalan, had to come out with a statement advising them not to do it.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: So you see that our leaders have taken a stand which is against that principle, 'sons of the soil' in its parochial sense.

So, my point is that where does this question of unemployment lead the country to. I understand that now for Class IV you have to recruit from the locality. 'Locality' means from the areas surrounding the place of recruitment. That slogan is coming. So, ultimately, this policy is leading our country to more disintegration not only in respect of different communities but in respect of different States and even in respect of different districts and localities. So, the ultimate solution depends upon a thorough change in the economic and social structure of the country and unless the Government, this Government under Shrimati Gandhi, is thrown out, that is not possible.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, please conclude.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: You have to go deep into the root cause and my point is that this Government must be removed from power.

In West Bengal, what is happening? I will conclude with one or two sentences. Government is not supplying the food. The price of every essential commodity is rising and unemployment is going up and the people have come on the streets protesting against the price rise and the Government's policies. A State-wise Bundh was observed on 27th only. Government is still callous and wants to carry on its discriminatory and anti-people policy.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have exceeded your time. Now, please conclude.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: What is the time allotted to us?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Instead of seven minutes you have taken 14 minutes, double the time.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Who has decided that?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Bhattacharyya, please conclude now.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: So, again coming to the problem of recruitment of minorities in Railways I will demand that the Minister must do away and abolish that circular which is there regarding the recruitment of Muslims in Railways. Regarding recruitment of new hands, I will say that there are thousands of casual and temporary hands and you must not bypass their claims for permanency.

SHRI C. M. STEPHEN (Muvattupuzha): I welcome this opportunity which has been afforded to this House to discuss this matter. This discussion is opportune

[Shri C. M. Stephen]

in one sense as there is an obligation cast on the Parliament and the Government to review from time to time the extent to which the different sections of the population of the country are enabled to share the opportunities of services and of the salaries. That review is to take place from time to time. Now, about 25 years have gone by after we became independent and the Constitution has been enacted. It will be seen from the Constitution that it is accepted as one of the essential things that in the matter of appointment a fair distribution should be ensured. This is clear from the provisions of Article 16 of the Constitution, Articles 335 and 338 Article 16(4) says:

"Nothing in this Article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

Article 335 provides that the claims of the Members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be taken into consideration. Article 338 enjoins on the President to appoint a Commission from time to time to go into the question as to how to safeguard the interests of the community, to identify the backward community, as such, and to devise ways and means and measures whereby backward communities and their interests would be protected and safeguarded.

I have quoted these Articles with one purpose in view. The founding-fathers of the Constitution had a fair concept as to how the benefits of the jobs in the services must be distributed among the different sections of the communities of this country.

We have seen that adequate measures are being taken from time to time to protect the interest of the scheduled castes and scheduled tribes. But when we come to the question of the Railways, what we find is this. I would take up this category of scheduled castes and scheduled tribes from the other minorities and backward communities, whatever they may be called, because their problems are different. Before I place this problem in the proper perspective, I would like to point out that the Railways happen to be the major employer, one of the biggest employers, of the world. They have got, as per latest statistics, 17 lakhs employees. The total salary distributed is to the tune of Rs. 500 crores. The *per capita* salary is to the tune of Rs. 3,595 per year, a very substantial sum. It is essential that this Rs. 500 crores should be distributed in an equitable manner. In spite of the specific provisions, statistics show that the Scheduled Castes' and the Scheduled Tribes' interests are not well-protected. Their reserved quota is not made available to them. It is not because good intentions are not there, not because there are no rules or laws, not because there are no directives, not because the Government does not want that they should get their due quota. Time and again, the Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been reminding that this must be done. Nevertheless it so happens that even in the lowest rung of the ladder their employment is not up to the mark. For Class I there is no reservation; I do not understand why there should not be reservation for them. Class II is being recruited from Class III and in that way it is seen that their interests would be protected. But so far as Class I is concerned there is not even a legal reservation. I speak subject to correction.

The point I am emphasising is this. In spite of these reservation provisions, they are not getting it. So, this is a matter which has got to be done into. You cannot blame the Government for that. Also, you cannot blame the Ministry for that. Somebody who is in charge of recruitment does not have his approach attuned to the spirit of the Constitution and to the spirit of the social justice that is expected of him. A revolution in mental approach has got to take place and if that does not take place, then those persons may organise themselves. Therefore, what the Ministry can do is this.

Shri Mishra is a person of repute, who can take decisions and as he has done in the other fields, he can implement his decision. And in his tenure of office he must ensure that the intentions of the Government are implemented fully and whoever does not implement the intentions of the Government, he should not be allowed to remain in office. The proof of the pudding is in the eating. The officer must be told that no excuse shall be accepted. The officer must be told that the proof of the pudding is in the bating. You should ensure that so far as scheduled castes and scheduled tribes are concerned.

Coming to the minority, I do not say that I mean the Muslim or Christian minority here. The Constitution does not speak of minorities in that sense. What we mean by that is only backwardness--social backwardness. Shri Bhattacharyya said that communism is coming in—Chinese method of communism is coming in here. When that comes in, then these problems would not arise. What does he mean by that? I do not know whether his intention by mentioning this is that if employment problem is tackled properly, the question of sharing in public employment does not at all arise here. If that is his intention, then I would beg to repudiate that because positions in public administration in the States Services or in the Railway Administration are not mere positions by which you get money. These are problems of power. Therefore, I say that it is not merely a question of sharing of employment but it is question of sharing of power only. Every citizen or every identifiable section must have the opportunity to share the power in the States. Real power does not come in by being Members of Parliament or by remaining as Members in the Railway Board. The real power rests with the bureaucracy—bureaucratic set-up. The sharing of power should be ensured. But, that shall not be equated merely with the question of employment problems. How can you ensure that all members of my community may be employed fully? Even if that is done I may submit that I will not be satisfied with that unless, of course, it is ensured that I am given the proper share in administration of the country—sharing the posts of offices. What Shri Bhattacharyya was saying was only a confusion of thought. That is not the proper way of approach. See what the Constitution says. I think I have already read that out. In the matter of appointment to services and posts in the opinion of the State, if representation to services of any class or community is found to be not adequately represented, then the reservation could be provided for. This reservation is being provided for in different States. In my own State, Commissions were appointed and backward communities were identified in terms of Hindus, Muslims and in terms of other sections of different communities: For example, Ezhava is a community in Hindu. But, it is a backward community. And so the people belonging to this community are given some reservation. Similarly, Latin Catholics in the Christian community are a backward community. And they are identified as such. And so reservation is made for them. Muslim community for example is identified as a backward community. All this took place long long ago before the Muslim League came any where near power in Kerala. And so a provision was made for the reservation to this community. And this will continue and this can continue. I request Shri Mishra to consider this question as to whether under Article 338, the Government should or should not be persuaded to appoint a Commission in view of the discussions that have taken place here to identify which of the sections are backward. For the removal of the backwardness some provision should be made. Under the Constitution, the Government should also give some sort of a reservation for these people. So, this has got to be considered in that way. I may submit that we are now speaking of national integration. The members of every minority community are living in the full faith and hope that they are also part and parcel of this great country. I can take pride in saying that I belong to a community which can trace its beginning from the first century AD. I belong to the Christian community. Christianity is

[Shri C. M. Stephen]

not a foreign religion to India, but it was planted here even in the first century. So, we are part and parcel of this country. I am really proud to refer to the Constituent Assembly debates and to recall the statement made by the representative of our community to the effect that we shall not seek our protection under the provisions of any reservation, but in the good faith of the people of this country, and, therefore, there shall be no reservation for us in the provisions of the Constitution. I am not sorry that we made that statement. But let everybody behave in such a manner as to justify that faith that was put in the large population of this country.

As regards the Muslims, it is necessary that the eight crores of Muslims be given the feeling that they are part and parcel of this country. Vast masses of them are still blindly and completely and unreservedly putting their faith in this country and have cast their lot with this country. We have got to justify the faith that they have put in this counry, and let us ensure that they are also given proper representation. If we find that there is some Injustice, some so-called injustice, and some imbalance has taken place and if in spite of the best of our intentions, the Scheduled Castes are not being protected, then from that, I would go on to the conclusion that such imbalance as may be existing is not because of any ill intentions on the part of anybody. But in spite of that, what remains to be done is that every effort has got to be made to give them proper representation in the services, so as to remove this imbalance.

Taking advantage of this imbalance, communalism is now sought to be fanned, and communal organisations are growing fast and are sought to be built up, and murmurings are now being heard and we find that the Muslim League has started openly claiming that they are the same League which believed in the two-nation theory. Dangerous philosophies are now going ahead. Let us take note of them and see that nothing will be given as an excuse to anybody to organise any section of the people in any part of the country in such a way as to hit what is vital to the nation, namely the vitality, the unity and the national integration of this country. In the name of liberty, let nobody be allowed to hit at national integration in this country. Let us take steps to curb the malady which is now coming to the surface. At the same time, let us also handle the fissiparous tendencies which may endanger the nation. That is the task which is now facing us. This discussion must enable the Government to face up to both the tasks, namely correcting the malady on the one hand and on the other, curbing the fissiparous tendencies. With that balanced approach, let us handle these problems and bring faith and hope and complete satisfaction to persons who by historical reasons are unfortunately placed in a backward position, and let us see that they are assured of their proper place in the comity of the community which constitutes the great people of this country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ishaq Sambhali.

SHRI S. M. BANERJEE: Mr. Deputy-Speaker, Sir........

MR. DEPUTY-SPEAKER: I thought that between the two of them, Shri Ishaq Sambhali should have preference.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): We do not believe in that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is up to him.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल सदन में आया तो हमारे मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए बताया कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का परसेंटेज कितना है। कुरेशी साहिब जवाब दे रहे थे एक सप्लीमेंट्री का और उन्होंने कहा कि क्लासवन– शेड्यूल्ड कास्ट 3.8 परसेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्ज 0.52 परसेंट

क्लास टू—शेड्यूल्ड कास्ट 3.5 परसेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्ज 0.46 परसेंट। क्लास थी—शेडयूल्ड कास्ट 8.71 परसेंट, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज 1.9 परसेंट। क्लास फोर—शेड्यूल्ड कास्ट 21.88 परसेंट शेडयूल्ड ट्राइब्ज 3.98 परसेंट। इससे साफ जाहिर है कि जितना परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्ज का होना चाहिये वह भी रेलवे मिनिस्ट्री में नहीं है और जैसा मेरे मोअज्जिज दोस्त ने कहा कि इस परसेंटेज को पूरा करने की कोशिश क्या हो रही है वह कम से कम हमारे सामने जाहिर नहीं है। उसके बाद एक सवाल यह भी आता और मैं इसे कहना चाहता हूं खास कर मिश्रा जी से कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जिस जजमेंट के अनुसार सिर्फ रैक्रूटमेंट में नहीं बल्कि प्रोमोशन के मामले में भी उन को प्रैफरेंस दिया जाना चाहिये। उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी मुझे मालूम हुआ है कि आज भी उस के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि रेलवे मिनिस्टर आए और गए चाहे पैसेंजर ट्रेन की मानिन्द या एक्सप्रैस ट्रेन की मानिन्द, लेकिन आज तक किसी ने भी उसको लागू क्यों नहीं किया ?

मैं पूछना चाहता हूं क्या लोगों को सतोष हो जायेगा इस मामले में। क्या बिहार के हमारे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को संतोष हो जाएगा, क्योंकि वहां के गवर्नर हमारे मोअज्जिज दोस्त भण्डारी साहब हैं, जो हरिजन है।

श्री शम्भूनाथ (सैदपुर) : वह बुद्धिस्ट हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : पहले हरिजन थे, बाद में बुद्धिस्ट बन गए थे। वह हरिजनों के मामले में इस सदन में काफी रहनुमाई करते थे। मैं कहना चाहता हूं उन के रहते हुए भी उसी बिहार में आपने देखा कि 4 महिलाओं के साथ किस तरह का वर्ताव हुआ। आज रेलवे मंत्रालय में कितने हरिजन काम करते हैं, वहां मुसलमानों और दूसरी अकलियतों का क्या परसंटेज है—उन की क्या हालत है—इस मामले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। उस दिन प्रधान मंत्री जी यहां बैठी हुई थीं, जिस दिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे लोगों ने इस सवाल को उठाया था कि किस तरह का बर्ताव हरिजन बहनों के साथ हुआ है। प्रधान मंत्री जी खुद भी एक माता हैं, लेकिन वह खामोश रहीं, वह उठ कर कह सकती थीं कि जिस ने ऐसा बर्ताव किया है, उस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं इस लिये इस चीज को कह रहा हूं कि जब इस चीज पर हम बहस कर रहे हैं—क्या शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के प्रति जो सहानुभूति हम लोग यहां दिखा रहे है या सरकार दिखाती क्या वाकई उतना हुआ है या नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब स्कूल और कालिजों में भर्ती होती है, मैं जानता हूं हजारों बच्चे जिनके पैरों में न जूते है न बदन पर ठीक से कपड़ा है, घन्टों खड़े रहते हैं, एक सिफारिश लेने के लिये कि उन के पिता की आमदनी 150 रु० माहवार से कम है। मुझे लोगों ने कहा था कि आंख बन्द कर दस्तखत कर देते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं कि इस के पिता की आमदनी वाकई 150 रु० माहवार से कम है मैंने जवाब दिया था कि ऐसे कोई माता-पिता नहीं हैं, जिनकी आमदनी 150 रु० माहवार से ज्यादा हो, अपने बच्चों को जूता खरीद कर न दें, अच्छा कपड़ा न बनवा कर उस के नंगा बदन, उस के नंगे पैर, उसकी धंसी हुई आंखें इस बात को जाहिर करती हैं कि उस की आमदनी 150 रु० नहीं हो सकती।

आप सारी मिनिस्ट्रीज को देखें डिफेंस मिनिस्ट्री को देखें, मैं भी 20 साल काम करता

[श्री एस० एम० बैनर्जी]

रहा हूं, कानपुर के कारखाने में काम किया है, वहां पर जो क्लास 1 और क्लास 2 के अफसर आते थे, वे कभी भी हरिजन नहीं होते थे—यह नाइन्साफी दूर की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं उन अकलियतों की बात करना चाहता हूं, जिन के बारे में काफी बात यहां पर कही गई है—मुसलमानों की बात। मेरे मौग्रज्जिम दोस्त चौधरी साहब ने इस को उठाया था और हम लोगों ने उन की तर्जुमानी की। मुझे मालूम है जब हमारे मुसलमान नौजवान, जो बेकार हैं, बेबस हैं, बेकसी की हालत में हैं, परेशान हैं, जब वह मुजाहरे कर रहे थे कि उन को नौकरी मिलनी चाहिये, तो उन को तसल्ली देने की कोशिश की गई, यह कह कर कि मरहूम डा० जाकिर हुसैन मुसलमान है और वह सद्रेजम्हुरिया हैं। तो उन्होंने हंस कर कहा था, हम को सद्रेजम्हूरिया नहीं चाहिये, हम को तो क्लास 2 और 3 की नौकरी चाहिये। उत्तर प्रदेश में हजारों मुसलमान नौजवान बेकार हैं, बी० एस० सी० पास करने के बाद, एम० एस० सी० पास करने के बाद, इन्जीनियरिंग पास करने के बाद भी बेकार हैं, क्या अकबर अली खां साहब, जो मुसलमान हैं, उनके गवर्नर बन जाने से, न मुसलमान बेकार नौजवान की सारी परेशानी दूर हो जायेगी? वह तो यही कहेंगे कि अकबर अली खां साहब को वापस ले जाइये, हम को नोकरी दिलवाइये।

हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि रेलवे कमिशनों के दो चेयर मैन मुसलमान हैं—लेकिन उस से क्या फायदा हुआ? रेल भवन में कुरेशी साहब, डिप्टी मिनिस्टर, मुसलमान हैं—लेकिन उसका क्या फायदा हुआ, क्या किसी चपरासी को नौकरी मिली किसी क्लास 3 को नौकरी मिली। इस लिये आज जो अनसीक्यार्ड-फीलिंग्ज मुसलमानों में हैं, उस को दूर करना होगा। मैं यह बात साम्प्रदायिकता के आधार पर नहीं कह रहा हूं। धीरेन भट्टाचार्य जी ने कहा—अगर हमारे देश में सोशलिज्म आये तो उस के बाद यह सवाल नहीं रहेगा कि हिन्दू को नौकरी मिले या मुसलमान को नौकरी मिले। क्योंकि आज नौकरी कम हैं, कैन्डीडेट्स ज्यादा हैं, इसलिए यह समस्या है। आप जानते हैं—अगर 17 एल० डी० सी० की पोस्ट्स हों तो कम से कम 17 हजार एप्लीकेशन्ज आती हैं, परेशान हो जाते हैं। एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज का नाम बदल देना चाहिये —

If there is no employment, what is the use of the Employment Exchange?

इस वक्त मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं—सैक्रेटेरियट के बारे में। कुरेशी साहब ने रेलवे के कुछ आंकड़े दिये हैं, मैं उन के साथ कम्पैरिज़न करना चाहता हूं —

Information available on the 1st May, 1971 is given below.

मैं ये दिल्ली की इन्फोर्मेशन दे रहा हूं जो प्रधान मंत्री जी, मिनिस्टर और तमाम मंत्रियों की आंखों के नीचे से गुजरते हैं।

In the Central Secretariat Services, the figures are :

	Total number of persons in position	Number of Muslims among them
Selection Grade I	140	2
Grade I . .	395	5
Section Officers	1666	12
Assistants .	4507	19
Selection Grade	130	Nil
Grade I .	195	Nil

	Total number of persons in position	*Number of Muslims among them*
Grade II	1954	7
Grade III	1326	1
Upper Division	2511	9
Lower Division	6585	30
Class IV	5381	39

मुझे बतलाइये—हम सद्रेजम्हूरिया की बात करें, राज्यपाल की बात करें, कमीशन के चैयरमैनों की बात करें तो उससे क्या नतीजा निकलेगा। हमारा मुसलमान गरीब है, हमारा हिन्दू गरीब है, उसके घर में भगवान भी आना चाहें तो रोटी और कपड़े की शकल में आयें, वरना भगवान मस्जिद और मन्दिर में ही रहें, उन के आने की जरूरत नहीं है।

हम चाहते हैं कि जिस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये कम से कम एक कमीशन तो है, कम से कम एक कमीशन तो है लिंग्विस्टिक माइनौरिटीज के लिये, उसी तरह से अदर-माइनौरिटीज की हालत को देखने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति की जाये।

दूसरे—उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की एक बैकवर्ड क्लास है—अनसार, इसी तरह से मोमिन हैं, ये तमाम लोग बैकवर्ड क्लास माने जाते हैं। लेकिन दूसरी स्टेट्स में नहीं माने जाते हैं, जैसे बंगाल में नहीं माने जाते हैं। बिहार के बारे में मुझे मालूम नहीं है . . . .

रेल मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : बिहार में बैकवर्ड क्लास में हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मिश्रा जी कह रहे हैं तो ठीक होगा। पिछले दिनों कुछ छानबीन करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि केरल में अर्से दराज से, तामिलनाडू में भी, एन्टायर मुस्लिम कम्यूनिटी बैकवर्ड कम्यूनिटी मानी जाती है। इस लिये नहीं कि बैकवर्ड हैं, उन को तालीम दी गई है, लेकिन इतनी गरीबी है कि जो दशा आज इस देश में हरिजनों, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की है वही हालत उन की है, वहां भूख और प्यास की लड़ाई होती रहती है। हिन्दुस्तान का मुसलमान आज बहुत गरीब है, मैं यह नहीं कहता कि हिन्दू अमीर है, यह सरकार अगर रही तो एक दिन सब बराबर हो जायेंगे, कोई नहीं रहेगा। इस लिए मैं चाहता हूं कि उन का नौकरियों में प्रौपर रिप्रेजेन्टेशन हो, एडीक्वेट रिप्रेजेन्टेशन हो।

अभी मेरे एक मौअज्जिज दोस्त कांस्टीचूशन का सहारा लेकर कह रहे थे कि कांस्टीचूशन के आधार पर यह कैसे होगा, लेकिन मैंने प्रपोशनल रिप्रेजेन्टेशन की बात नहीं कही है, मैं तो मेन्टल रिजर्वेशन की बात कह रहा हूं—इस फर्क को दूर कीजिए। आप अपने अफसरान को कहिये—उन के दिमागों में जो फिर्कापरस्ती की बू है, उस को हटा दें। मैं जानता हूं—वह सर्कुलर निकलेंगे—कि मुसलमान अगर डिफेंस के किसी इदारे में, रेलवे में भर्ती होता है, अगर कोई हिन्दू भर्ती होता है तो दो गजेटेड अफसर या एम० पी०, एम० एल० एज सर्टिफिकेट दे दें तो उस को नौकरी मिल जायेगी, लेकिन मुसलमान की हुब्बुल वतनी देशभक्ति का सबूत वह कांस्टेबल देगा जो इनक्वायरी करने जायेगा देहात में उस की रिपोर्ट आयेगी तब उस को नौकरी मिलेगी। तो आज भी हिन्दुस्तान में ब्रिगेडियर उस्मान के बाद, अब्दुल हमीद की कुर्बानी के बाद क्या मुसलमान की देशभक्ति कसौटी पर कसी जा रही है? मैं निवेदन करूंगा कि अगर यह सर्कुलर है, मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय कहेंगे कि ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी आर्डर है तो उस को निकाल दें और मुसलमानों का एडीकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिये, क्रिश्चियन्स का होना चाहिए, मुसलमानों के दिमाग जो इनसेक्योरिटी की फ़ीलिंग हैं, बेकारी में फंसे हैं उन को अगर यकीन हो जायेगा कि जो नौकरी बैनर्जी के लड़के को मिलेगी तो इसहाक सम्भली के लड़के को भी

[श्री एस० एम० बनर्जी]

मिलेगी, इसलिए नहीं कि वह एम० पी० के लड़के हैं, बल्कि इसलिये कि भारत के नागरिक हैं और मुसीबत के समय एक होकर दुश्मन के खिलाफ लड़ें, चाहे चीन हो या पाकिस्तान, तो इससे नेशनल इन्टेग्रेशन को बल मिलेगा। इसलिए देशभक्ति के आधार पर उन की एप्लीकेशन रिजैक्ट न की जाये।

सिर्फ यह कि चैयरमैन बना दें, या गवर्नर बना दें, इस से काम नहीं चलेगा। ये ग्रार्नामेंटल पोस्ट्स हैं। उन से विदेशी खुश हो सकते हैं। लेकिन देश के गरीब और बेकार मुसलमानों के सामने नौकरी आनी चाहिये। और नौकरी जब तक नहीं आयेगी उन को विश्वास पैदा नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक कमीशन फ़ोर माइनारिटीज नियुक्त किया जाये और उन को ऐडीकेट रिप्रेजेन्टेशन दिया जाये तथा उन के दिल में डिस्क्रिमिनेटरी आर्डर के बारे में जो खतरा है उस को निकाल दिया जाये। सरकार का जो इरादा है वह पाक हो सकता है, लेकिन जो हुक्म की तामील कर रहे है वह सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसलिये चाहे शेड्यूल्ड कास्ट्स हों, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज हों या अकलियत के मुसलमान हों या क्रिश्चियन्स हों या माननीय पीलू मोदी जैसे पारसी भी हों, उन को एडीकेट रिप्रजेन्टेशन मिलना चाहिये। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मुसलमान के दिमाग से इनसैक्योरिटी की फ़ीलिंग निकाल दें। इन तमाम चीजों का जवाब मैं चाहूंगा कि मंत्री जी दें।

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga): On a point of clarification, I want to know exactly what it is about. Is it about the backward communities among the minorities or about minorities as a whole?

श्री एस० एम० बनर्जी : माइनारिटीऐज ए होल। मैं आप के केस को प्लीड कर रहा हूं।

इसलिए मैं फिर कहूंगा कि तर्क का जवाब तर्क से न दें, बल्कि अपने में जो खामियां हैं उन को दूर करके नेशनल इंटेग्रेशन की भावना को सामने रख कर माइनारिटीज को विश्वास दिलायें तो उन के हितों की हिफाजत होगी।

SHRI MOINUL HAQUE CHOUDHURY (Dhubri): One of the greatest men of the world, Pandit Nehru said in his autobiography that no minority however determined it may be can progress without the good will of the majority and that no determined minority can be ex-terminated by the mojority however determined it may be. My purpose in taking part in this debate is to earn the good will and sympathy of the majority to whatever section of the nation they may belong to or to whatever party they may belong to for the solution of the serious problem which brooks no delay. In the course of my speech, if I refer to Muslims, may I beseech very humbly my hon. Friends in this House not to misunderstand me. I am a Congress-man and a Congress-legislator continuously from 1952 for the last 21 years and I am in Congress because I believed and I still believe that it would bring socialism and equality and ensure social justice. In fact not only in the Preamble, but also in the Fundamental Rights and the Directive Principles Chapters of the Constitution we had assured that justice, social economic and political would be given unto our people. And, that is through a democratic republic, not dictatorship, whether limited or unlimited.

I have got great faith in the secular character of the overwhelming majority of the people of my country. I recall with gratefulness that the father of the Nation, Mahatma Gandhi, gave his life for the cause of the Muslims of this country. Three of our Prime Ministers—Pandit Nehru, Shastriji and Shrimati Gandhi—had been and has been working ceaselessly for ensuring national integration. I know in this House the overwhelming majority of members are genuinely concerned about minorities, particularly Muslims. Otherwise, my friends Shri

Satpal Kapur and Shri Nawal Kishore Sinha would not have put Oral Question No. 24 on 24-7-73 and such a large number of friends belonging to all sections of the House would not have expressed their deep sympathies for the minorities by putting supplementaries for 45 minute and ultimately bring this motion before the House for a discussion in order to help the minorities. In this House, there is the illustrious Shrimati Subhadra Joshi, who had worked for national integration all through her life and my God, to what a cost—she is almost without a skull today. I pay my tributes to these friends whose names I have mentioned and also those who had shown their sympathy on 24th July and today for the cause of the minorities including Muslims.

Even then I must contess that when this Question No. 24 came up for supplementaries on 24-7-73, I was slightly agitated. Why? I know my friend Shri Lalit Narayan Mishra as a good, well meaning person and if the Railway Department today is in the dock, it is not for him alone, as he had taken charge of it only the other day. I know that he had been preceded by several other Railway Ministers after independence. I also know that the position of Muslims and other minorities are no better in any other Departments of the Government of India and in almost all the States.

What agitated me was, the Minister said and I quote him as to what he had said referring to minorities, Muslims and Christians:—

> "A few weeks back we went through the figures and we were not satisfied with them."

That means, his Ministry had the figures about Muslims and other minority employees, but he would not give the figure to the House. He evaded. That means, the figure is so miserably low that he was probably feeling rather awkward to tell the House and the world at large about it. Discrimination was alleged by several members like Shri Indrajit Gupta, Shri Piloo Mody, my esteemed colleague Shri A. P. Sharma and others including myself. He denied it and said that there were two Chairmen in the Railway Service Commissions. Firstly, factually it is wrong. There is only one Chairman, not two. Secondly, the Chairman has to decide matters according to the wishes of the majority of the members of that commission. Thirdly, class IV employees, who consist of semi-skilled and unskilled workers, messengers, gatemen, chaprasis etc., numbering more than seven lakhs in the Indian Railways, they are not recruited by these Commissions. Let him kindly say—and I hope he is prepared to do it as requested by us on that day—that out of 51472 Class III employees and nearly eight lakhs of class IV employees how many are Muslims, Christians, Scheduled Castes and Tribals, as these are some of the minorities in this country. If anybody wants to add the names of any other minorities, I have no objection to it. I am deeply concerned about it because if the nation is to be strong, if it is to be integrated, then everyone has to have a sense of participation. If one limb is week, the whole body is week. I hope he is conscious of this fact.

Let him tell the House that despite one Muslim Chairman—not two as he has said—is it not true that on 31-3-71 out of 7,000 Class I and Class II employees in the railways there were only 150 Muslims, forming a miserable 2.14 per cent? Today the number of officers in Class I and II has gone up from 7,000 to 8,216, but the percentage of Muslims, as far as I know, has gone further down from 2.14 per cent. If he questions it, let him give the correct number and the correct percentage. I say so, because my information may not be correct because I have to gather it from odd people and different newspapers. I asked him a supplementary question as the Minister holds his office in the Rail Bhavan to tell as to whether it was true that out of the thousands of employees right from liftman, chaprassi etc. to officers and members of the Railway Board there are no Muslims and, even if there be any at all, their percentage would not be more than 0.05 per cent in the Rail Bhavan. Let him give the figure now and disprove me. I have before me the Telephone Directory of the capital city of Delhi of which we are proud. Pages 466 to 468 give the names from Minister

[Shri Moinul Haque Choudhury]

to Section Officers of those having telephones. Out of 534 or so officers named therein I find five Muslim names, including that of my esteemed friend, Shri Qureshi, Deputy Minister. This is in the Rail Bhavan.

SHRI D. BASUMATARI (Kokrajhar): Not even a Scheduled Caste.

SHRI MOINUL HAQUE CHOUDHURY: I cannot know by designation who is a Scheduled Caste. Even in the personal staff of the two Ministers, there is not a single Muslim. My only comment will be: Charity begins at home.

Certainly, the employees below Section Officers, like Assistants, Chaprasis, Liftmen, etc. in the Rail Bhavan are not in the telephone list. They run into thousands. If I, therefore, say, the Muslim community represents 0.05 per cent in the Rail Bhavan, am I wrong? If the hon. Members or at least some of the hon. Members charge you for discrimination, are they wrong?

Now, the pages 513—515 of the Delhi Telephone Directory contain the list of telephone holders in the Railways in Delhi. This is probably outside the Rail Bhavan. They are the officers in the Railways. There are about 611 telephones listed in the name of different persons. Of these, would you believe, I have found only 3 Muslim names?

AN HON. MEMBER: Thank God!

SHRI MOINUL HAQUE CHOUDHURY: Somebody has said, Thank God! I say, Amen! It strikes a percentage of 0.49. Yet the Minister said that there was no discrimination. I hope, he will not repeat it today and make himself.... I do not complete the sentence.

Let him say, out of about 8 lakhs Class IV employees, how many are Muslims, Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

My hon. friend, Shri S. M. Banerjee, just now quoted a reply given by the Home Minister about the Central Secretariat people as it stood on 1st May, 1971. The Central Secretariat people include the Railway people also. As my time is limited, I will not give the break-up. But I can tell you—it includes the Lower Division Clerks also;—out of 19,379 employees, the total number of Muslims are 85. He did not read the foot-note saying, Out of the Chaprasis belonging to Class IV, numbering 5381, the Muslim community's share is 39.

Then, the hon. Minister said that he had given directions for giving adequate representation to the minorities and that the details would be worked out by the Railway Board and the various recruiting officers. What a pity! The Indian Constitution has given that direction, to do justice, social and economic, as has been said by my several friends including myself, to the people. Most of the people in whose hands the minorities have been reduced to bones and ashes, as the figures show, they are entrusted to do justice to these people by working out details in preference to their sons, their nephews, by setting out of nepotism and their corrupt empire. I want to know precisely what instructions and details will be or has been given by the Government for these minorities to get their due share in the Railway services and within what time.

This problem of discrimination in services has become a serious problem, not only in the States but in the Government of India also. Some figures have already been given by Shri Samar Guha, as they stood on 31-3-71. It will shock the conscience of the nation. About four months or so back, a deputation gave me the very same figures. I passed them on to the Prime Minister with a letter. She has not written back to me till today that they are wrong figures. I will place a copy of that in the Library and hand over a copy to my esteemed friend, Shri L. N. Mishra, so that he can pass it on again to the Minister of Home Affairs. One friend was asking what did I do. On 31-3-1971, I was not even a few months' old as Minister. Even then this document will show the highest percentage of Muslims has been in the Ministry of Industrial Development, which is five per

cent as against Education 0 per cent, Law 0 per cent, Parliament Affairs 0 per cent, Defence 0.7 per cent—the Defence Services which had the honour of having Abdul Hamid, Gen. Usman and Gen. Sheikh, who made supreme sacrifices for this country in the war against Pakistan.

17 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: How is it you have these figures so ready on hand?

SHRI MOINUL HAQUE CHOUDHURY: These figures came in the newspapers. I gave these very figures to the Prime Minister about four months ago with a covering letter, but till today the Prime Minister has not written back to me saying that these figures are wrong. I am placing a copy of it, as I said, Mr. Deputy-Speaker, on the Table of the House and I will be passing on one copy to my friend, Shri L. N. Mishra. Let them check up and say that these figures are wrong; let them give the correct figures; I have no objection....

SHRI KARTIK ORAON: What did you do when you were the Minister of Industrial Development? How many Schedules Castes and Scheduled Tribes and minorities were taken?

SHRI MOINUL HAQUE CHOUDHURY: I was Minister only for 14 months. (*Interruptions*) I was not unjust. Nobody ever brought any charge of discrimination against me.

My friend, Mr. Stephen, spoke about the debate in the Constituent Assembly. I recall before the House, the representative of the Indian Muslims in the Constituent Assembly, Sir Mohd. Sadullah, and the other Muslim representatives voluntarily gave up the demand for reservation for Muslims in services in the Constitution of India. Today also we are not asking for reservation but for justice. But if one limb is week, the whole body becomes week. If you say that there is no discrimination, what have you done in the shape of scholarship, training and other facilities to help them to come up and to get into the services? The average intake of Muslim in the IAS and IFA is one man or half a man per year out of nearly 200 or so who are recruited each year. Do not force them to be in the hands of the politicians who would lure them to demand reservation. I am not in favour of reservation.

I, therefore, appeal to the House and through the House to the Government and the nation to avoid such a catastrophe by meting out generous treatment to all the minorities.

MR. DEPUTY-SPEAKER: About the paper you wanted to lay* on the Table, you can hand it over to me for examination.

Mr. Atal Bihari Vajpayee.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता, यदि इस विवाद का दायरा केवल रेलवे मंत्रालय तक सीमित न रहता। नौकरियों का प्रश्न केवल एक मंत्रालय का प्रश्न नहीं है। यह भी जरूरी था कि जो प्रस्ताव सदन के विचाराधीन है, उस में परिगणित जातियों और परिगणित जन-जातियों के सवाल को भी प्रमुखता के साथ रखा जाता।

17.06 hrs.

[SHRI N. K. P. SALVE *in the Chair*]

सभापति महोदय, हमारे संविधान के मूल अधिकारों में इस बात की गारन्टी की गई है कि सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। संविधान में यह भी कहा गया है कि "केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उदभव, जन्म-स्थान, निवास अथवा इन में से किसी के आधार

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission the document was not treated as laid on the Table.

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा।" यदि किसी नागरिक के साथ मजहब, भाषा, प्रदेश या जन्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो वह संविधान का उल्लंघन है और उस नागरिक को अधिकार है कि वह ऐसी व्यवस्था को चुनौती दे सके, अदालतों का दरवाजा खटखटा सके।

सब नागरिकों की समता कोई इस संविधान की ही देन नहीं है। वस्तुतः इस देश में कभी उपासना पद्धति के आधार पर भेदभाव या पक्षपात करने की परम्परा नहीं रही है। यहां तो इस बात पर बल दिया गया है कि यद्यपि सत्य एक है, किन्तु विद्वान लोग भिन्न भिन्न रूपों में उस की व्याख्या कर सकते हैं—परमेश्वर एक है, किन्तु उस की प्राप्ति के अलग अलग मार्ग हो सकते है।

इस लिए 1947 के बाद, जब मज़हब के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, हम ने एक असाम्प्रदायिक राज्य के निर्माण का फ़ैसला किया। इस देश में बहुसंख्या यदि चाहती, तो वह ऐसा संविधान बना सकती थी, जिस में भेदभाव होता, या पक्षपात होता। लेकिन वह न केवल हमारी स्वतंत्रता के संग्राम की भावना के प्रतिकूल होता, बल्कि वह हमारे जीवन मूल्यों और हमारे सांस्कृतिक आदर्शों के भी खिलाफ़ होता।

प्रश्न यह है कि संविधान पर अमल किया जा रहा है या नहीं। यदि किसी के साथ इस लिए भेदभाव हो रहा है कि वह मुसलमान है, तो भेदभाव ग़लत है, अनुचित है, असंवैधानिक है, अन्यायमूलक है और हमारी संस्कृति के भी खिलाफ़ है। अभी कुछ आंकड़े दिये गये और वे चौंकाने वाले हैं। यह मैं मानता हूं कि इन आंकड़ों से यह सिद्ध नहीं होता कि कोई भेदभाव है, क्योंकि भेदभाव सिद्ध करने के लिए हमें सारे मामले में ज़रा और गहराई से जाना पड़ेगा। अच्छा होता, अगर श्री मोइनुल हक चौधरी—उन्होंने अच्छा भाषण दिया है; उस दिन वह ज़रा उत्तेजना में थे—कुछ ऐसे उदाहरण भी सामने लाते कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए नहीं लिया गया कि वह एक विशेष मजहब को मानने वाला था। अगर ऐसे उदाहरण हैं, तो वे सारे शासन के लिए कलंक हैं, सारे देश के लिए कलंक हैं।

हम मजहब जाति जन्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं चाहते और अगर भेदभाव हो रहा है तो उस का निराकरण होना चाहिए। हमारे संविधान ने केवल शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए रिज़र्वेशन की व्यवस्था की है। खेद का विषय है कि वह रिज़र्वेशन भी पूरा नहीं हो रहा है। अभी आप जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि प्रथम श्रेणी में रिज़र्वेशन है या नहीं। मेरा निवेदन है कि रिज़र्वेशन है—शेड्यूल्ड कास्ट के लिए पन्द्रह प्रतिशत और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए साढ़े सात प्रतिशत—

—Direct recruitment on All India basis by open competition through the UPSC or by means of open competition tests to be held by any other authority: Scheduled Castes 15 per cent; Scheduled Tribes 7 1/2 per cent reservation.

यह मैं सरकारी प्रकाशन से पढ़ रहा हूं। स्पष्टतः प्रथम श्रेणी में रिज़र्वेशन है। लेकिन इस रिज़र्वेशन की तुलना में जो नियुक्तियां हुई हैं वह निराशाजनक हैं।

मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि योग्यता के स्तर को बनाए रखते हुए इस संरक्षण को भरने के लिए अधिकारी नहीं मिल सकते। प्रयत्न होना चाहिए। इस दिशा में एक अभियान करना जरूरी है। मैं सुझाव दूंगा कि अभी जितना रिज़र्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए पूरा नहीं हुआ है, जो स्थान खाली पड़े हैं, उन को भरने के लिए आप एक विशेष अभियान

चलाइए, नई भर्ती करिए जो योग्यता का विचार कर के उन को ले ।

जैसा कई सदस्यों ने कहा कि क्लास फोर एम्प्लाईज के लिए योग्यता का कोई बड़ा प्रश्न नहीं है । आप को सुन कर ताज्जुब होगा, रेल मंत्रालय में क्या हो रहा है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्य के नाते हम लोग दौरा कर रहे थे । मुझे एक केटरिंग डिपार्टमेंट के इंसपेक्टर मिले । वह शेडयूल्ड कास्ट के हैं । वह कैटरिंग में, पाकशास्त्र में पारंगत हैं । षटरस व्यंजन बनाने में निपुण हैं । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और रेल मंत्री महोदय, इन के प्रशंसापत्र उन्हें प्राप्त हैं । लेकिन वह क्लास थ्री में सड़ रहे हैं । जब वह क्लास टू में जाने की कोशिश करते हैं तो उन से कहा जाता है कि बी० ए० का सर्टिफिकेट दिखाओ । मैं पूछना चाहता हूं कि क्लास टू में जाने के लिए बी०ए०के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। कैटरिंग और बी० ए० के सर्टिफिकेट का क्या सम्बन्ध है । क्या बी ए के सर्टिफिकेट को सब्जी में डालकर या अचार का भाग बनाकर रेल मंत्री को परोसा जायेगा । वह अधिकारी मुझे मिले तो बड़े द्रवित हृदय से उन्होंने कहा कि मैं परिगणित जाति का हूं मुझे मैट्रिक पास करने का भी मौका मिला तो मैं बी०ए० का सर्टिफिकेट कहां से ला सकता हूं ? लेकिन मैं क्लास थ्री में काम कर रहा हूं, क्लास टू में मुझे जाना चाहिए । मेरी कैटरिंग में योग्यता देखी जाये । लेकिन वह नहीं देखी जाती है । मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री महोदय इस मामले को देखें । इस तरह से बहुत से मामले हैं । शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए संरक्षण व्यवस्था की गई है लेकिन उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न नहीं किया जा रहा है । इस संबंध में ध्यान देना होगा ।

दूसरी बात यह है कि बैकवर्ड क्लासेज के लिए आप ने भी उल्लेख किया था, हमारे संविधान में विशेष व्यवस्था है । मुझे शिकायत है सरकार से कि राष्ट्रपति महोदय अगर चाहें तो आर्टिकिल 340 के अंतर्गत कुछ वर्गों को पिछड़ा हुआ घोषित कर सकते हैं । काका कालेलकर कमीशन के प्रतिवेदन में इस तरह की सिफारिशें भी की गई थीं । शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्ज के अलावा और जो लोग पिछड़े हुए हैं, उन्हें भी नौकरियों में स्थान दिए जा सकते हैं, अगर उन्हें पिछड़ा हुआ घोषित कर दिया जाये और आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर उन को प्राथमिकताएं दी जा सकती हैं । कई राज्यों के बारे में उल्लेख हुआ कि वहां ऐसा किया गया है । केन्द्र में ऐसा नहीं किया गया है । काका कालेलकर की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई है । उस के अनुसार बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट नहीं बनाई गई । जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए ।

अब मैं एक नाजुक मामले पर आना चाहता हूं । माइनारिटीज का क्या मतलब है ? मैं लिंग्विस्टिक माइनारिटीज समझ सकता हूं जैसे असम में बंगला भाषा भाषी एक भाषाई अल्पसंख्यक हैं । मैं रलीजस माइनानारिटीज भी समझ सकता हूं जिन का मजहब अलग है, जिन की उपासना पद्धति के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए । कानून के सामने समान व्यवहार मिलना चाहिए । और पोलिटिकल माइनारिटी में तो हम लोग हैं ही । यह पोलिटिकल मेजारिटी हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है, सभापति महोदय, आप जानते हैं । प्रश्न यह है कि नौकरियों के सवाल को हम किस नजर से देखें ? अभी हमारे मित्र श्री मोईनुल हक चौधरी मुसलमानों की बात कर रहे थे । आप जब बोल रहे थे आपने ईसाइयों की बात की । हमारे देश में सिख भी अल्पसंख्यक हैं । पारसी भी......

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : खबरदार ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी मैं चाहूंगा कि और माइनारिटीज़ भी यही रवैया अपनाएं।

जैन भी अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध भी अल्पसंख्यक हैं, पंजाब में आर्यसमाजियों को सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिलाने के लिए अल्पसंख्यक घोषित किया है।

एक माननीय सदस्य : वह लिंग्विस्टिक माइनारिटी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर वे आर्य समाजी हैं। पंजाब में आर्य समाजी अल्पसंख्यक हैं। जम्मू काश्मीर में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में बहु-संख्यक कौन हैं ? यह देश तो माइनारिटीज़ का देश मालूम होता है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हृदय पर हाथ रख कर यह कहने के लिए तैयार हैं कि हम हिन्दू हैं और हमें हिन्दू कहने में गर्व का अनुभव होता है ? हम भारतीय हैं, यह गर्व का विषय है। लेकिन हम काश्मीरी हैं, हम तमिल हैं, हम कन्नड़ हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, ... (**व्यवधान**) ..... ब्राह्मणों में भी वाजपेयी हैं... (**व्यवधान**) ......चित पावन हैं। मैं जानना चाहता हूं कि माइनारिटी और मेजारिटी के सवाल को हम किस सीमा तक ले जाना चाहते हैं?

श्री अम्बेश (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं बताता हूं वाजपेयी जी को कि हरिजन जो है वह अपने को हिन्दू मानता है लेकिन ये नहीं मानते हैं। इन्होंने कहा कि हिन्दू कौन है तो मैं बताता हूं कि हरिजन अपने को हिन्दू मानता है, पर वाजपेयी जी अपने को नहीं मानते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम तो मानते हैं।

सभापति महोदय, माइनारिटी और मेजारिटी के सवाल को देखने के दृष्टिकोण को हमें स्वस्थ बनाना पड़ेगा। जिन की उचित शिकायतें हैं वह दूर होनी चाहिए, भेदभाव किसी के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता। मजहब जन्म या जाति के आधार पर पक्षपात का भी समर्थन नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को इसलिए नौकरी में नहीं रखा जाता कि वह मुसलमान है तो वह गलत है। लेकिन क्या किसी व्यक्ति को केवल इसीलिए नौकरी में रखा जाये कि वह मुसलमान हैं ?

मुझे खुशी है कि श्री चौधरी ने कहा कि वह रिजर्वेशन नहीं चाहते। लेकिन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आखिर जब रेल मंत्री कहते हैं कि अप्रोप्रिएट, ड्यू या फेयर रेप्रेजेन्टेशन होना चाहिए, उस दिन भी मैंने यह प्रश्न खड़ा किया था कि उस की कसौटी क्या होगी ? कब आप कहेंगे कि अप्रोप्रिएट हो गया ? कब कहेंगे कि ड्यू रेप्रेजेन्टेशन हो गया ? क्या उस को जनसंख्या के आंकड़ों से तुलना कर के नहीं देखा जायेगा ? क्या प्रोपोर्शनल रेप्रेजेन्टेशन इस में से नहीं निकलेगा ? अगर नहीं निकलेगा तो कोई चिन्ता का कारण नहीं है। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जो उपेक्षित हैं, अभी तक जिन को नौकरियों में स्थान नहीं मिले हैं वह स्थान पाएं। समाज के किसी वर्ग में यह भाव नहीं होना चाहिए कि उस के साथ न्याय नहीं हो रहा है, उस को शक की नजर से देखा जाता है, सरकारी नौकरियों के दरवाज़े उस के लिए बन्द हैं। लेकिन कहीं न कहीं लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी कि हम वहां तक जा सकते हैं और उस के आगे नहीं जा सकते हैं। अगर लक्ष्मण रेखा का उलंघन कर के जायेंगे तो फिर साम्प्रदायिकता का रावण इस हमारी राष्ट्रीयता को ग्रस लेगा, इस का अपहरण कर लेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि एक लक्ष्मण रेखा खींची जाय।

मैं एक बात और कहूंगा—नौकरियों का सवाल मूलतः आर्थिक सवाल है।

नौकरियां कम हैं और नौकरियां मांगने वाले ज्यादा हैं । साढ़े चार करोड़ बेकार हैं, लेकिन जब बढ़ती हुई बेकारी में किसी वर्ग के साथ भेदभाव होता है तो जो कट्टरपंथी नेतृत्व है, वह उस का लाभ उठाता है । मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि हमारे बहुत से मुसलमान भाई गुमराह किये जा रहे होंगे, उन को कहा जा रहा होगा कि हिन्दुस्तान में हमारे लिये जगह नहीं है और हो सकता है वे ऐसा कहने वालों के पीछे चले जायें, लेकिन इसके लिये मैं केवल उन को दोष नहीं दूंगा, दोषी तो हम हैं । इसलिये नौकरियों के अवसर बढ़ाने पड़ेंगे और देश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति में तेजी लानी पड़ेगी ।

यह भी आवश्यक है कि हम नौकरियों का विचार करते समय राजनीति को न आने दें । आज राजनीतिक दलों को किसी विशेष वर्ग के वोट प्राप्त करने की होड़ में नहीं पड़ना चाहिये । यह होड़ खतरनाक होड़ है, यह वोट दे सकती है, मगर यह देश को नहीं बना सकती । एक बार देश ने साम्प्रदायिकता के आधार पर विभाजन की विभीषिका देखी है । मुझे आश्चर्य है और सत्तारूढ़ दल से हमारे श्री मुइनुलहक़ चौधरी साहब के भाषण पर—उन्होंने कहा—पंडित जी ठीक थे, शास्त्री जी का राज-काज अच्छा चला, इन्दिरा जी भी दूध की धुली हुई हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि भेद-भाव हो रहा है—मैं पूछता हूं कि फिर यह भेदभाव कौन कर रहा है, क्या भारतीय जनसंघ कर रहा है—ये दोनों बातें साथ नहीं चल सकतीं.....

श्री मुईनुलहक चौधरी : मैंने यह नहीं कहा था, आप ने गलत सुना है । अगर आप चाहें तो दोबारा हिन्दी में बतला दूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है—जैसा आप ने भी दोहराया है, यह मामला बहुत नाजुक है । यह पार्टियों का सवाल नहीं है—यह राष्ट्रीय प्रश्न बन गया है । अगर हमारे कुछ मित्र अनुभव करते हैं कि मजहब के आधार पर भेदभाव होता है, तो उस की जांच होनी चाहिये, मैं उस का समर्थन करने के लिये तैयार हूं । हम किसी भी तरह के भेदभाव के पक्ष में नहीं हैं । लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं—चुनाव में वोट लेने के लिये हमारे सत्ता कांग्रेस के लोग मुसलमान भाइयों के साथ बहुत सहानुभूति प्रकट करते हैं, मगर उन्हें हिन्दुस्तानी के नाते नहीं देखते, इन्सान के नाते नहीं देखते हैं, खाली वोटर के नाते देखते हैं और वोटर भी फुटकर नहीं, थोक में देखते हैं, थोक वोटों का भुगतान चाहते हैं, साम्प्रदायिक नेतृत्व के साथ समझौता करते है, केरल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना कर सारे देश में साम्प्रदायिकता के जहर को फैलाने का पाप करते हैं—यह तरीका नहीं है मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्य-धारा में लाने का, उन के प्रति होने वाले अन्याय को मिटाने का । हम पहले राष्ट्रवाद के आधार पर आगे बढ़ें और फिर यदि कहीं भेदभाव या पक्षपात है तो उस को मिटाने के लिये तैयार हों । तब इस काम में मैं और मेरा दल आप का साथ देने के लिये तैयार हैं ।

श्री बी० पी० मौर्य (हापुड़) : आदरणीय सभापति जी, हजारों वर्षों की वर्ण-व्यवस्था और सैंकड़ों वर्षों की गुलामी ने देश के अतिसर्वहारा शोषित समाज को पीछे छोड़ दिया । उस का लगातार शोषण होता रहा, वर्ण-व्यवस्था के आधार पर होता रहा, दास्ता की जंजीरों में बंधे हुए समाज का शोषण होता रहा, लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, देश के नेताओं ने, देश के संविधान के विधाताओं ने एक विशेष व्यवस्था इस देश के अतिसर्वहारा समाज के लिये रखी । मैं अपने विचारों को रखने से पहले इस सदन के सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरह की विशेष व्यवस्था या कोई विशेष सुविधा किसी भी समाज को कानून के आधार पर मिले, इस में विश्वास

[श्री बी० पी० मौर्य]

नहीं करता हूं । कभी भी किसी समाज को हमेशा के लिये अपाहिज बना कर नहीं चलाया जा सकता, इस के लिये कोई न कोई समय निश्चित होना चाहिए ।

देश के संविधान में दो प्रकार के संरक्षण देश के संविधान वेत्ताओं ने रखे । एक संरक्षण था जो धारा (आर्टीकल) 330 और 332 के जरिए दिया गया—यह था—संरक्षण असेम्बली में और पालियामेन्ट में—जिस को मैं राजनीतिक संरक्षण कहता हूं । दूसरा संरक्षण था—जो सरकारी नौकरियों में रखा गया—आर्टीकल 335 के जरिये । जहां तक असेम्बली और पालियामेन्ट में संरक्षण का प्रश्न है, देश के संविधान वेत्ताओं ने इस को ज्यादा महत्व नहीं दिया था और चूंकि इस को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था, उन्होंने यह संरक्षण 10 साल के लिये रखा था । लेकिन बाद में उसे 20 साल के लिये किया गया और अब 30 साल के लिये किया गया, अभी कितना और बढ़ेगा मुझे मालूम नहीं है । लेकिन राजनीतिक संरक्षण रख कर देश को कभी भी एकता के बन्धन में नहीं बांधा जा सकता—यह देश का सत्ताधारी दल और देश के नेता जानें, लेकिन मैं इस को अच्छी नीति नहीं मानता हूं ।

जहां तक देश के संविधान वेत्ताओं का प्रश्न है, उन्होंने बहुत मजबूती के साथ आर्टिकल 335 पर जोर दिया था, जो शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये विशेष व्यवस्था रखता है, इस में कोई समय नहीं रखा गया था । चूंकि इस में कोई समय नहीं रखा गया था, इसी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि वह ज्यादा से ज्यादा सख्ती इस में करना चाहते थे—शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जिन को पढ़ने नहीं दिया गया, जिन को अपने विकास का मौका नहीं दिया गया, बड़े पद तो दूर रहे, दरबान तक नहीं बनने दिया गया, उन को संविधान के द्वारा रक्षण दे कर उन के अधिकार दिलाये जायें ।

लेकिन इस के सम्बन्ध में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है । हमारे मित्र श्री एस०एम० बनर्जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि प्रमोशन के इनीशियल स्टेज पर शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये रिजर्वेशन है, उस को पूरा करना चाहिये । मेरे ख्याल से उन्होंने 1965 और 1967 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा है, उन्होंने शायद 1968 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं देखा है । 1968 का फैसला शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बहुत ही खिलाफ़ जाता है । मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस फैसले को ध्यान में रखते हुए शड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए एक विशेष व्यवस्था करे, वरना शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की नियुक्ति कभी भी उन की संख्या के अनुसार सरकारी नौकरियों में नहीं हो सकेगी । मैं कोट कर के बतलाना चाहता हूं—

"In other words, in making provision for reservation of appointments or posts, the Government has to take into consideration not only the claims of the numbers of the backward classes but also the maintenance of efficiency of administration which is of paramount importance."

यह मैंने 1968 के ए०आइ०आर० के वाल्यूम 55, पृष्ठ 512 से कोट किया है । उन्होंने यही कहा है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के सरकारी नौकरियों के लिये जो अधिकार हैं, उन का इतना ऊंचा स्थान नहीं है, जितना ऊंचा स्थान एफिशियेन्सी का है । जिस के बारे में प्रो० गुह साहब भी कह रहे थे कि एफिशियेन्सी की कीमत पर फर्स्ट क्लास में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकार नहीं रखे जाने चाहिये . . .

प्रो० समर गुह : मैंने ऐसा नहीं कहा है ।

श्री बी० पी० मौर्य : श्राप ने कहा था—

Not at the cost of efficiency. Efficiency is paramount.

SHRI SAMAR GUHA: In a point of personal explanation. I have not said this at all.

श्री बी० पी० मौर्य : मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सरकारी नौकरी का सवाल है, जब पार्लियामेन्ट और असेम्बली के लिये जो रिजर्वेशन रखा गया है, इस में मेम्बरी एफिशियेन्सी की वजह से नहीं मिलती है तो यहां भी यह एक वेग इन्टरप्रटेशन किया गया है। इस लिये अब समय आ गया है—यदि आप चाहते हैं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ न्याय हो, उन को आबादी के लिहाज से स्थान मिले तो एक समय निश्चित होना चाहिये। मैं समय की बात इसलिए कह रहा हूं कि यह बुराई हमेशा के लिये नहीं चलनी चाहिये। कम से कम मैं तो अपने को शैड्यूल्ड कास्ट नहीं मानता, यद्यपि शैड्यूल्ड कास्ट का खून जरूर मेरी रगों में दौड़ता है, लेकिन मैं अपने को शैड्यूल्ड कास्ट नहीं मानता। मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं जो अपने को नीच कह कर वजीफ़ा मांगते हैं, अपाहिज कह कर सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि भारत में कभी भी ऐसी व्यवस्था रहे कि भारत का कोई भी नागरिक, बुद्धिजीवी अपने को अछूत, नीच कह कर कोई भी सुविधा प्राप्त करे।

यदि आप चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो तो जैसा कि अटल जी कह रहे थे, आप को एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। आप एक समय मुकर्रिर कीजिये कि फलां वक्त तक शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन पूरा हो जायेगा और जब रिजर्वेशन पूरा हो जाये, उसके बाद कोई भी सुविधा शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिये।

अभी यहां पर कई तरह के आंकड़े आये हैं—मैं उन में ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ आंकड़े क्लास 1 और क्लास 2 के जरूर देना चाहूंगा—क्योंकि उन का सम्बन्ध सीधे सीधे रिपोर्ट आफ़ दी कमिश्नर फ़ौर शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स, 1970 की सिफारिशों से है। उस में कुछ सिफारिशें की गई हैं। इसलिये मैं क्लास 1 और क्लास 2 के बारे में कहना चाहूंगा उस में शैड्यूल्ड कास्ट्स 3,252 में से 126 और शैड्यूल्ड ट्राइब्स 17 हैं। शैड्यूल्ड कास्ट्स का परसेंटेज 3.87 सैंकड़ा है और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का .52 सैंकड़ा है। दूसरी क्लास में 4,964 में से शैड्यूल्ड कास्ट्स 174 हैं जिन का परसेंटेज 3.51 सैंकड़ा है और शैड्यूल्ड ट्राइब्स 23 हैं जिन का परसेंटेज .46 सैंकड़ा है।

यहां पर हमारे उप-मंत्री कह रहे थे कि क्लास 1 और 2 में शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिये रिजर्वेशन है, मेरा कहना यह है कि आप के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह वकालत की थी कि हमारे यहां क्लास 1 और 2 में शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है और इसीलिये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है, और उस राय के रहते हुए कोई भी रिजर्वेशन नहीं हो सकता जब तक कि आप कोई विशेष अपना सर्कुलर जारी न करें। मैं फिर से कोट कर रहा हूं ए० आई० आर० 1968, वौल्यूम 55, पेज 540।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह आर्डर बाद का निकाला गया।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : क्लास 1 में है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 25 मार्च, 1970 का सरकार का आदेश है।

श्री बी० पी० मौर्य : यह रेलवे के लिये है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह सारी सेवाओं के लिये है।

श्री शम्भूनाथ (सैदपुर) : यह डायरेक्ट रेक्रूटमेंट के लिये है और रिज़र्वेशन डायरेक्ट रेक्रूटमेंट के लिये क्लास 1 में है। लेकिन वार्ड प्रोमोशन में क्लास 1 के लिये रिज़र्वेशन की बात नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

SHRI B. P. MAURYA: It says:

"Grievance was also made by Mr. N. C. Chatterjee that there is discrimination between Class I and Class II where there is no reservation and in Class III and Class IV where reservation has been made for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The respondent stated in the counter-affidavit—"

'Respondent' means the Railways—

"that in Class I and Class II posts, a higher degree of efficiency and responsibility was required and therefore reservation was considered harmful so far as Class I and Class II are concerned."

यह सुप्रीम कोर्ट के सामने वहां बहस हुई। तो इस के बारे में भी एक विशेष सर्कुलर मंत्री महोदय निकालें। यह सर्कुलर निकालिये कि क्लास 1 और 2 में भी रिजर्वेशन रहेगा। तीसरी श्रेणी से प्रोमोट किये जाते हैं दूसरी श्रेणी में अगर आप आंकड़े देखें तो शैड्यूल्ड कास्ट का परसेंटेज 8.7 सैंकड़ा है और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का बहुत कम परसेंटेज है। लेकिन क्लास 2 में 3.5 सैंकड़ा है। इस का अर्थ यह है कि जब प्रोमोशन किया जाता है तो उस में जो कमिश्नर की रिपोर्ट है उस का ध्यान नहीं रखा गया है। इन का जो प्रोमोशन का सिस्टम है वह भी डिफ़ेक्टिव है। शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमिश्नर की जो इसी साल की रिपोर्ट है उस ने सिफारिश की है 48 नम्बर की उस को अगर अपने महकमे में लगा देंगे तो काफ़ी सुविधा शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों को मिल जायेगी। पन्ना 171 में वह लिखते हैं:

"In accordance with the orders issued by the Ministry of Home Affairs, the field of choice for promotion by selection is to be decided by the Departmental Promotion Committee in each case, and wherever possible to extend the zone of consideration to five or six times the number of vacancies expected in a year. The element of discretion implied in the orders should be done away with and it should be made obligatory on the part of the appointing authorities to fix the zone of consideration for promotion by selection up to five or six times the number of vacancies anticipated in a year so that the prospects of promotion for Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons are enhanced. It is hoped that a decision would be taken soon."

This is recommendation No. 1948.

इस सिफारिश को अगर आप लगा देंगे तो मेरा ख्याल है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स का जो परसेंटेज है क्लास 1 और क्लास 2 में भी बढ़ जायगा।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव है कि जब तक आप धारा 535 का संशोधन न करें तब तक कोई भी शैड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये रिज़र्वेशन नहीं रह गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है :

It is not the claim of the Members of the Scheduled Castes for Government service or post which is paramount; it is efficiency which is paramount; it is not their claim. Because it says 'consistently with the maintenance of efficiency of administration'.

इसलिये मेरा सुझाव है कि संविधान का संशोधन होना चाहिये और इस में से यह

Who are the Scheduled Castes? Those who are socially and educationally backward. It should be like this; Scheduled Castes are those who are socially, educationally and economically backward.

पोर्शन

डिलीट हो जाना चाहिये तभी आप उन के साथ न्याय कर सकते हैं ।

आप के रेलवेज में पर्सोनल आफ़िसर हुआ करते थे जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स तथा दूसरी माइनारिटीज की देख भाल किया करते थे । आप ने उन अधिकारियों को हटा दिया । अगर आप दोबारा रख दें तो फिर से इन जातियों के हितों की रक्षा हो सकती है ।

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि जैसा माननीय वाजपेयी जी ने कहा था मैं उस बात का समर्थन करना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि स्पेशल रेक्रूटमेंट कर के शेड्यूल्ड कास्ट्स का कोटा पूरा किया जाये । इस तरह से वक्तन-फ़वक्तन इस तरह के रेक्रूटमेंट होना चाहिये, यह शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट में भी जो सिफारिश नम्बर 39 और 40 है उस में भी कहा गया है कि 50 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग उस वक्त तक प्रोमोट और रेक्रूट किये जाने चाहिये जब तक उन का रिप्रेजेन्टेशन पूरा नहीं हो जाता है । अगर इस को मान लेते हैं तो इस से बहुत कुछ शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की समस्या एक निश्चित समय में ही हल हो जायेगी । लेकिन इन के साथ ही एक सुझाव जरूर देना चाहता हूं और वह यह कि शेड्यूल्ड कास्ट्स कौन हैं ? आपने संविधान में कहा है कि दोज हू आर सोशली ऐंड एजूकेशनली बैकवर्ड । मैं यहां इस से सहमत नहीं हूं । आप को शेड्यूल्ड कास्ट्स की परिभाषा में एक शब्द और जोड़ना चाहिये क्योंकि आज वह परिभाषा आउट आफ डेट हो गई है, कि दोज हूं आर सोशली, एजूकेशनली ऐंड इकोनामिकली बेकवर्ड । आज क्या हो रहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स की तमाम सुविधायें उन लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं । जसे मेरा ही परिवार है, मेरे परिवार में 30 गजटेड अफ़सर बन गये । एक जाति और उस जाति में से भी एक परिवार । आज बाबू जगजीवन राम जी की लड़की आई०ए०एस० बन सकती है, लेकिन घास खोदने वाले की, जो चमारिन है, वह आई०ए०एस० नहीं बन सकती है क्योंकि उस को वे सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जो माननीय जगजीवन राम की लड़की को या मेरी बेटी और भाईयों को हैं । मेरी बेटी और भाई आई०ए०एस० बन सकते हैं क्योंकि वह तमाम सुविधायें उन को प्राप्त हैं जो और लोगों को नहीं हैं । इसलिये अगर आप चाहते हैं कि अतिसर्वहारा समाज को इस का लाभ पहुंचे तो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की परिभाषा को बदलना पड़ेगा । ऐसे शेड्यूल्ड कास्ट जो पैसे वाले हैं, लखपती और करोड़पति हैं, जो शिक्षा में पीछे नहीं हैं, अगर आप उन को भी शेड्यूल्ड कास्ट मानते हैं तो जिन अति-सर्वहारा समाज के लिये आप ने यह सुविधा रखी है उस का कोई भी लाभ उन्हें पहुंचने वाला नहीं है ।

एक कंट्रोवर्सी उठ गयी थी इसलिये मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर कोई चमार हैं, भंगी है वह दाढ़ी रखा लेता है तो उस को तमाम सुविधा मिलेगी । अगर शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी एक भंगी या चमार अपनी सूरत और सीरत बदल ले, सूरत क्योंकि दाढ़ी रख ले, सीरत क्योंकि तलवार लटका लेता है, तो उस को आप सुविधा देंगे । लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी बजाये और कुछ करने के अगर बौद्ध हो गया, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, दाढ़ी नहीं रखता, तलवार नहीं लटकाता उस को आप वे तमाम सुविधायें नहीं देते हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट के सिख को देते हैं । यह संविधान में व्यवस्था होनी चाहिये, जहां हिन्दू के साथ आप ने सिख को जोड़ा है वहां हिन्दू के साथ आप को बौद्ध को भी जोड़ना पड़ेगा । यह बहुत ही गम्भीर विषय है, इस पर भी आप का ध्यान जाना चाहिये । मेरा विश्वास है कि सत्ताधारी दल और विरोधी दल इस सत्य

[श्री बी०पी० मौर्य]

और तथ्य की ओर ध्यान देंगे ताकि यहां पर कोई भी उन पर जुल्म न होने पाये। या उन की सुविधा न छिन पाये जो कि अपने को किसी विशेष कारणों की वजह से, समाज के शोषण की वजह से भगवान बुद्ध में विश्वास करके बौद्ध हो जाते हैं। क्योंकि यह बहुत गलत परम्परा डाली जा रही है।

मैंने पहले ही कहा जहां तक राजनीतिक संरक्षण का सवाल है हम इस बात में विश्वास करते हैं कि राजनीतिक संरक्षण, कभी भी राष्ट्रीय एकता को नहीं बढ़ा सकता चाहे वह राजनीतिक संरक्षण किसी भी समाज को क्यों न हो। इसीलिये हम उस का विरोध करते हैं। मैं यह सुविधाओं की बात कर रहा हूं स्कूल में वजीफ़ों की, पढ़ाई लिखाई की, आर्थिक व्यवस्था की, सरकारी नौकरियों की। मैंने राजनीतिक संरक्षण की बात न कभी जीवन में की और न करना चाहता हूं, न कभी करूंगा क्योंकि वह राष्ट्रीय एकता में एक बहुत बड़ा अनिष्ठ करता है।

यहां पर एक विषय आ गया, बहुत सी तरह तरह की मिसालें दी गयीं। मैं उन पर कोई हमला करना नहीं चाहता हूं, बुरी भावना से नहीं कहना चाहता हूं एक यहां पर इतिहास बना पंद्रह अगस्त 1947 को। इतिहास के पीछे कुछ कुरीतियां हैं, कुछ जुल्म हैं, कुछ अपराध हैं, राष्ट्रीय द्वेष है। उनके कारण से एक समाज को बहुत बड़ा नुक्सान पहुंचा। उस इतिहास को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि आज उनकी आबादी के लिहाज से उनको नौकरियां नहीं मिली हैं। मैं यह भी मानता हूं कि वे इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिये कि अगर मिनिस्टर नहीं रहे तो टेलीफोन डायरेक्टरी से निकाल निकाल कर आंकड़े देने लग जाएं। यह शोभा नहीं देता है। यह एक राजनीतिक समस्या थी। जब श्री मोइनुल हक चौधरी कैबिनेट में थे तब क्या उन्होंने इसको उठाया। जो मुसलमान राष्ट्रपति बनता है वह अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, जो मंत्री बनता है वह अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, जो जनरल सैक्रेटरी बनता है वह अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता और हां में हां मिलाता है लेकिन जब राजनीतिक सत्ता हाथ से चली जाती है तब अपनी गद्दी के लिए चिल्लाता है। यह शोभा नहीं देता है। आज वक्त बहुत नाजुक है। नाजुक वक्त में ऐसी कोई भावना देश में पैदा न की जाए जिन की वजह से कुछ लोगों के अन्दर उत्तेजना पैदा हो जाए। मेरा विश्वास है है कि सदन में साधना के साथ इस पर आगे चर्चा चलेगी, शान्ति के साथ आगे चर्चा चलेगी।

SHRI MOINUL HAQUE CHOUDHURY: On a point of personal explanation, Sir. My friend asked what I did during by period as minister. I hope he knows that every minister takes an oath of secrecy when he assumes office. Therefore, I am not entitled to tell this House what I did as minister. If he wants to know it, he may kindly obtain the permission of the Prime Minister and the President. Then certainly I will make that statement in the House as to what I did and what I did not.

MR. CHAIRMAN: There are quite a few opposition members and ruling party members also who want to speak. So, if they have to participate it is impossible to finish the debate by 6 o'clock. I want to take the sense of the House as to when the minister is to be called.

SOME HON. MEMBERS: Tomorrow.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): May I suggest that the minister may be called at 6-30 or 6-40? That will give us 1 hour more for the discussion.

MR. CHAIRMAN: Do I take it that the minister is to be called at 6.30 and that is the sense of the House?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

श्री शम्भू नाथ : इस तरफ से जिनकी लिस्ट आपके पास आई है आप उन्हीं लोगों को बुलाएंगे । लेकिन कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिन की सफाई बहुत आवश्यक है । अभी माननीय सदस्य ने पोलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में बात की है और गलतफहमी पैदा कुछ उससे हुई है । उसकी सफाई जरूरी है । आप हम लोगों को भी मौका दें ताकि हम जवाब दे सकें ।

SHRI S. M. BANERJEE: The Minister may reply tomorrow. I request that the Prime Minister must intervene in this discussion and assure the House.

MR. CHAIRMAN: The debate must conclude today. Shri Piloo Mody.

SHRI PILOO MODY (Godhra): Mr. Chairman, Sir, to begin with, I must clarify the remarks that I made as I was leaving, and you were actually good enough to yield your place, when I said "this is how minorities are treated in this country". I want to make it quite clear that I was referring to only a political minority and not to any other type of religious or other minority at all. I also want to make it quite clear that I do not consider myself a member of the minority at all. As a matter of fact, I think I own this country, and I am quite prepared to share it with all of you, my colleagues over here.

SHRI S. M. BANERJEE: The country disowns you.

SHRI PILOO MODY: Just because you have disowned your country, there is no reason why this country should disown me.

However, there are certain facts that have been revealed that are, to say the least, shocking. It is no point carrying on talking about principle, talking about what should have happened, what should happen, whether a minority is there or not, what is proper or what is adequate. Nor is it necessary that my learned friend over there should quote chapter and verse from the Supreme Court judgments as to how particular sections of the people were discriminated, or not discriminated against, as per the dicisions of the Supreme Court. I think with all due deference all this is terribly irrelevant.

For once I would like to say that what today Shri Atal Bihari Vajpayee said made a lot of sense and his premise, which premise I have accepted a long time ago, is that this country is a country of minorities. Anybody who runs away with the idea that there is a majority in this land, as indeed Shri Vajpayee has done for so many years, should be brought down to his senses. This is a country of minorities and there is no majority in this country. The mentality of our people is the mentality of a minority, but the facts that have been disclosed, the figures that have been disclosed, make shocking reading. It merely indicates that there is a particular section of the people in this country, to be exact the Muslim community which, for some reason or the other—there may be historical reasons or there may be other reasons --have been discriminated against and this is a shame and a blur on the reputation, honesty and integrity of our country and particularly of the administration and the Government that has been running this country. Any crude attempt to side-step this responsibility must meet with the severest condemnation. This discrimination has been there and I can easily explain why this discrimination has been there.

It is for this very reason that my party and I for the last fourteen years have been advocating, even at the risk of facing unpopularity, that we must make friends with Pakistan. Because, in my analysis, this is at the base of all the antagonisms, all the discrimination; everything else flows from it against a particular community in this country. It is in our national interest because we cannot have a minority of 6 crores to 7 crores of people as a festering sore on our national policy. We have to find out why such a situation has arisen and do something to eradicate the root cause. It is with this idea we say that we must make friends with Pakistan in our own interest, today particularly when our delegations are still hamstrung over there in Islamabad at the moment.

AN HON. MEMBER: They have come back.

SHRI PILOO MODY: Even if they have come back, they have come back with an empty basket. I hang my head in shame. (*Interruptions*). I have no inside information. I read only the papers; I do not get my information from the kitchen. Therefore, I feel, whatever the results may have been, the process is too slow. I think, all of us in this House, at any rate, should be apprised of this fact that this festering sore on our Indian polity is very largely the result of our relationship with Pakistan and the sooner we bring an end to the hostility of a quarter of a century, the easier it will be for one particular minority in our country to assimilate their differences with the rest of the population.

As far as injustice is concerned, we have created a society based on injustice, whether it is jobs, whether it is licences, whether it is opportunities, whether it is education, whether it is anything else. Nothing works in this country without corruption, without nepotism, without one thing or the other which loads the dice against an honest, straight-forward man in the country.

To a very large extent, a great deal of this disproportionate employment that has been going on is the result of the fact that we are all in this country communal-mineded. If a Brahmin gets into a job, he will surround himself with all Brahmins; if a Kshatriya gets into a particular job, he will surround himself with all Kshatriyas and so on and so forth. But the initial disadvantage that the Muslims started with has never been overcome because not enough Muslims have ever got into positions where they could surround their entire environment with only Muslims. This is the way this country works, with crass nepotism, somebody getting his brother-in-law employed, somebody getting his sister-in-law employed and somebody even getting his daughter-in-law employed, this is a sort of society we have created. But as a result of all this, I would say, the bum end of the stick has finally been held by the Muslim community which is something to be ashamed of and which should be eradicated in the quickest possible period of time.

When I listen to the replies given by the Minister, when I listen to the explanations given by him, when I listen to the theories expounded by him, as to why this situation has occurred, I begin to wonder whether he is really serious, whether he thinks that the problem is serious enough, whether he realises that they have to do something on a very emergency basis, on a war footing, to bring about a certain degree of equity.

As everybody else has said and I also say, I am totally against reservations. I am against reservations because, in the long run, it merely helps to discriminate. I am against reservations for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes although I realise the immediate economic and social necessity for a particular provision to prevail for a particular period of time. But when you say, a thing should prevail for a particular period of time, there must be governmental and administrative action backing it up so that you protect the things that you are trying to protect. Otherwise, you will go on protecting things for all time to come and allow it to become a vested interest such as it has become today in our country. We cannot allow such vested interests to be created.

For instance, you take the applications for jobs. Has this Government realised yet that you should not be allowed to apply with your name, your caste, your religion or even your sex? All applications should be anonymous based on a number system and merit should be the only consideration. Yet nobody in the administration has either propounded it or has given a serious thought to it, even as a pilot project, even on a small-scale, to demonstrate that we want a society based on merit. But merit is meaningless unless there is equality of opportunity to back it up. And there, I think, was the only pertinent point that Mr. Maurya made in his speech; in conclusion he said, and the word 'educational'. Am I correct?

SHRI B. P. MAURYA: 'Economical'.

SHRI PILOO MODY: Economics flow from education.

Sir, what is basic is the lack of educational facilities to the economically depressed people in this country. Therefore, unless this Government can make a special provision for educational facilities for economically backward people, there can never be any equality of opportunity and hence any society based on merit.

I commend these ideas to you and in particular I appeal to the Railway Minister that he must, as an example to the rest of the country, rectify in his own Department—because that is what we have been allowed to discuss today—the injustice of 25 years.

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, जिस विषय पर आज यह बहस हो रही है, मैं समझता हूं कि उस पर और विस्तार से बहस करने की जरूरत है। (**व्यवधान**) उस पर फिर कई दिन चर्चा की जानी चाहिए। इस देश में यह गम्भीर विषय है और यह किसी एक मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है। आज हमारे देश में प्रशासन की जो व्यवस्था है, प्रशासन में भर्ती के जो नियम हैं, प्रशासन में जिस तरीके के लोग आज जा रहे हैं, अगर हम इस बारे में एक काम्प्रिहेंसिव तरीके से ग़ौर करें, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह किसी एक मजहब विशेष, या जाति विशेष, के लोगों की बात नहीं है।

यह सही है कि जो हमारे समाज में ग़रीब तबके के लोग थे, जिन को हजारों सालों से इस बात का अवसर नहीं मिला था कि वे अपने देश की राजनीति, प्रशासन और आर्थिक जीवन में अपना हक और न्याय पा सकें, आजादी के बाद उन में यह भावना जगी। आजादी के बाद जिस तरह का संविधान हम ने दिया, जो नीतियां, कार्यक्रम और उद्देश्य हम ने अपने राष्ट्र के सामने रखे, उन को देखते हुए हमारे लिए यह जरूरी हो गया है कि हम समाज के उन वर्गों और हिस्सों की तरफ़ ध्यान दें, जो हजारों सालों से अपने इन अधिकारों से वंचित रखे गये थे। और इसीलिए आज हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि इस समस्या को किसी एक मजहब या जाति के दृष्टिकोण से देखना ग़लत है। हिन्दू इस देश में सब से बड़े बहुमत समाज के लोग हैं, लेकिन 82 फ़ी सदी हिन्दुओं में भी मुश्किल से दस फ़ीसदी लोग ऐसे मिलेंगे, जिन के बेटे-बेटियां प्रशासन पर छाये हुए हैं। मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करता हूं; और मैं उन परिवारों की बात करता हूं, जो आर्थिक रूप से सम्पन्न रहे हैं, जिन को शिक्षा का अच्छा अवसर मिला है। अगर आप देखें कि पिछले पचास वर्षों में आई० सी० एस०, आई० ए० एस०, आई० एफ० एस० और दूसरी क्लास वन सर्विसेज में कौन लोग चुने जाते रहे हैं, तो शायद आपको ताज्जुब नहीं होगा अगर आप को ऐसे दिलचस्प आंकड़े मिलें कि वे लोग उन्हीं परिवारों से सम्बन्धित रहे हैं जिन लोगों को इस देश के पब्लिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है, वे आई० एफ़० एस० आदि में नहीं चुने जाते हैं—शायद एक परसेंट भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे।

18.00 hrs.

यह तो किसी जाति या मजहब का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे देश में जो व्यवस्था है, हम उस के शिकार हैं। आज यह सवाल नहीं है कि अगर हमारे देश में हरिजन 12 फ़ी सदी हैं, तो उन के लिए 12 फ़ीसदी रिजर्वेशन हो अगर मुसलमान 11 फ़ीसदी हैं, तो उन के लिए 11 फ़ीसदी नौकरियां रिजर्व्ड हों। आज इस सदन में सवाल यह उठना चाहिए था कि हम इस देश में ऐसी व्यवस्था बनाने का निरन्तर प्रयास करें कि इस देश का जो भी युवक-युवती शिक्षा प्राप्त कर के स्कूल

[श्री चन्द्रजीत यादव]

या कालेज से निकलता है, उसे इस बात का हक है कि उसे नौकरी मिलेगी, काम का अवसर मिलेगा । क्या हम समझते हैं कि देश में ऐसे लोग इतने हैं जो बेकार होंगे ? आज सब से पहला सवाल इस देश के अंदर है, कोई चालीस पैंतालीस हजार इंजीनियर हमारे देश में बेकार हैं । उस में क्या इस बात का चिंता करेंगे कि कितने एक मजहब के हैं, कितने किस जाति के हैं या इस बात की चिंता करेंगे कि इतने बेकार इंजीनियर हैं जो इस देश की आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं, जो अपनी शिक्षा का लाभ राष्ट्र को दे सकते हैं, आज वह बेकार बैठे हुए हैं। क्या हम उस चालीस पैंतालीस हजार की चिंता नहीं करेंगे ? क्या वह आंकड़े जो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख या 1 करोड़, डेढ़ करोड़, बेकार लोगों के हैं, इतने लड़के और लड़कियां जो बेकार हैं क्या हम उनकी चिन्ता नहीं करेंगे ? आज सवाल हमारे सामने यह है कि और आज हमारी योजना ऐसी बन रही है, प्रयास हो रहा है कि हम उन को नौकरी किस तरह से दे सकें । इसी लिए मैं आप से कह रहा हूं कि आज हमारे देश के सामने जो प्रश्न है वह इस से ज्यादा गंभीर है और इस सवाल के ऊपर हमको जरा व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए । हम को जरा तंगजहनियत से ऊपर उठना चाहिए । मैं समझ सकता हूं कि आज प्रश्न है हमारे सामने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का । समाज का एक इतना बड़ा हिस्सा सदियों से जिस का शोषण हुआ आज उस के सामने नौकरियों से भी बड़ा सवाल है कि उस के रहने के लिए झोपड़ी डालने भर की जमीन भी उस की अपनी नहीं है। यह एक बड़ा भारी प्रश्न हमारे सामने है । हम ने इस साल इस बात का निर्णय किया था लेकिन आंकड़े जब निकाले गए तो मालूम हुआ कि इस देश में कम से कम एक करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन के लिए ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिस में वह यह कह सकें कि जिस मकान में हम रहते हैं वह उनकी अपनी जमीन पर है । आज हम को इस बात की चिन्ता

आज हम को उसी के साथ साथ यह देखना है, कि मैं यह नहीं कहता कि कोई सफाई दी जाय, लेकिन सरकार की नीयत के बावजूद, सरकार के निर्णय के बावजूद उस पर अमल नहीं हो रहा है । अभी जो रेल मंत्री जी ने कुछ अपने निर्देश दिए उस में साफ जाहिर है, उस से ज्यादा साफ और निर्देश नहीं दिए जा सकते, कहा गया है बराबर कि आप जब भर्ती करें तो इन जातियों को जो पिछड़ी हुई हैं, जिन के रिज-र्वेशन का प्रोविजन किया गया है उनका ध्यान रखें । मैं तो कहता हूं आप ने मुसलमानों के सवाल को उठाया, मैं मानता हूं इस बात को कि आज बदकिस्मती से ऐसे लोग हैं जो साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से भर्ती के समय सवाल रखते हैं । सरकार के अंदर कमजोरी हो सकती है । लेकिन इस मुल्क में जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, मैं जानता हूं कि आज हमारे देश में ऐसी ताकतें हैं जिनके कारण यही नहीं कि उनको नौकरियां नहीं मिलती बल्कि उन को रहने के लिए मकान तक नहीं मिलते हैं । मुहल्ले में उन से पूछा जायगा कि आप किस धर्म के मानने वाले हैं, किस जाति के हैं ? आज यह एक सच्चाई इस मुल्क में है, इस सच्चाई से, इस वास्तविकता से हमें इस मुल्क में लड़ना है । हमें अपने मुल्क के अंदर ऐसे तौर-तरीके और ऐसे हालात पैदा करने हैं जिस में ऐसी बातें यहां न हों । मैं जानता हूं कि बावजूद सरकारी निर्देशों के, वह निर्देश लागू नहीं हो रहे हैं । क्यों नहीं हो रहे हैं? आज केवल रेल मंत्रालय का एक सवाल नहीं है । रेल मंत्रालय से बदतर और कई मिनिस्ट्रीज़ का हाल है । किसी एक मंत्रालय या विभाग को

कटघरे में खड़ा करने का सवाल नहीं है । यह एक वास्तविकता है ।

इसलिए मैं कहता हूं कि आज तो एक सीमित बहस हो गई, एक मंत्रालय तक सीमित बहस हो गई, कुछ विशेष वर्गों तक सीमित बहस हो गई । लेकिन इस पर विचार करने की जरूरत है और मैं ऐसा मानता हूं कि 25 साल के बाद अगर सब से बड़ी कोई चीज हमारे सामने है तो वह यह है कि हमारे पूरे प्रशासन का स्तर क्या हो, हमारे प्रशासन का रवैया क्या हो । प्रशासन की बात जब मैं कहता हूं तो मैं पद्धति को कहता हूं । मैं जानता हूं हमारे प्रशासन में आज भी बड़े होशियार अफसर हैं जो विचारों में योग्यता में और दक्षता में दुनिया के और देशों के अफसरों के मुकाबिले में कम नहीं हैं । लेकिन जो नौकरशाही का तरीका है, जो प्रशासन का रूप है, जो व्यवस्था और पद्धति है वह हमारे देश की प्रगति में आम तौर से बाधा बन रही है और अगर वह अफसर बैठा हुआ है किसी जगह पर, अगर उस के विचार साम्प्रदायिक हैं, वह संकुचित दृष्टि से देखता है तो लाजिमी तौर पर सरकार के आदेश रखे रह जाते हैं, उन का पालन नहीं हो पाता है ।

अभी कहा गया है रेल मंत्री महोदय ने अपने मंत्रालय में इस के लिए एक सेल बनवाया है । शायद उन्होंने इस के लिए आदेश दिया है । लेकिन हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी है कि हम इस बात को देखें कि कम से कम हमारे जो निर्णय हैं वह कैसे लागू होते हैं । आज मैं आंकड़े देख रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि इसलिए कम है ऐसे लोगों की संख्या क्यों कि चालीस पतालीस प्रतिशत रेलवे के अंदर टेक्निकल आदमियों की जरूरत है । हम ने क्या इस बात का प्रयास किया है कि जिन के लिए हम रिजर्वेशन करते हैं उन के लड़कों को इस बात की सुविधा प्रदान करें जिस से यह टेकनिकल योग्यता हासिल कर सकें ताकि टेकनिकल नौकरियों में जा सके ? वरना उन के लिए बड़ी आसान बात है यह कह देना कि चूंकि इन के अंदर योग्यता नहीं है इसलिए हम भर्ती नहीं कर सकते । क्या हम को इन 25 सालों के अंदर यह नहीं करना चाहिए था कि वह वर्ग जिस को प्रशासन में स्थान नहीं मिल सका है उस के लिए हम विशेष शिक्षा का प्रबन्ध करते, कोचिंग क्लासेज लगाते, उन के लड़कों को हम चुन कर के उस के अंदर भेजते ? एक प्रयास होता, संगठित रूप से प्रयास होता । जब तक यह प्रयास नहीं होगा, आप बराबर आदेश देते रहिए, रिजर्वेशन करते रहिए, लेकिन अफसर और सेलेक्शन बोर्ड बराबर आप को इस तरह के जवाब देते रहेंगे कि चूंकि हम को इस योग्यता का व्यक्ति नहीं मिलता, इस तरह के लड़कों की कमी हमारे यहां है इसलिए हम इस काम को नहीं कर पा रहे हैं ।

इसलिए मैं समझता हूं कि इन प्रश्नों के ऊपर एक मौलिक दृष्टिकोण से सोचने और विचारने की जरूरत है । लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमें इस प्रश्न को एक राजनैतिक प्रश्न के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए । हमारे भाई एस० एम० बनर्जी साहब बोल रहे थे, उन्होंने बेकारी की समस्या जो बड़े पैमाने पर है उस की तरफ हमारा ध्यान खींचा । उस तरह से इस को रखा कि आप किसी को हिन्दुस्तान का सदर बना दीजिए, किसी को मिनिस्टर बना दीजिए, उस से मुसलमान जो बेकार नौजवान हैं उन को संतोष नहीं होगा । लेकिन डेमोक्रेसी में यह भी जरूरी है कि देश की राजनीति में और देश के राजनैतिक ढांचे के अंदर वह लोग भी हों । हम इस बात के ऊपर फरख कर सकते हैं, यह कोई दिखावे के लिए हम ने नहीं किया है, हिन्दुस्तान इस बात पर नाज कर सकता है और लाजिमी नाज कर सकता है कि हिन्दुस्तान जैसे देश में हम ने डा० जाकिर हुसेन साहब को अपने देश में सर्वोच्च स्थान पर बैठाया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने यह नहीं कहा है। मैं यह चाहता हूं कि जो लोग है वह बने रहें शफी साहब बने रहें। मैं ने तो चौधरी साहब के लिए कहा कि यह गए थे उन का केस प्लीड करने के लिए और खुद चल गए।

श्री इन्द्रजीत यादव : मैं यह कह रहा था कि हमें इस बात पर नाज होना चाहिए। आज हमें इस बात पर नाज है कि हिन्दुस्तान की यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के अंदर एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जो माइनारिटी कम्यूनिटी का है। हम ने इस देश के अंदर एक सेक्युलर ढांचा बनाया, एक जम्हूरी ढांचा बनाया तो हिन्दुस्तान के बड़े से बड़े पद के ऊपर हम ने इस बात की कोशिश की है इसलिए नहीं कि किसी एक जाति विशेष या मजहब विशेष को खुश करने के लिए बल्कि हमें उस जाति या मजहब विशेष में ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं तो हमें उन को उस पद पर बिठाना चाहिए। जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, असेम्बली का सवाल है, इस ढांचे के अंदर आप को इस बात की शिकायत नहीं मिलेगी कि इन वर्गों के प्रतिनिधि कम हैं। उस को और बढ़ाया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। इसी तरह से आज हमारे देश के प्रशासन के ढांचे में इस बात का हमें प्रयास चाहिए और जब तक हम यह प्रयास नहीं करेंगे तब तक यह कठिनाई बनी रहेगी। इस प्रयास के लिए लाजिमी है कि जो हमारी कम-जोरियां हैं जो कमिया हैं उनको दूर करें। मैं समझता हूं कि आज हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो नीति है, हमारे जो कार्यक्रम हैं उन को मजबूती से लागू करना आवश्यक है। हम ने इस बात की कोशिश की, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर हमारा एक बड़ा प्रयास होने जा रहा है। इस के अंदर कम से कम 25 लाख जो शिक्षित बेकार हैं उन को हम नौकरी दे सकें ऐसा प्रयास हमारा है जो प्रयास इस देश की समस्या को हल करने की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। इसी तरह से मैं समझता हूं कि हम को आज इन मौलिक प्रश्नों के ऊपर सोचना है, इस बात पर विचार करना है कि हमारे आर्थिक ढांचे में, प्रशासन के ढांचे में कैसे परिवर्तन आए और जो कमजोरियां आज हम को दिखाई दे रही हैं इन को हम किसी संकुचित दृष्टिकोण से रखने की कोशिश न करें। मैं उन विचारों से सहमत हूं कि आज देश के वातावरण में, मुल्क के माहौल में हमें इस तरह की कोशिश नहीं करनी चाहिए खास तौर से ऐसे लोग जो जिम्मेदार हैं इस मुल्क के अंदर उन को ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इन प्रश्नों के ऊपर टुकड़े टुकड़े में विचार करें। मुल्क की वह ताकतें जो इन सवालों को एक फिरकापरस्ती के नजरिए से स्तेमाल करने की कोशिश करती हैं और दूसरे जो बड़े बड़े सवाल हैं उन को पीछे टालने की कोशिश करती हैं मैं समझता हूं कि उस से हम को बड़ा भारी नुक्सान होगा। हमको इन सवालों को इस तरह से नहीं देखना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि आज हमें इस प्रश्न को, इस पूरे के पूरे मुल्क की जो समस्याएं हैं, उस के ढांचे को इस तरह से देखना चाहिये कि किसी प्रशासन को दोष देने से काम नहीं चलेगा। आज हमारे देश के सामने जो मौलिक सवाल हैं उस पर हमें नये सिरे से विचार करना होगा और जब तक हम हल नहीं निकालते हैं उस के लिये रास्ता नहीं निकालते हैं, हमारी समस्यायें हल नहीं हो सकतीं।

मैंने देखा कि रेल मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं, उन का खुद उस से संतोष नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया है कि बावजूद हमारे निदेश देने के इस बात का संतोष नहीं है, हम उस के लिए प्रयास करना चाहते हैं। सरकार ने हमेशा इस बात को खुले दिमाग से कहा है कि कमजोरियां हैं, इन का हल कैसे हो, इसके लिए आज हम को रास्ता निकालना है। यह प्रश्न एक सीमित प्रश्न नहीं है— इस प्रश्न का दायरा बहुत बड़ा है, इसके साथ हमारी आर्थिक व्यवस्था लगी हुई है, हमारी सामाजिक व्यवस्था लगी हुई

है। उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अन्दर यह कहा गया कि जातियों के नाम पर बैकवर्ड क्लास तय किये जाये। उत्तर प्रदेश में पिछले 25 सालों में कुछ ऐसी जातियां हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई हैं, उन के लिये एक सुविधा थी, सर्विसिज़ में केरल की तरह से कोई रिज़र्वेशन नहीं था, वह सुविधा यह थी कि स्कूलों और कालिजों में उन को वजीफे देने का रिज़र्वेशन था। सरकार ने कहा कि हम तो आर्थिक आधार पर ही पिछड़ेपन का निर्धारण करना चाहते हैं। जिस दिन यह निर्णय किया गया, उन जातियों के लड़के जो गरीब थे, पिछड़े हुए थे, जो वजीफे के भरोसे पर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे—उन के लिये एक कठिनाई पैदा हो गई। सरकार ने आदर्शवादिता के रूप में ऐसा किया, नतीजा यह हुआ कि वे लोग जिनकी पहुच थी, जिन के सर्विसेज़ थे, उन्होंने सर्टिफिकेट्स दाखिल कर दिये। नियम यह था कि डेढ़ सौ रुपये से कम इन्कम होनी चाहिये। कुछ सर्टिफिकेट ऐसे लोगों ने दाखिल किये जिन की इन्कम नित्न थी. ज्यादातर ने सर्टिफिकेट्स दाखिल किये. नतीजा यह हुआ कि उन को वजीफा मिल गया, लेकिन जो पिछड़ी हुई जातियों के लोग थे, वे गरीब बच्चे जो इस स्कीम से लाभ उठाते थे उन को वज़ीफे नहीं मिल सके—हमारे प्रशासन का यह रवैया है। प्रशासन में बैठे हुए वे अफसर कायदे कानूनों का गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं।

इसलिये मैं कहता हूं कि जब हम इस तरह के नियम बनायें तो हम को समाज की वास्तविकता को देखना चाहिये। हम को समाज के उस ढांचे में परिवर्तन भी करना चाहिये, हम को अपने देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था के परिवर्तन को देखना चाहिये और हमारा प्रयास इसी दिशा में होना चाहिये, किसी एक वर्ग विशेष के दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिये। जो पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, जिन को सदियों में अपना हक नहीं मिला है, हम को उन को साथ सहानुभूतिपूर्वक सहायता करने के लिये तैयार होना चाहिये, हमें उन को सहारा देनी होगी, उनकी मदद करनी पड़ेगी। यह राष्ट्र एक परिवार है, जो निर्बल हैं, जो कमजोर हैं, सदियों से पिछड़े हुए हैं उन की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन इस समस्या का निदान तब तक नहीं होगा, जब तक हम अपने आर्थिक; सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे के अन्दर मौलिक परिवर्तन नहीं करेंगे।

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): Mr. Chairman, Sir, the debate provides a sad commentary. On the recruitment policy of the Government of India, it has failed to bring about the social justice as far as public employment is concerned.

The minority community, especially, the Muslim community, feels that injustice and discrimination have been perpetrated upon them even after twentyfive years of our Independence. All of us in this House admit that or rather confess that it is so. The Government has totally failed to bring about social justice. Now, we want to know at least in the future whether social justice would be brought about in this counrty. One hon. Member who spoke from the other side said that it was the duty of the Muslim Ministers to recruit more Muslims in the services. That was a dangerous suggestion. If some Muslim Minister includes Muslims among his staff or recruits Muslims, it would be called favouritism and nepotism. If Shri Qureshi has not recruited anybody from among the Muslims among his staff, it should not be condemned; rather, it should be praised and appreciated....

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: How does he know?

SHRI G. VISWANATHAN: I said 'if'. It should be the duty of the other community, rather the Hindu community or the majority community, if it can be so called, to take up the job and the minorities in this country should feel that they

[Shri G. Viswanathan]

are secure in this country and they also share power here. On the other hand, if it is left to particular Ministers who belong to particular communties, it would be nothing but nepotism and corruption.

All of us have agreed that the situation which obtains at present is not satisfactory, that all the people are not happy. But at least there should be equality in the unhappiness which is there. But the Muslims are more unhappy than the Hindus, because they think that they have not been given enough opportunities, and the other communities like the Scheduled Castes and Scheduled Tribes feel that they are being discriminated against in favour of the other communities. So, how are we to tackle this problem, and who is to tackle it? Many Congress Members, including yourself, Sir, praised the Congress leadership and said that under Shrimati Indira Gandhi, nothing could go wrong in this country. But, what has been happening during the last 25 years? And it has been happening during the last 25 years, despite the constitutional guarantees, despite article 16 and article 46 in the Directive Principles of State Policy where Government have been authorised or requested to look into the causes of the backward classes and other minorities.

A suggestion was made in this regard, and I fully support that suggestion, because so far we have failed whether in the railways or in the other government services. The Government of India is the biggest employer today. A commission should be appointed like the linguistic minorities commissioner or any other commission which would go into the recruitment policy and the appointment policy. Merely taking haphazard measures and then leaving them off or merely taking *ad hoc* decisions is not going to help in solving the situation. This commission should go into the entire appointment and recruitment policy of the Government of India and should make recommondations which should be placed before Parliament, and the Government of India should then adopt a final policy decision in regard to the method and percentage of recruitment. I am not in favour of the idea that Muslims should be given a certain percentage. But we in Tamil Nadu have adopted certain measures. The Government of Tamil Nadu has reserved 31 per cent for backward classes and 18 per cent for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the two together totalling to 49 per cent.

AN HON. MEMBER: What is the implementation there?

SHRI G. VISWANATHAN: It is being implemented. Among the 31 per cent the entire Muslim community is included as a backward class and they get the protection which is offered to the other backward classes. This also can be considered by the Government of India.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Are there no rich and poor in the Muslim community?

SHRI G. VISWANATHAN: If the person is rich, he is not given educational and other facilities, but in job he is given consideration. If we go on reserving a percentage for each and every community, then we would be dividing Hindu society by communal or caste-wise considerations and a stage may come when everybody may claim the protection given to the minorities, and ultimately there will be only minority communities and there will be no majority community at all.

But whatever reservation we give and whatever percentages we are giving at present are only for the interregnum. They are only interim measures. Ultimately, for the sake of national integration, there should not be any reservation at all. All these measures should be considered as interim measures only. Although 25 years have passed since Independence, still we have not provided equal opportunities and equal facilities for education, and backwardness still persists. We must fix some deadline, say ten or fifteen years and say that by that time, everybody must get education and everybody should feel equal and he should feel confident that he can go and contest for any particular employment; otherwise,

we shall only be going on fragmenting the country and there will be no national integration at all.

I would like to suggest once again that the policy which has been formulated so far has not been good. So, the Government of India should take the matter up in right earnest and in all seriousness. If they forget the matter after this discussion, again it may come up after three or four years. My hon. friend Shri Moinul Haque Chowdhury has given figures which are staggering indeed. We were all unhappy to hear that the Muslim community had been neglected so far. Possibly there may be many other communities in the same position, and we may not have figures in regard to them.

So far as the other minority communities also are concerned, Government must take serious steps to see that their interests are also protected and safeguarded.

In conclusion, I would suggest that Government should immediately appoint a commission to go into the recruitment and appointment policy.

श्री शम्भूनाथ (सैदपुर) : सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता था कि इस डिबेट में मेरे भाग लेने की कोई खास ग्रावश्यकता नहीं है, लेकिन ग्रपने ही साथी श्री बी० पी० मौर्य के भाषण को सुनने के बाद मैंने महसूस किया कि इस देश की 20 फीसदी ग्राबादी, जिसके मुताल्लिक कहने का सब को हक है, लेकिन बहैसियत हरिजन के मौर्य जी को कहने का हक नहीं है। ग्राज जो इस तरह की बात उन्होंने कही—तो मैंने यह ग्रपना धर्म समझा कि मैं भी इस डिबेट में भाग लूं।

सभापति जी, माननीय मौर्य जी ने ग्रौर बातें जो कहीं वह ठीक हैं, लेकिन ग्रभी उन्होंने पोलिटिकल रिजर्वेशन की बाबद शेड्यूल्ड कास्ट्स के मुतालिक उन्होंने कहा कि वह ऐसा महसूस करते हैं कि उन के लिए पोलिटिकल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिये। जहां तक मुझे मालूम है संविधान में पोलिटिकल रिजर्वेशन बहुत ग्रच्छी तरह से डिफाइन्ड है। बाकी रिजर्वेशन की कोई खास व्यवस्था नहीं है बाई कांस्टीटयूशन। जहां तक उन के प्रतिनिधित्व का सवाल है कि वह संविधान में दिया गया है। माननीय मौर्यजी जिस वर्ग से ग्राते हैं वह उस वर्ग की वकालत कर रहे थे ग्रौर चाहते हैं कि पोलिटिकल रिजर्वेशन इस देश से खत्म हो। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि ग्राजादी के 26 साल बाद भी जैसा सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए था, जिन ग्राधार पर शेड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया गया, उन ग्राधारों में कोई परिवर्तन नहीं हुग्रा जिस की वजह से सरकार को बाध्य होना पड़ा। 10 साल के लिए रिवर्वेशन ग्रौर बढ़ाने के लिए। ग्राज माननीय मौर्य जी जनरल सीट से चले ग्राये हैं इसलिए ऐसी बात करते हैं।

सभापति महोदय : रेलवे में माइनरिटीज की जो नौकरियां हैं उस के सम्बन्ध में ही ग्राप बोलें।

श्री शम्भूनाथ : मैं उसी पर ग्रा रहा हूं। ग्रगर पोलिटिकल रिजर्वेशन पार्लियामेंट ग्रौर स्टेट ग्रसेम्बलीज में न होता तो हम लोग इस संख्या में कभी भी नहीं दिखाई देते। मौर्य जी का यह कहना कि ग्रब शैडयूल्ड कास्ट्स के लोग इतने ग्रच्छे हो गये कि वह सब का मुकाबला कर सकते हैं, प्रतिनिधित्व ले सकते हैं, यह गलत बात है। ग्रगर ऐसी ही बात थी तो वह शैड्यूल्ड कास्ट ही बने रहते बौद्ध धर्म ग्रख्तियार न करते।

देश की 20 करोड़ ग्राबादी लगातार रिजर्वेशन चाहती है ग्रौर बराबर चाहेगी जब तक कि वह इस लायक न हो जाय कि खुद दूसरे के मुकाबले में ग्राकर के ग्रपना प्रतिनिधित्व कर सके। साथ ही उन्होंने यह कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग ग्रनुदान के लिए भीख मांगते फिरते हैं। उन्होंने ग्रपने रिश्तेदारों का उदाहरण दिया, ग्रौर बहुत वीभत्स

[श्री शम्भूनाथ]

रूप खींचा । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस देश का हरिजन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता बल्कि विधान में उसको यह अधिकार मिला है और एज ए मैटर आफ़ राइट मांगता है । सारे हरिजनों के लिये इस तरह की बात कहना शोभा नहीं देता ।

बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब कभी भी सर्विसेज के बारे में बात होती है, खास तौर से हरिजनों और शेड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये, मिनिस्टर चाहे कोई हो, अपने तरीके से जवाब दे देते हैं कि उन का परसेंटेज यह है और वह सदा उतना ही बना रहता है, कभी पूरा नहीं किया जाता । दो तीन बातों की तरफ़ ध्यान नहीं दिया जाता जिस की वजह से यह कमी बनी रहती है । पहली बात यह है कि एफ़ीशियेंसी के नाम पर उस का सारा का सारा ड्यू शेयर ले लिया जाता है । दूसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जरा फ़र्म हो जाय और अधिकारियों से कहा कि इन लोगों को इतना रिप्रजेन्टेशन देना ही है. और इस का एक ही तरीका है कि मंत्री जी एक सर्कुलर निकाल दें कि जो भी अधिकारी है, चाहे रेलवे बोर्ड का मैम्बर हो या अन्य उच्च अधिकारी, जिस को भी एपौइंट करने का अधिकार है, चाहे डायरेक्ट भर्ती हो या प्रोमोशन हो अगर उस ने अपने अधीन विभाग में रिजर्वेशन पूरा नहीं किया तो उस को प्रोमोशन नहीं मिलेगा, उस की कांफीडेंशियल रिपोर्ट खराब हो जायगी । अगर यह डर अधिकारियों में हो तो रिजर्वेशन जल्दी पूरा हो जायेगा । लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है ।

एक बात माइनारिटी के मुताबिक कही गयी, माननीय वाजपेयी जी के भाषण को मैंने सुना और मैं उन से थोड़ी दूर तक सहमत हूं । एक बात मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं माइनारिटी के नाम पर सर्विसेज में उन की जो अब तक उपेक्षा की गयी है उस को कैसे पूरा किया जायगा ? क्या मिनिस्टर साहब कर सकते हैं ? यह सीधा सवाल है । आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं कि एलाइड सर्विसेज का इम्तहान हर साल होता है रेलवे की सर्विस भी उसी में आती है जिस में कमर्शियल सुपरिन्टेंडेंट आते हैं । क्या इस तरह की व्यवस्था मंत्री जो कर सकते हैं कि माइनारिटी के लोग जो आज उपेक्षित हैं क्या उनके लिये वाई कान्स्टीट्यूशन कर सकते हैं जैसे शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये किया है । अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उन के मुताल्लिक बात करना मेरी समझ में कोई मानी नहीं रखता । एक चपरासी की नौकरी है कोई फ़ेवर कर जाय वह बात दूसरी है लेकिन बाई कान्स्टीट्यूशन चाहे कि अमुक पोस्ट पर मुसलमान को रखना है, क्रिश्चियन को रखना है तो नहीं रख सकता । यह कांस्टीट्यूशन में नहीं है । जहां तक शेड्यूल्ड कास्ट्स की बात है वह रिजर्वेशन कोटे में आते हैं इसलिये रख सकते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी व्यवस्था ऐसी की जायगी जिससे ये माइनारिटी के लोग जो आज 26 साल से उपेक्षित हैं, जैसा कि आंकड़ों से भी मालूम है, उस कमी को पूरा किया जायेगा ?

इस के साथ ही इस देश का दुर्भाग्य है कि माइनारिटी के नाम पर माइनारिटी में जो लोग हैं वही यहां राज्य करते हैं और जो बहुमत में हैं उन को माइनारिटी की संज्ञा दी जाती हैं । इस देश में सब से बड़ी माइनारिटी में ब्राहमण और बनिये, लेकिन सारी जगह वही लोग भरे हैं । तो क्या आप माइनारिटी की परिभाषा रखना चाहते हैं ? क्या माइनारिटी के नाम पर इस देश में क्रिश्चियन को सर्विस मिल सकती है कांस्टीट्यून के मुताबिक ? अगर माइनारिटी के नाम पर लोग हल्ला करना चाहते हों

तो माइनारिटी में बहुत से लोग आ जाते हैं क्योंकि इकोनामिक बैकवर्डनस की बात समझ में आ सकती है जिस के आधार पर चयन किया जा सकता है, उस को प्रोफेस मिल सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं मंत्री जी, माइनारिटी के नाम पर नहीं बल्कि इकोनामिक बैकवडेनस के नाम पर हो सकता है कुछ मार्जिन दिया जाय और जिन की अपेक्षा हुई है 25 साल तक उन्हे कुछ राहत दी जायगी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : सभा पती जी, चूंकि समय कम है इसलिये मुख्तसर में ही कुछ अर्ज करना चाहता हूं मेरी राय में किसी लोकतंत्र की सच्ची कसौटी यह है कि उसके संबंध में अल्पसंख्यकों के बीच में क्या राय है, अल्पसंख्यक क्या महसूस करते है कि उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। जो पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग है वे कैसा महसूस करते हैं उन के साथ कैसा बर्ताव होता है। यह किसी भी जम्हूरियत की सच्ची कसौटी है और इस तरह अगर आप देखें तो आप को मालूम होगा कि जिस समाज एवं राष्ट्र में ऐसी भावना नहीं कि अल्पसंख्यकों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ न्याय हो रहा है, वह समाज एक विभक्त समाज है, वह राष्ट्र एक विभक्त राष्ट्र है। और हम कहते हैं कि वह कंट्री आफ टू नेशज हैं। विलायत में भी जहां लेबर है और दूसरी तरफ कैपिटालिस्ट हैं वहां कहा जाता है कि दिस इज ए कंट्री आफ टू नेशन्स। अगर हम चाहते हैं कि समाज ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत हो उस में कोहिजन और सालिडरिटी की भावना ज्यादा पैदा हो ती सभी वर्गों को हमें न्याय देना होगा।

आज जो भावना फैल रही है हमारे अल्पसंख्यकों में यह हमारे लिये बहुत दुखदे बात है। हमें यह कह कर टाल नहीं सकते हैं कि मैरिट के ऊपर वे नहीं आए। अगर ऐसी बात है कि योग्यता के आधार पर वे नहीं आ सके है तो सरकार को आंकडो के साथ इसको सिद्ध करना चाहिए और सदन के सामने आकर साफ साफ इसको बताना चाहिए। यह जो भावना फैल रही हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं हो रहा है यह ठीक नहीं है।

मैंने एक बार सदन में कहा था कि मुसलमान के मिनिस्टर बनना तो आसान है लेकिन खानसामा बनना लिये मुश्किल है। श्री मीइनुलहक चौधरी को या श्री नुरूलहसीन साहब को आप सियासी नुमाइश के लिए, विंडो ड्रेसिंग के लिए मिनिस्टर तो बना देते हैं लेकिन जब रोजगारी की बात आती है और मुसलमानों में यह भावना फैलती है कि उनके लिये खानसामा बनना भी मुश्किल है तब आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति है। आप कबूल करेंगे कि यह आम तौर पर माना जाता है कि जैसा खानसामा मुसलमान बन सकता है वैसा दूसरा नहीं हो सकता है। लेकिन अब वे खानसामा भी नहीं रह पाये हैं आप उनको रोजगार की सहूलियतें दें। कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाकर उनकी रोजगारी से महरूम न करें। मुसलमान नौजवान या दूसरी माइनोरिटीज के नौजवान जो है उनमें यह भावना नहीं फैलनी चाहिये कि वे नौकरी में नहीं लिये जा सकते है।

बुनियादी हकूक का सवाल भी यहां उठा था। माइनारिटिज के जो बुनियादी हकूक हैं उनको भी हमने महफूज नहीं रखा है जब इसी सदन में विरोधी पक्ष के कुछ लोगों ने यह प्रस्ताव रखा था कि इस सदन का यह अधिकार भले ही हो कि सभी बुनीयादी हकूक को तबदील कर सकें लेकिन जो माइनारिटीज के बुनियादी हक हकूक हैं उनको तब्दील करने का हक नहीं होना चाहिये तो सत्तारूढ़ दल ने इनको कबूल नहीं किया था। आज इसके कारण भी उनमें अंदेशे की भावना पैदा हुई है।

माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े रखे हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि वे पक्के हैं

[श्री श्यामानन्द मिश्रा]

और उन्होंने दावा भी नहीं किया कि वे पक्के हैं । लेकिन एक बात साफ है कि माइनोरिटीज को जिस तरह का प्रतिनिधित्व सेवाओं में सभी स्टेट्स में मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है । इसका क्या इलाज है ? हम कुछ सिद्धांत बना दें तो उससे ज्यादा काम नहीं चलेगा । सिद्धान्त तो हमारा यह भी है कि हम रिपब्लिक हैं, हमारा जनतंत्र सैक्युलर है, यहां सभी के साथ न्याय किया जाएगा लेकिन असल बात यह है कि हम बातें तो बहुत लम्बी करते हैं लेकिन जब उन पर अमल करने की बात आती है तो बहुत पीछे पड़ जाते हैं । मुझे याद है जब मुझे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु के साथ काम करने का अवसर मिला था तो मैंने देखा था कि वह पाक्षिक पत्रों में मुख्य मंत्रियों को लिखा करते थे कि माइनोरिटीज के साथ सर्विसिज में किस तरह का व्यवहार हो रहा है । आज प्रधान मंत्री उस तरह के खत लिखती हैं या नहीं मुझे पता नहीं है लेकिन जब तक सर्वोच्च व्यक्ति यहां से लिखे तो जाहिर है कि इस मामले में जिस तरह की स्थिति होनी चाहिये वैसी नहीं हो सकती है । इस वास्ते म कहता हूं कि बड़े सिद्धान्त रखने की कोई जरुरत नहीं है हमारी आस्था लोकतंत्र में है लेकिन अफसोस की बात है एक पांव हमारा चान्द और सितारों पर है और दूसरा गधे और खच्चर पर । राजनीतिक रूप से तो बहुत कुछ कदम हमने बढ़ाए लोकतंत्र हमने कबूल किया है और उससे ज्यादा कुछ और हो नहीं सकता है लेकिन सामाजिक रूप से शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से हम बहुत पिछड़े हैं । इस वैषम्य से सारी खराबियां पैदा हो रही हैं ।

मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं । पहला यह है कि नैशनल इंटिग्रेशन काउंसिल को इनके सम्बन्ध में ज्यादा सक्रिय होना चाहिये । राष्ट्रीय संगठन और सम्बद्धता का सवाल नैशनल इंटिग्रेशन काउंसिल का मुख्य काम होना चाहिये वह इन मामलों के बारे में पूरी देख-रेख करे और वक्तन फवक्तन इसके बारे में अपनी रिपोर्ट भी प्रकाशित करे कि किस तरह का माइनोरिटीज के साथ बर्ताव हो रहा है ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि कैबिनेट स्तर पर एक कमेटी होनी चाहिये । जहां और बातों के लिये कई कमेटियां हैं वहां इस सम्बन्ध में भी प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बननी चाहिये ।

हम आर्थिक नियोजन की बात करते हैं । मैं समझता हूं कि हम को उस के साथ-साथ सामाजिक नियोजन की बात भी करनी चाहिये । हम इसको नहीं देखते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों में किस तरह की भावना फैल रही है और उससे समाज हमारा सुदृढ़ हो रहा है या नहीं । इस वास्ते सोशियोलोजिकल प्लानिंग का भी यहां कहीं पर सब होना चाहिये । हर एक मिनिस्टरी में खास कर जो बड़ी-बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं उन में तो इसका ज्यादा ख्याल होना चाहिये ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान (किशनगंज) यह बहस हमारे दोस्त [illegible] और नवल किशोर सिन्हा के प्रस्ताव नम्बर 2 थे । जोकि 24 जुलाई को पार्लियामेंट में पेश हुआ था पर उठी है । इस पर जो तकरीर हुई है उनको मैंने बहुत ध्यान से सुना है । वाजपेयी जी के भाषण को भी मैंने सुना है । मैंने देखा कि वह अकलियतों की बात को लेकर गर्म गर्म आंसू बहा रहे थे । पता नहीं ये गर्म आंसू इलैक्शन की कड़ी है या वाकई में उनके दिली जजबात को जाहिर करते हैं । अगर दिली जजबात का इजहार हैं तो मुझे इससे बड़ी खुशी हुई है । लेकिन एक बात है । जो बात वह यहां कहते हैं इसको वह बाहर भी कहा करें और इन बातों को सदन तक महदूद न रखें ।

मौजूदा रेल मंत्री को आए हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं । इन्होंने जो रिपोर्ट रखी है उसको मैंने गौर से पढ़ा है । उन्होंने कबूल किया है कि जितना होना चाहिये था मुसलमानों तथा अकलियतों के लिये नहीं हुआ है और इसका उन्हें दुख भी है । यह इतना सख्त मसला है कि इस पर जितनी भी रोशनी

डाली जाए कम होगी। आजाद के बाद से मुतवातिर बेइंसाफी होती आ रही है और कितनी जल्दी इसको दूर किया जा सकता है या यह पूरी हो सकती है या नहीं यह गौरतलब बात है। मैं कुछ सुझाव मिनिस्ट्री साहब को देना चाहूंगा। रेलवे मिनिस्टर में एक ऐसा परसोनल आफिसर बहाल होना चाहिये जोकि हर एक कमीशन की बहालियों को देखे और उन में जो दरख्वास्ते पड़ी हैं उनको देखे और अपनी रिपोर्ट मिनिस्टर को भी दे और मिनिस्टर उसको हर छः महीने पर पार्लियामेंट के अन्दर रखे ताकि सही बातों का पता चल सके और सही सही आंकड़े मालूम हो सके कि किस फिरका के, शैड्यूल्ड कास्ट्स के, ट्राइब्ज के, मुसलमानों के और दूसरे जो लोग हैं कितने रखे गए और बहाल किए गये हैं और सब के साथ इंसाफ हुआ है या नहीं।

यह सच बात है कि हमारा मुल्क एक जम्हूरी मुल्क है। जो भी पार्टी पावर में आती है उसका एक मैनीफैस्टो होता है। इस वक्त हमारी कांग्रेस की सरकार है। मनिफैस्टो और अपने प्रोग्राम के मुताबिक हम चलते हैं। हमारे दोस्तों की सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में बनी। उनके भी अपने प्रिंसिपल्ज थे। अगर्चे उस में मुस्लिम लीग भी शामिल थी, मजलिस भी शामिल थी, जनसंघ भी शामिल थी, सोशलिस्ट पार्टी भी शालि थी। बड़ी पाच पाच सरकार थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : केरल में क्या हो रहा है?

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान: श्री सुलेमान सेट हाउस नहीं हैं। अभी मेरे दोस्त गायवा ने उनके मुंह की बात कर रहे थे।

हम लोगों का और हुकूमत का, जो नजरिया है, ब्यूरोक्रेट्स को उस पर अमल करना होगा। हमारे कांस्टीट्यूशन में माइनारिटीज को जो राइट्स दिये गये हैं, उन्हें देखते हुए एक लाइयर होने की हैसियत से मैं कह सकता हूं कि किसी दूसरे मुल्क में माइनारिटीज को इतने राइट्स नहीं दिये गये हैं, जितने स्वतन्त्र भारत में माइनारिटीज और मुसलमानों को दिये गये हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस कांस्टीट्यूशन के प्राविजन पर अमल कितना होता है। आखिर अमल करने के लिए मोहनरिम ललित बाबू तो नहीं जायेंगे, उनको डिपेंड करना पड़ेगा ब्यूरोक्रेट्स पर, जिनके हाथ में शासन है। इसलिए हमें अपने ब्यूरोक्रेट्स को हुकूमत और मुल्क के नजरिये के सांचे में ढालना होगा—फिर सेंटर या सूबों में चाहे किसी भी पार्टी की हुकमत हो, तभी उस नजरिये को सही मानों में अमली जामा पहनाया जा सकता है।

आर्टिकल 13 में इकानोमिकली, सोशली और एजूकेशनली बैकवर्ड लोगों को जो मराआत दी गई हैं, उनका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। 1947 के बाद मुसलमान इकानोमिकली, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो गये हैं और ज्यादा बकवर्ड होते जा रहे हैं। इसलिये उनके बारे में कांस्टीट्यूशन के इस आर्टिकल का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। चन्द पार्टियां पोलीटिकल मोटिव से मुलमानों को बरगला चाहती हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में जो इलैक्शन आने वाला है, उस पर नजर रखते हुए वे इस सदन में और बाहर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और डा० फरदी से बातचीत करते हैं। मैं चाहता हूं कि इन बातों को नजरअन्दाज करते हुए इस आर्टिकल का पूरा इस्तेमाल किया जाये, ताकि मुलमानों के इकानमिक, सोशल और एजूकेशनल मसले सही मानों में हल हो सकें।

मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अवाम ने हमको 1971 में एक मैसिव मैन्डेट देकर यहां भेजा है,

[श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान]

इसलिये हमको इस सिलसिले में मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनाज के होलसेल ट्रेड के टेक-ओवर के बाद श्री वाजपेयी बाहर किसानों को तो कहें और बरगलाएं कि वे सरकार को गल्ला न दें और यहां सदन में कहें कि गल्ले की हजारों दुकान खोली जायें।

इस में दो राय नहीं हैं कि आजादी के बाद भी मुसलमानों के साथ बेइन्साफी हुई है। मुल्क की पापुलेशन के इतने साइजेबल नम्बर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यह जरूरी है कि रेलवेज में पर्सनल आफिसर को फिर से बहाल किया जाये। एक डमोक्रेटिक कंट्री में सब लोगों के अधिकार बराबर होते हैं। हमारे यहां सब लोग टैक्सपेयर हैं चाहे वे मुसलमान, हरिजन, शिडयूल्डट्राइब्ज, ब्राह्मण, यादव या कायस्थ हों। उन सब के अधिकार बराबर हैं। इस में डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये।

श्री मोइनुलहक चौधरी और दूसरे दोस्तों ने हाउस के सामने बहुत से आंकड़े पेश किये हैं। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। मिनिस्टर साहब ने 24 जुलाई को जो कुछ कहा, और जो कागज मेरे हाथ में इस वक्त है उस के मुताबिक यह तय बात है कि माइनारिटीज और मुसलमानों के साथ नाइन्साफी हुई है, जिस को वह दूर करेंगे और उन लोगों को एडीक्वेट रिप्रेजेंटेशन देंगे।

जो लोग रेलवे सर्विस कमीशन के चेयरमैन, बनाये जाते हैं, उन को अपने दिलों से डर निकाल देना चाहिए। उन को सोचना चाहिए कि हमें इन्साफ करना है, हमें यह नहीं देखना है कि कोई हरिजन है या मुसलमान या कायस्थ, यादव या शिडयूल्ड ट्राइब्ज का है। तभी वे इंसाफ कर सकेंगे। अगर वे समझें कि हम इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं और अगर वे उसी के मुताबिक काम करें तो हरिजनों, मुसलमानों और शिडयूल्डकास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के लिये कोई मसला नहीं रहेगा।

[شری محمد جمیل الرحمان

(کشن گنج) : یہ بحث ہمارے دوست ست پال کپور اور نول کشور سنہا کے سوال نمبر 24 جو کہ 24 جولائی کو پارلیمینٹ میں پیش ہوا تھا پر اٹھی ہے - اس پر جو تقریریں ہوئی ہیں اُن کو میں نے بہت دھیان سے سنا ہے - واجپئی جی کے بھاشن کو بھی میں نے سنا ہے - میں نے دیکھا کہ وہ اقلیتوں کی بات کو لے کر گرم گرم آنسو بہا رہے تھے - پتہ نہیں یہ گرم آنسو الیکشن کی کڑی ہیں یا واقعی میں اُن کے دلی جذبات کو ظاہر کرتی ہیں - اگر دلی جزبات کا اظہار ہیں تو مجھے اِس سے بڑی خوشی ہوئی ہے - لیکن ایک بات ہے جو بات وہ یہاں کہتے ہیں اس کو وہ باہر بھی کہا کریں اور اِن باتوں کو ایوان تک محدود نہ رکھیں -

موجودہ ریل منتری کو آئے ہوئے بہت دن نہیں ہوئے ہیں - انہوں نے جو رپورٹ رکھی ہے اُس کو میں نے غور سے پڑھا ہے - اُنہوں نے قبول کیا ہے کہ جتنا ہونا چاہیئے تھا مسلمانوں اور اقلیتوں کے لئے نہیں ہوا ہے اور اس کا اُنہیں دکھ بھی ہے - یہ اتنا سخت مسلہ ہے کہ اس پر جتنی بھی روشنی ڈالی جائے کم ہو گی -

آزادی کے بعد سے متواتر بے انصافی ہوتی آ رہی ہے اور کتنی جلدی اس کو دور کیا جا سکتا ہے یا پوری ہو سکتی ہے یا نہیں یہ غور طلب بات ہے - میں کچھ سجھاؤ منسٹر صاحب کو دینا چاہتا ہوں- ریل منسٹری میں ایک ایسا پرسونل آفیسر بحال ہونا چاہیئے جو کہ ہر کمیشن کی بحالیوں کو دیکھے اور اُن میں جو درخواستیں پڑی ہیں اُن کو دیکھے اور اپنی رپورٹ منسٹر کو بھیج دے اور منسٹر اُس کو ہر چھ مہینے پر پارلیمینٹ کے اندر رکھیں تاکہ صحیح باتوں کا پتہ چل سکے اور صحیح صحیح آنکڑہ معلوم ہو سکے کہ کس فرقہ کے ، سیڈیولڈ کاسٹس کے ، ٹرائیبز کے ، مسلمانوں کے اور دوسرے جو لوگ ہیں کتنے رکھے گئے اور بحال کئے گئے ہیں - اور سب کے ساتھ انصاف ہوا ہے یا نہیں -

یہ طے بات ہے کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے- جو بھی پارٹی پاور میں آتی ہے اُس کا ایک مینی فیسٹو ہوتا ہے - اِس وقت ہماری کانگریس کی سرکار ہے - مینی فیسٹو اور اپنے پروگرام کے مطابق ہم چلتے ہیں—ہمارے دوستوں کی سرکار اتر پردیش ، بہار وغیرہ میں بنی - اُن کے بھی اپنے پرنسپلز تھے اگرچہ اُس میں مسلم لیگ بھی شامل تھی ، مجلس بھی شامل تھی ، جن سنگھ بھی شامل تھا ، سوشلسٹ پارٹی بھی شامل تھی ، بڑی کھچ پچ سرکار تھی-

<u>شری اٹل بہاری واجپئی</u> : کیرل میں کیا ہو رہا ہے ؟

<u>شری محمد جمیل الرحمان</u>: شری سلیمان سیٹھ ہاؤس میں نہیں ہیں ! ابھی میرے دوست غائبانہ میں اُن کے متعلق بات کر رہے ہیں -

ہم لوگوں کا اور حکومت کا جو منشا اور نظریہ ہے ، بیورو کریٹس کو اُس پر عمل کرنا ہوگا - ہمارے کانسٹی ٹیوشن میں مائنوریٹیز کو جو رائٹس دیئے گئے ہیں ، انہیں دیکھتے ہوئے ایک قانوندان ہونے کی حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی دوسرے ملک میں مائنوریٹیز کو اتنے رائٹس نہیں دیئے گئے ہیں ، جتنے سوتنتر بھارت میں مائنوریٹیز اور مسلمانوں کو دیئے گئے ہیں - لیکن سوال یہ ہے کہ اِس کانسٹی ٹیوشن کے پراویژنز پر عمل کتنا ہوتا ہے - آخر عمل کرنے کے لئے محترم للت بابو تو نہیں جائینگے ؟ اُن کو ڈیپنڈ کرنا پڑے گا بیورو کریٹس پر ، جو ان کے ساتھ میں شامل ہے - اِس لئے ہمیں اپنے بیورو کریٹس کو حکومت اور ملک کے نظریہ کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا - پھر سنٹر یا صوبوں میں چاہے کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو—تبھی اُس نظریہ کو صحیح معنوں میں عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے

[شری محمد جمیل الرحمان]

آرٹیکل 16 میں اکانومیکلی ، سوشلی اور ایجوکیشنلی بیک ورڈ لوگوں کو جو مراعات دی گئی ہیں اُن کا پورا استعمال ہونا چاہیئے - 1947 کے بعد مسلمان اکانومیکلی ، سوشلی اور ایجوکیشنلی بیک ورڈ ہو گئے ہیں اور زیادہ بیک ورڈ ہوتے جا رہے ہیں - اس لئے اُن کے بارے میں کانسٹی ٹیوشن کے اِس آرٹیکل کا پورا استعمال ہونا چاہیئے - چند پارٹیاں پولیٹیکل موٹو سے مسلمانوں کو ورغلانا چاہتی ہیں - خاص کر اُتر پردیش میں جو الیکشن آنے والا ہے اُس پر نظر رکھتے ہوئے وہ اِس ایوان میں اور باہر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ڈاکٹر فریدی سے بات چیت کرتے ہیں - میں چاہتا ہوں کہ اِن باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اِس آرٹیکل کا پورا استعمال کیا جائے ، تاکہ مسلمانوں کے اکنومک ، سوشل اور ایجوکیشنل مسلے صحیح معنوں میں حل ہو سکیں -

میں اپنی پارٹی کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ اِس ملک کے عوام نے ہم کو 1971ء میں ایک میسو میونڈیٹ دے کر یہاں بھیجا ہے اِس لئے ہم کو اِس سلسلے میں موقع دیا جانا چاہیئے- ایسا نہیں ہونا چاہیئے کہ اناج کے ہول سیل ٹریڈ کے ٹیک اوور کے بعد شری واجپئی باہر کسانوں کو تو کہیں اور ورغلائیں کہ وہ سرکار کو غلہ نہ دیں اور یہاں سدن میں کہیں کہ غلے کی ہزاروں دوکانیں کھولی جائیں -

اِس میں دو باتیں نہیں ہیں کہ آزادی کے بعد بڑی مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے - ملک کی پاپولیشن کے اتنے امپارٹینٹ نمبر کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے - یہ ضروری ہے کہ ریلوے میں پرسونل آفیسر کو پھر سے بہال کیا جائے - ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں سب لوگوں کے ادھیکار برابر ہوتے ہیں - ہمارے یہاں سب لوگ ٹیکس پیئر ہیں - چاہے وہ مسلمان ، ہریجن ، شیڈیولڈ کاسٹ ، برہمن ، یا دوسرا کوئی ہوں اُن سب کے ادھیکار برابر ہیں - اِس میں امتیاز نہیں ہونا چاہیئے -

شری معین الحق چودھری اور دوسرے دوستوں نے ہاؤس کے سامنے بہت سے آنکڑے پیش کئے ہیں - میں اُن آنکڑوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں - منسٹر صاحب نے 24 جولائی کو جو کچھ کہا اور جو کاغذات میرے ہاتھ میں اِس وقت ہیں اُس کے مطابق یہ طے بات ہے کہ مائنورٹیز اور مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے جس کو وہ دور کرینگے اور اُن لوگوں کو مناسب نمائندگی دینگے -

جو لوگ ریلوے سروس کمیشن کے چیرمین بنائے جاتے ہیں اُن کو اپنے دماغ سے تو نکال دینا چاہیئے - ان کو

سوچنا چاہئے کہ ہمیں انصاف کرنا ہے ، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کوئی ہریجن ہے یا مسلمان ہے یا کائستھ ، یادو یا شڈیولڈ ٹرائبز کا ہے - تبھی وہ انصاف کر سکیں گے - اگر وہ سمجھیں کہ ہم انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور اگر وہ اُسی کے مطابق کام کریں تو ہریجنوں ، مسلمانوں اور شڈیولڈ کاسٹس اور شڈیولڈ ٹرائبز کے لئے کوئی مسلہ نہیں ہوگا -]

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga): Mr. Chairman, Sir, I was wondering as to how this subject of discussion on the recruitment of minorities came up because. When we talk of the recruitment of minorities in the Railways, that has an implication that other less fortunate people, like the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being really very well looked after. It would have been more comprehensive if the discussion would have been on the recruitment policy of the Railways so that we could have gone into details as to what extent not only the minorities but also the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being looked after. I raise this point right in the beginning and I would like to ask about the clarification of the word "minorities" as to which of the minorities. The word "minorities" has a very vague term. I think, we should have made it very clear. There was some sense in saying, "backward communities of the minorities."

Today, we are trying to find out some way out or the other. We are giving sometimes political angle, sometimes communal angle, sometimes linguistic angle and so on. All sorts of passions are coming up to highlight certain points. But we should say, whether he is a Muslim or a Christian or a Scheduled Tribe or a Scheduled Caste, if an injustice has been done, it is an injustice Therefore, we should fight against any irregularity in the recruitment policy and, if there has been any discrimination against Muslims, not as a community but as an Indian Citizen from a particular community, that the question should be looked into. Therefore, I personally felt very much unhappy at the idea that some people were trying to bring in linguistic passions, communal passions, religious passions and all sorts of passions. I could not understand myself as to what is a minority? Is it a political minority or a linguistic minority or what sort of minority?

I feel we are taking ourselves 25 years back. When a Committee of the Constituent Assembly was sitting under the Chairmanship of Sardar Vallabhbhai Patel, they went into the details of the question of minorities as to who were getting protection during the British regime. They were classified into three categories: (1) Anglo-Indians, Parsis and plain tribes of Assam; (2) Indian Christians and Sikhs and (3) Muslims and Scheduled Castes. They went into the details and tried to find out which of the minorities should be given protection. Finally, they came to a conclusion on the 14th May, 1949, by one Resolution, "that the system of reservation for minorities, other than the Scheduled Castes in legislature, be abolished." So, again, we are going back and digging the old grave to find out as to who the minorities are. We should try to understand what we are talking about. Even today, even in the name of Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are supposed to get protection, we have not been able to do any justice to them. We must be able to see whether the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have got the adequate percentage of reservations in the services as fixed by the Constitution and the Government from time to time.

Let me tell you, for instance, a very sad story about a Scheduled Tribe who was working in the South-Eastern Railway as Assistant Inspector of Works. He went to the Chittaranjan Locomotives Workshop on a reserved post for Scheduled Tribes as Inspector of Works. He was

[Shri Kartik Oraon]

recruited there; he worked for 2-3 years and, finally, he was asked to go back to the South-Eastern Railway as Assistant Inspector of Works. Even though there were other posts in the Chittaranjan Locomotive Workshop, he was not retained there. Even his juniors were retained. He was asked to go back. He filed a writ petition in the Calcutta High Court. After some time, he was offered the job of a Clerk. This thing went on. In the final judgment, the Judge asked the authorities, "Do something about it." He did not pass orders. He said, "Do something about it. You sort it out yourselves." They have not been able to do anything. This is the position where there is reservation. This shows the attitude of the officers who deal with Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is not a question of reserving or not reserving. A lot of things are happening and nothing sees the light of the day. Therefore, we should try to understand the whole thing. It is not reservation that matters. It is the attitude of mind. it is the intention of the officers of the Government, it is the intention of the particular Ministry which is responsible for this, that matters. Therefore, let us go back and try to see that these people get their share which is their due; whether it is Scheduled Castes or Scheduled Tribes or minorities, every one should get the share which is due.

Some hon. Member was trying to exploit it politically—I think, it was Mr. Piloo Mody, who is a very senior and seasoned politician. I heard him saying that if we could make friendship with Pakistan, then the Muslims in India could be won over or kept in good humour. He was suggesting that the only way to get them round was to make friendship with Pakistan. By this he seems to suggest that the Muslims in India are pro-Pakistan. I would like to say that this stand is wrong and is very biased because, in India, whether Muslims or Christians or Hindus, we are Indians first and foremost. We should not think in terms of Christians or Muslims or Scheduled Castes or Scheduled Tribes. We are all Indians, and if there is any injustice done to anybody, whether he belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or any of the minority communities, that must be condemned and criticised. That is the way how we have to sort out the problem.

Somebody was trying to suggest that, if in a particular community somebody was advanced, that particular community should not be brought under Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Dr. Rajendra Prasad said, "A society always grows under the inspiration of its own men". There should be some people advanced in every community. Otherwise, what would happen to that community? There would be no one to look after the interests of that community. In that event, nobody from Scheduled Castes or Scheduled Tribes would have the privilege of coming to Parliament. Is it the intention of the Government? I do not think that that is the intention of the Government. Such attitude towards Scheduled Castes and Scheduled Tribes must be condemned and criticised. Nobody who is an Indian at heart should try to utter these words.

श्री नाथू राम ग्रहिरवार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा हो रही है उस में भाग लेने के लिए जो आपने मुझे अवसर दिया इस के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं। मेरा कहना केवल यह है कि जो अभी प्रश्न उठाया गया है कि रेल्वे में माइनारिटी और शेड्यूल्ड कास्ट तथा शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का जो कोटा है वह पूरे 25 साल में पूरा नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है, इस के ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा। अभी पिछले दिनों होम मिनिस्ट्री ने एक आदेश निकाला था। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लड़के योग्य होने पर भी इसलिए उन को सर्विस कमीशन में सेलेक्ट नहीं किया जाता है केवल एक ही ग्राउन्ड पर कि सूटेबल कैंडीडेट नहीं मिले हम को क्योंकि सर्विस कमीशन में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई रेप्रेजेन्टेटिव नहीं होता है। इस के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह मांग करता

हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोगों का जो सेलेक्शन हो वह उन का अलग में होना चाहिए, जनरल कैंडीडेट्स के साथ नहीं होना चाहिए जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किया है । अभी वहां पब्लिक सर्विस कमीशन का पी० सी० एम० का जो सेलेक्शन हुआ है उस में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोगों का अलग सेलेक्शन हुआ है ताकि उन लोगों का उन्हीं लोगों के बीच में कम्पीटीशन हो और दूसरों के बीच में न हो। इसी तरह यहां उनका जो सेलेक्शन हो उस के लिए रेलवे डिपाडर्ट-मेंट में या रेलवे बोर्ड में एक ऐसे आफिसर की नियुक्ति हो जो इस बात की गारंटी के साथ देखे कि इन के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है । इस के साथ ही साथ उन का डिवीजन न होने पर भी उन के लिए प्रयत्न होना चाहिए । हम देखते हैं कि जब जब किसी कर्मचारी के प्रोमोशन का सवाल आता है तो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का होता है तो उसका सर्विस रोल खराब कर दिया जाता है, उस को पीछे ढकेल दिया जाता है । मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं कि गोरखपुर डिवीजन के चार टी० टी० आईज जो ग्रेजुएट्स थे और दो उन में से ला ग्रेज्युएट्स थे उन को प्रोमोशन न दे कर दो तीन मैट्रिक पास थे उन को प्रोमोशन दे दिया गया । वह बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं । उन्होंने रेप्रेजेन्ट किया तो बोले कि हम तुम को लाइन पर नहीं भेजेंगे, स्टेशन पर अटैच कर देंगे । कई लोगों को हमारे पास ऐसी शिकायतें आई हैं । अक्सर उन का सर्विस रोल खराब किया जाता है और उन्हें पीछे ढकेला जाता है । इसलिए हर स्टेज पर देखा जाना चाहिए, चाहे उन का प्रोमोशन हो, चाहे सेलेक्शन हो, उस में उन का जो रिजर्वेशन हो उस के लिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का आदमी वहां होना चाहिए जो इस बात को देखे कि उन के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है । जब हम इस बात को देखेंगे कि उन के साथ अन्याय न हो तब जाकर उनका रिजर्वेशन पूरा होगा । हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ पड़ी रह जाती है । पिछले 25 सालों में उनकी कितनी ऐसी वैकें-सीज पड़ी रह गईं जो भरी नहीं जा सकी। इसलिए जब तक यह कोटा पूरा न हो जाय तब तक दूसरों को मौका नहीं देना चाहिए। उनका कोटा आप को पूरा करना चाहिए तभी यह पूरा हो सकेगा नहीं तो यह क्रम बढ़ता ही रहेगा रिजर्वेशन का, यह कभी पूरा होने वाला नहीं है ।

एक बात और मैं कह देना चाहता हूं। थोड़ी सी बात हमारे एक माननीय सदस्य ने कही कि हमारा पोलिटिकल रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए । मैं इस का विरोध करता हूं । अगर पोलिटिकल रिजर्वेशन न होता तो हम हरिजनों की बात यहां कह न पाते । कौन होता यहां कहने वाला ? क्या खेत में बैठ कर हम यह कहेंगे ? क्या आप यह कहते हैं कि हमारे यहां करोड़पति और लखपति आदमी हैं । मैं कहता हूं कि भारत में कोई भी करोड़पति हरिजन है ही नहीं । अगर हो जाए तो उसको गालियां मिलेंगी बिड़ला और टाटा की तरह । ये कहते हैं कि हमें पालिटिकल रिजर्वेशन नहीं चाहिये। तो जो गरीब हैं, जिन को दो एकड़ भूमि चाहिये, उस से पूछिये, उसका क्या होगा जिस को अपनी झोंपड़ी बनाने के लिए गांव में जमीन नहीं मिलती है ? संरक्षण के मुताबिक ही हरिजनों और आदिवासियों के लिए जमीन की व्यवस्था कर सकते हैं उन के बच्चों के लिए वजीफों की व्यवस्था कर सकते हैं । हम भीख नहीं मांगते बल्कि संविधान ने जो हमें संरक्षण दिया है उसी की मांग करते हैं । इसलिए हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की सुविधा होनी चाहिये और जहां पर भी सिलेक्शन हो उस बोर्ड में हमारा कैंडीडेट जरूर रखा जाए ।

श्री मुल्की राज सैनी (देहरादून): सभापति महोदय, एक बहुत गम्भीर विषय

[श्री मुल्की राज सैनी]

पर चर्चा जब चली और मैंने पार्लियामेंट के बहुत योग्य तथा अच्छे व्यक्तियों को सुना तो मेरा भी मन बना कि मैं इस में भाग लूं। मैं आप को धन्यवाद देता हूं, आप ने मुझे समय दिया। यह सवाल सिर्फ रेलवे का नहीं है। सवाल यह है कि सरकार किसे कहते हैं? सरकार के तीन सैक्शन होते हैं। एक सेक्शन कानून बनाने वाला है, दूसरा कानून लागू करने वाला है। कानून को लागू करने वाले ही असली सरकार होते हैं। परमानेंट सर्विसिस ही असली सरकार होती है। यह कहते हुए सुना गया है परमानेंट सर्विसेस के मुंह से कि मिनिस्टर तो आते जाते रहते हैं, एम पी तो पांच साल के लिए आते हैं और चले जाते हैं, असली सरकार तो हमारी है। तो सरकार के विषय में आज चर्चा है और सिर्फ एक ही विभाग ही नहीं, बल्कि सारे विभागों में माइनारिटीज और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का सवाल ले कर देश की सारी व्यवस्था पर आज चर्चा हुई है और बड़ी खुशी की बात है कि तरह तरह के विचार यहां पर आए हैं।

सवाल यह है कि यहां पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज भी हैं, उस के साथ में मुस्लिम्स को भी माइनारिटी माना गया है। लेकिन और भी कम्युनिटीज हैं, जातियां हैं क्योंकि यह तथ्य है कि यह देश जातियों और धर्म का देश है। यहां पर श्री जयप्रकाश नारायण ने भी एक मर्तबा कहा था कि इस देश के अंदर वर्ग संगठन या वर्ग संघर्ष की बात के साथ साथ वर्ण-संघर्ष भी है। एक बात और हमारे सामने जनरल सेक्रेटरी यादव जी ने कही कि सर्विसेज में दस या आठ प्रतिशत कुछ व्यक्ति या खानदान के लोग हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि बहुत ही विचार पूर्वक इस पर चर्चा होती, समय मिलता और भी बहुत से लोग जो इस में हिस्सा लेना चाहते थे वह हिस्सा लेते। एक सवाल बिल्कुल सीधा आ गया है कि सर्विसेज में परसेंटेज कैसे बढ़ेगी। शिक्षा की क्वालीफिकेशन जब तक नहीं होगी, इंटरव्यू में जब तक नम्बर नहीं आएगा, तब तक उस को एप्वाइंटमेंट नहीं मिलेगा और शिक्षा पर यहां कुछ घरानों की, कुछ वर्गों की मोनोपली है। जहां पर पब्लिक स्कूल और दूसरे स्कूलों का जिक्र आता है तो मैं तो यह मान कर चलता हूं कि और मंत्री जी ने कन्फर्म किया है कि इसको पब्लिक स्कूलों में से जो निकले हुए व्यक्ति हैं उन को अफसरी की जगह मिलती है। और हमारे जो नीचे के स्कूल हैं, उन से जो निकले हुए लोग हैं, वे खानसामा, चपरासी, क्लास 3 और क्लास 4 बन सकते हैं। लेकिन जहां सर्विसिज में बन्धी हुई फैमिलीज का ग्रेड शुरू होता है--इस के बारे में हम को गम्भीरतापूर्वक सोचना होगा।

19 hrs.

हमारे यहां आज स्त्री शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन किन जातियों में बढ़ रही है, हरिजनों में नहीं बढ़ रही है। कुछ ऐसी कौमें हैं जो त्रिशंकु बन गई हैं, न बड़ों में हैं, न छोटों में हैं। काका कालेलकर साहब ने एक रिपोर्ट बनाई थी--पिछड़ी जातियों के बारे में, लेकिन बदकिस्मती से इस हाउस में उस पर बहस नहीं हुई, वे कौमें कहां हैं, न गडरिये हैं, न इस किस्म की दूसरी जातियां हैं, जो आज किसी शुमार में नहीं आतीं, न उन की पढ़ाई का इन्तजाम है, न उनकी कोई सामाजिक स्थिति है, न कोई इकानामिक राइट्स हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जहां सर्विसिज दी जाती हैं, वहां इस के साथ कोटा, परमिट, लाइसेंस भी दिये जाते हैं। यह बिजनेस का एक बहुत बड़ा सर्किल बन गया है जो इन्हीं की मारफत होता है। आप जरा इन के आंकड़े ले कर देखिए--किन किन कौमों को, किन किन खानदानों को, परमिट मिलते हैं, कोटे मिलते हैं, लाइसैन्सेज मिलते हैं, सारा बिजनेस चलाना इन्हीं के हाथ में है। नियुक्तियां भी यही करते

हैं, प्रमोशन भी यही करते हैं, तबादले भी यही करते हैं। सवाल यह है कि विषय बहुत गम्भीर है, इसकी परमानेन्ट व्यवस्था होनी चाहिए। इस की देखरेख के लिए कोई कमीशन या कमेटी बननी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि पिछड़ी जातियों के बारे में काका कालेलकर साहब की जो रिपोर्ट है, जो दबा दी गई है, इस सदन में उस पर बहस होनी चाहिए और पूरे फैक्ट्स देश और हाउस के सामने आ जाने चाहिए कि इस देश के असली शासक, शोषक और शोषित कौन हैं।

श्री इसहाक सम्भाली (अमरोहा) : चेयरमैन साहब, मैं सिर्फ दो चीजों की तरफ़ आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस हाउस में हमारे भाई अटल बिहारी जी बाजपेयी ने यह कहा कि मुसलमानों के साथ डिस्क्रीमिनेशन बरता जा रहा है ---इस की कोई मिसाल नहीं है। मैं दो मिसालें आप के सामने अर्ज करना चाहता हूं ---अब से 7-8 साल पहले की बात है---जिला रामपुर का एक नौजवान फौज में भर्ती हुआ, उसके पास इत्तिला पहुंच गई कि तुम फौज में ले लिए गये हो। उस ने अपना मकान गिरवी रखा, जरूरत का सामान मुहिया किया ताकि फौज में जा सके। जब वह वहां गया तो उस से कहा गया–वैरी सौरी, आप का यह नाम है, हम आपको नहीं ले सकते। उस ने कहा कि आप ने मुझे इत्तिला दी है, फिर मुझे क्यों नहीं लिया जा रहा है। उस ने कहा कि मुझे लिख कर दे दीजिए कि आप मुझे इस वजह से नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि हम लिख कर भी नहीं देंगे। वह शख्स अभी मौजूद है और छोटे पैमाने पर बीड़ी का रोजगार कर रहा है।

दूसरी मिसाल---कोटा एक बहुत बड़ा इण्डस्ट्रीयल सिटी है, वहां पर पब्लिक सैक्टर का एक बहुत बड़ा कारखाना है, उस का नाम मुझे याद नहीं है। डी० सी० एम० वालों का भी फर्टिलाइजर का एक बहुत बड़ा कारखाना है। उस फैक्टरी के कई हिन्दू-मुसलमान दोस्तों ने बतलाया कि अगर कोई मुसलमान वहां जाता है, भरती होने के लिए, तो यह कहा जाता है कि यहां क्यों आये हो, भुट्टो के पास क्यों नहीं जाते हो। मैं यह बात डी० सी० एम० फर्टिलाइजर फैक्टरी, कोटा, के बारे में कह रहा हूं। यह डिस्क्रीमिनेशन नहीं तो क्या है।

साथ ही साथ यह भी इत्तिला है–लेकिन अभी मेरे लिए इस की जिम्मेदारी लेना मुश्किल है–वहां पर जो पब्लिक सैक्टर फैक्टरी है, वहां भी एक भी मुसलमान नौकरी में नहीं है-- इस की क्या वजह है।

यह कह देना बहुत आसान है कि डिस्क्रीमिनेशन नहीं होता है, लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे वर्किंग क्लास के लोग हैं, बुनकर हैं, दूसरे वर्कर्स जिन को लिया जा सकता है, लेकिन नहीं लिया जाता। रेलवे के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, अगर मेरे पास वक्त होता तो रेलवे की भी कुछ स्पेसिफिक मिसालें आप के सामने रखता, किस तरह से उन के साथ नाइन्साफ़ी बरती जा रही है।

एक मिसाल फिर भी आप के सामने रख दूं–इसी दिल्ली शहर में –जहां हम बैठे हुए हैं---दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर कुलियों की भरती हुई। जो लोग चुने गये हैं आप उन की लिस्ट मांग लीजिये और देख लीजिये कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भरती हुई है, वहां दर्जनों मुसलमानों की अर्जियां थी, लेकिन उन को नहीं लिया गया। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं–बड़ी खुशी की बात है हमारे भाई मिनिस्टर हों, हमारे भाई

[श्री इसहाक सम्भली]

वाइस-प्रेजिडेन्ट हों, हिन्दू भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं। कुरेशी साहब मिनिस्टर हैं, बहुत काबिल इन्सान हैं, लेकिन मैं एक मिनट में आप की ही बात की ताईद करते हुए कहता हूं, हमारे चौधरी साहब भी मिनिस्टर रहे हैं– मुझे मुआफ फरमायें, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है– इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट मिनिस्ट्री में फखरुद्दीन अली अहमद साहब भी रहे हैं और मुईनुलहक चौधरी साहब भी रहे हैं– वहां की क्या हालत है? मैं आपके सामने फिगर्स दे कर बतलाता हूं—

सिलैक्शन ग्रेड	120	मुसलमान–1
ग्रेड 1	392	मुसलमान–2
सैक्शन आफिसर	1599	मुसलमान–11
असिस्टैंट्स	4582	मुसलमान–19

आप जरा गौर कीजिये, क्या सब नालायक हो गये? मेरी एक ही दरख्वास्त है मेहरबानी कर के, जैसा बार बार कहा गया है, शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स की जितनी जगहें खाली पड़ी हुई हैं उन को फौरन भरना चाहिये, देर नहीं करनी चाहिये, वरना वे अनएम्प्लायेड यूथ कहां जायेंगे, क्या करेंगे। वे देश के लिये हैंडिक बन सकते हैं, वे सरकार के लिये हैंडिक बन सकते हैं, इस समाज के लिये हैंडिक बन सकते हैं। जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, मैं एक ही बात कहूंगा — मैं कोई रियायत नहीं चाहता, कोई मुरव्वत नहीं चाहता, सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि हर जगह उन के साथ जो डिस्क्रीमिनेशन बरता जा रहा है, मेहरबानी कर के उस डिस्क्रीमिनेशन को खत्म कराइये, वरना उन के अन्दर यह फीलिंग बढ़ती जायगी कि उन को सैकण्ड क्लास सिटिजन माना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार का जो वायदा है कि हिन्दुस्तान के अन्दर सब को यकसां हुकूक दिये जायेंगे, यकसां मौके दिये जायेंगे, उस को खत्म न किया जाय और उन के साथ हो रहे डिस्क्रीमिनेशन को खत्म किया जाये।

[شری اسحاق سمبھلی (امروہہ)]:

چیرمین صاحب - میں صرف دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں - پہلی بات تو یہ ہے کہ اِس هاؤس میں ہمارے بھائی اٹل بہاری جی واجپئی نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمینیشن برتا جا رہا ہے ۔ اِس کی کوئی مثال نہیں ہے - میں دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں - اب سے سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے ۔ ضلع رامپور کا ایک نوجوان فوج میں بھرتی ہوا ۔ اس کے پاس اطلاع پہنچ گئی کہ تم فوج میں لئے گئے ہو - اُس نے اپنا مکان گروی رکھا ۔ ضرورت کا سامان مہیا کیا تاکہ فوج میں جا سکے - جب وہاں گیا تو اُس سے کہا گیا ویری سوری ۔ آپ کا یہ نام ہے ہم آپ کو نہیں لے سکتے - اُس نے کہا کہ آپ نے مجھے اطلاع دی ہے پھر مجھے کیوں نہیں لیا جا رہا ہے - اُس نے کہا کہ مجھے لکھ کر دے دیجیئے کہ آپ مجھے اِس وجہ سے نہیں لینا چاہتے ہیں - اُنہوں نے جواب دیا کہ ہم لکھ کر بھی نہیں دینگے - وہ شخص ابھی موجود ہے اور چھوٹے پیمانے پر بیڑی کا روزگار کر رہا ہے -

دوسری مثال - کوٹہ ایک بہت بڑا انڈسٹریل شہر ہے - وہاں پر پبلک

سیکٹر کا ایک بہت بڑا کارخانہ ہے۔ اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔ ڈی۔ سی۔ ایم۔ والوں کا بھی فرٹیلائزر کا ایک بہت بڑا کارخانہ ہے۔ اس فیکٹری کے کئی ہندو، مسلمان دوستوں نے بتلایا کہ اگر کوئی مسلمان وہاں جاتا ہے بھرتی ہونے کے لئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کیوں آئے ہو، پہنتو کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو۔ میں یہ بات ڈی - سی - ایم - فرٹیلائزر فیکٹری، کوٹا کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ ڈسکریمنیشن نہیں تو اور کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اطلاع ہے۔ لیکن ابھی میرے لئے اس کی ذمہداری لینا مشکل ہے - وہاں پر جو پبلک سیکٹر میں ایک بہت بڑی فیکٹری ہے وہاں بھی ایک بھی مسلمان نوکری میں نہیں ہے - اِس کی کیا وجہ ہے ؟

یہ کہہ دینا بہت آسانی ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں، بلکہ ہیں، دوسرے ورکرز ہیں جن کو لیا جا سکتا ہے لیکن نہیں لیا جاتا - ریلوے کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو ریلوے کی بھی کچھ مخصوص مثالیں آپ کے سامنے رکھتا، کس طرح سے اُن کے ساتھ ناانصافی برتی جا رہی ہے -

ایک مثال پھر بھی آپ کے سامنے رکھدوں۔ اسی دلی شہر میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دلی اور نئی دلی سٹیشنوں پر جو بھرتی ہوئی ہے وہاں درجنوں مسلمانوں کی عرضیاں تھیں لیکن اُن کو نہیں لیا گیا - میں اِس چیز کے خلاف نہیں ہوں بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے بھائی منسٹر ہیں، ہمارے بھائی وائس پریذیڈنٹ ہیں، ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، قریشی صاحب منسٹر ہیں، بہت قابل انسان ہیں، لیکن میں ایک ملت میں آپ کی ہی بات کی تائید کرتے ہوئے کہتا ہوں، ہمارے چودھری صاحب بھی منسٹر رہے ہیں - انڈسٹریل ڈویلپمینٹ منسٹری میں— فخرالدین علی احمد صاحب بھی رہے ہیں اور معین الدین چودھری صاحب بھی رہے ہیں - وہاں کی کیا حالت ہے؟ میں آپ کے سامنے فگرز دے کر بتلاتا ہوں -

سلیکشن گریڈ	120	مسلمان	I
گریڈ I	392	مسلمان	2
سیکشن آفیسر	1599	مسلمان	11
اسسٹینٹس	4582	مسلمان	19

آپ ذرا غور کیجیئے، کیا سب نالائق ہو گئے؟ میری ایک ہی درخواست ہے، مہربانی کرکے جیسا بار کہا گیا ہے، شیڈیولڈ کاسٹس اور؟؟را

[شری اسحاق سمبھلی]

شیڈیولڈ ٹرائبس کی جتنی جگہ خالی پڑی ہوئی ہیں اُن کو فوراً بھرنا چاہیئے- دیر نہیں کرنی چاہیئے ورنہ وہ لوگ ان ایمپلائیڈ ہوکر کہاں جائینگے ؟ کیا کرینگے ؟ وہ دیش کے لئے سر درد بن سکتے ہیں - وہ سرکار کے لئے سر درد بن سکتے ہیں اس سماج کے لئے سر درد بن سکتے ہیں - جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے میں ایک ہی بات کہونگا - میں کوئی رعایت نہیں چاہتا ، کوئی مدد نہیں چاہتا - صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ ہر جگہ اُن کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن برتا جا رہا ہے ، مہربانی کرکے اُس ڈسکریمنیشن کو ختم کرائیے ورنہ اُن کے اندر یہ احساس بڑھتا جائیگا کہ اُن کو سیکنڈ کلاس سٹیزن مانا جاتا ہے - میں اُمید کرتا ہوں کہ سرکار کا جو وعدہ ہے کہ ہندوستان کے اندر سب کو یکساں حقوق دیئے جائینگے ، یکساں موقع دیئے جائینگے ، اُس کو ختم نہ کیا جائے اور اُن کے ساتھ ہو رہی ڈسکریمنیشن کو ختم کیا جائے -]

श्री दरबारा सिंह (होश्यारपुर) : चेयरमैन साहब, मैं एक दो मिनट के अन्दर ही अपनी बात अर्ज करना चाहता हूं । मैं माइनोरिटी में नहीं हूं और न मैं इस बात में यकीन करता हूं । मैं जिस माइनोरिटी के बारे में अर्ज करने लगा हूं वह यह है कि आपको रेलवे पर बहस करने का मजमून मिला है और रेलवे की मारफत आप अपनी सारी चीजों को सदन में ले आयें—यह बड़ी अच्छी बात है । मैं भी यही कहता हूं कि रेलवे पर इस लिये बहस हुई कि रेलवे में बैठ कर, तेज चल कर हम वहां पहुंच सकें जो सारे महकमें हैं, उन में दाखिल हो सकें । यह ठीक बात है और इस पर बहस होनी चाहिये ।

यह जो हमारा पुराना सिस्टम है, यह उसी की देन है जो अब तक कायम है—इस को तोड़ना होगा । यह कहा गया कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं—ठीक कुछ नहीं हो रहा है, इस को ठीक करना होगा आप मुसलमानों की तरफ देखिये, शेड्यूल्ड कास्ट्स की तरफ देखिये, ट्राइब्स की तरफ देखिये, आज जितनी असामियां खाली हैं, क्या वजह है कि उन को नहीं भरा गया, उन को पुर करना चाहिये था । यह ब्यूरोक्रेसी का कैपिटलिज्म आ गया है इस को तोड़ना होगा । आप समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वे इस को जमूद देने के लिये इकट्ठे हो रहे हैं, इस लिये हमारी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होना चाहिये, इस ब्यूरोक्रेसी को तोड़िये । और कौन करने वाले हैं, भर्ती किस ढंग से होने वाली है । ऐम्प्लायमेंट का यह हाल है कि जब कोई आदमी नाम लिखाने जाता है तो उस से कहते हैं कि एक, दो सप्ताह बाद आना या तीन महीने बाद आना, और उस का नाम दर्ज नहीं करते, और उस वक्त तक दर्ज नहीं करते जब तक वह असामी पुर न हो जाय । इसलिये आप को ऐम्प्लायमेंट सिस्टम के बारे में सोचना होगा कि कैसे इस को शार्पन करें । सेलेक्शन के टाइम वह कहते हैं कि पूरी तौर पर वह क्वालीफ़ाइड नहीं है । कैंडीडेट से पूछा जाता है कि आप कहां से आये हैं, वह बेचारा गांव का लड़का जवाब नहीं दे पाता है, और उस को कहा जाता है कि निकल जाओ । और जो पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ है, जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है उस को ले लेते हैं यह कह कर यह बहुत होशियार है । होशियारी का जो मेयार है वह यह है कि अंग्रेजी जानते हैं कि नहीं । इस को आप को तोड़ना चाहिये । इस की हिस्टारिकल बैकग्राउन्ड है । इस ओल्ड सिस्टम को निकालना चाहिये । सारे मंत्री लोग यहां बैठे हुए हैं, आप इस सारी बहस को एक जगह कर के सभी जगह माइनारिटीज को हर महकमें में नौकरी देने का सवाल मानकर, सब को ले कर एक टोटल पिक्चर हमारे सामने आनी चाहिये और इस पर लम्बी बहस होनी चाहिये । इकानामिक इशूज

हैं जो उन के हक हैं वह उन को मिलने चाहिए। ठीक कहा हमारे साथियों न कि लोगों में सुपीरियारिटी कम्प्लैक्स पैदा किया गया है ।

यह कहा जा रहा है कि मुसलमान की इंटेग्रेटी डाउटफ़ुल है । ऐसा कह कर लोग उन को होस्टाइल बना रहे हैं, और जानबूझकर बना रहे हैं ताकि मौजूदा सरकार उन के लिये जो भी कर रही है उस में रुकावट पड़े और उनका शक ज्यादा बढ़ता जाय । हम समझते हैं भारत का मुसलमान हिन्दुस्तानी है । जैसे हम हिन्दुस्तानी हैं वैसे ही यह भी है । आज पुलिस में और दूसरी जगह उन के लिये कोई गुंजायश नहीं है सभापति जी, आप भी माइनारिटी के हैं, माइनारिटीज को जगह देनी चाहिये । लेकिन यह सिस्टम बहुत देर तक नहीं चलेगा माइनारिटीज में भी आपको सोचना पड़ेगा जो लोग दबाये गये हैं उन सब को उठाकर पहले जगह देनी चाहिये । इस के लिये आप क्या करना चाहते हैं ? इकोनामिक इशूज पर हमको लड़ाई लड़नी है रेलवे मिनिस्ट्री इस इकोनामिक इशू को साथ लेकर आगे बढ़े । इससे बात नहीं चलेगी कि कई को 5, 7 परसेंट स्पेशल रिप्रजेन्टेशन देते रहे । वह भी देते रहे जब तक दे सकते हैं, लेकिन इस मसले को इकोनामिक इशू पर सैटिल करना चाहिए । हमें चाहियें कि हम इकोनामिक इशूज को सामने ले कर चलें । माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने साफ कहा है कि हम इस बात को ले कर आगे चले कि जो लोग आज तक दबाय गये थे, जिनका काफ़िया तंग किया हुआ था उन को आगे बढ़ाना है । अपने ढंग से उन्हें समाजवाद के ढांचे में ढाल कर आगे ले जाना है । मेरी आपसे गुजारिश है कि आप स्पीकर तक इस बात को पहुंचाये और कोई एक दिन तय कर लें इसके लिये ताकि सारे इकोनामिक इशूज जो इस के साथ वावस्तगी हैं उन को डिस्कस कर सकें और खुल कर इस पर बहस हो सके ।

इन अल्फ़ाज के साथ मैं इस का समर्थन करता हूं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सभापति जी, इस विषय पर हम ज्यादा कहना चाहते थे, बड़ा गम्भीर विषय है, लेकिन उतनी आप ने इजाजत नहीं दी । इस को मैं रेकार्ड करना चाहता हूं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरैना) : सभापति जी, जिस विषय पर चर्चा हम कर रहे हैं, उस के बारे में काफ़ी लोगों ने बताया कि प्रशासन में दोष है इसलिये उन का प्रतिनिधित्व नहीं भरा जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 26 सालों मे, जिनकी सरकार है उनके माध्यम से यह कोटा क्यों नहीं भरा गया ? अगर नहीं भरा गया तो इन को शासन करने का हक नहीं है ।

अभी एक पत्र निकला रेलवे बोर्ड का कि जितने भी रेलवे के अन्दर ठेले वाले वैन्डर्स हैं जो चीजें बेचते हैं, उनका ठेका हरिजनों को दिया जायगा । इस पत्र को निकले दो साल हो गये । लेकिन आज तक उसका पालन नहीं किया गया है । कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों की कैसे व्यवस्था की जाय । अल्पसंख्यकों में जो आते हैं, वह सिख, ईसाई, पारसी, मुस्लिम हैं । तो कौनसा तरीका सरकार के पास है जिस के द्वारा उनका चयन किया जायगा, किस प्रकार से उनको सर्विस में अधिक लिया जायगा ? इस का खुलासा होना चाहिये ताकि लोग जान सकें । यदि ऐसी प्रथा सरकार ने रखी कि किसी एक विशेष माइनारिटी को अधिक हिस्सा मिला तो और भी लोग मांग करेंगे । यहां देश में बहुत सी जातियां हैं जो कहेंगी कि हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिये सरकारी नौकरियों में । इसलिये सरकार को ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिस से देश के अन्दर अधिक झगड़े खड़े हों अधिक से अधिक छोटी छोटी जातियां अपना कोटा मांगने के लिये तैयार हों ।

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

यह बात ठीक है कि जितने हरिजन और आदिवासी लोग हैं उनका कोटा जानबूझ कर नहीं भरा गया, लोग जानबूझ कर नहीं लेना चाहते । तो आप अपनी मसखरी को ठीक कीजिये । आज हालत यह है कि किसी जाति का कैंडिडेट हो, 500 रु० दो, उस को नौकरी मिल जायगी । मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं । इसलिये जो ऐसी पद्धति है इसको समाप्त कर के लोगों को न्याय मिले ऐसी व्यवस्था कीजिये ।

रेल मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : सभापति जी, जो बहस हुई इस को मैं लाभप्रद मानता हूं ।

श्री राम कंवर (टोंक) : सभापति जी, मुझे दो मिनट का समय दे दीजिये ।

सभापति महोदय : आप की पार्टी के नेता ने तिगुना समय ले लिया । यह बहुत अनुचित बात है । मैंने अब रेल मंत्री को बुला लिया है ।

श्री राम कंवर : सभापति जी, अगर मैं दो मिनट नहीं बोलूंगा तो मेरे साथ अन्याय होगा । मैं अल्पसंख्यक क्षेत्र से आता हूं ।

सभापति महोदय : नहीं हो पायगा । आप बैठ जाइये ।

श्री एल० एन० मिश्र : सभापति जी, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने बहस में हिस्सा लिया । माननीय दरबारा सिंह ने ठीक कहा, शुरू में कहा गया कि रेलवे में जो माइनारिटीज को उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है उस के बारे में बात होगी । लेकिन बात हुई कि अल्पसंख्यकों के प्रति, हरिजनों के प्रति, आदिवासियों के प्रति सरकार की क्या नीति है । बड़ा व्यापक बहस को बना दिया गया । लेकिन व्यापकता के साथ मैं जवाब नहीं दे सकूंगा । मैं अपने को अपने मंत्रालय तक ही सीमित रखूंगा प्रारम्भ में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं । मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं । लेकिन हम पर यह आरोप लगाया गया है कि हम लोग इससे राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, चुनाव में फल उठाना चाहते हैं । मैं साफ कहना चाहता हूं कि मेरे दिमाग में यह चीज क़तई नहीं है और हमारी इच्छा न थी और न है कि इसका कोई राजनीतिक फायदा उठाएं या चुनाव में इसका प्रयोग करें ।

श्री हुकमचन्द कछवाय : आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पर आपकी नजर है । आपने 24 तारीख को प्रश्नोत्तर काल में स्वीकार किया था कि हमारी भी निगाह उत्तर प्रदेश के चुनावों पर है ।

श्री एल० एन० मिश्र : आप प्रोसीडिंग्ज को देख लें । मैंने कहा था कि आपकी आंख उत्तर प्रदेश की ओर है और हमारी भी है लेकिन अभी नहीं है । राजनीतिक दृष्टि से हमने चेयरमैनों का सम्मेलन बुलाया जिसमें श्रीगणेश हुआ है बहस का, ऐसी बात कतई नहीं है। उत्तर प्रदेश में या उड़ीसा में क्या होने वाला है इसकी ओर हमारी निगाह नहीं है । यह मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं । मुझे पांच महीनों में जो अनुभव हुआ है उससे मुझे ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यकों के लिए और कुछ करना चाहिए । लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है । उनके लिए बहुत कुछ हुआ है और उनके लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है । जो बाकी है, जो अधूरा है, उसको पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाने की हमारी इच्छा है । मुझे जब तक सेवा करने का मौका मिलेगा मेरा यह प्रयास रहेगा कि उसको पूरा करें या उस दिशा में चलें । अभी तक इस मंत्रालय में पांच छः मिनिस्टर आए हैं और सभी ने प्रयास किया है। आज जो हम देख रहे हैं यह उन्हीं लोगों के प्रयास और परिश्रम का फल है कि अल्प-

संख्यकों को और आदिवासी भाइयों को जगहें मिली हैं और मेरा विश्वास है कि उनका जो उचित स्थान है वह उनको मिल कर रहेगा । उसको कोई रोक नहीं सकता है फिर चाहे कोई भी दल हो जहां तक मेरे दल का या हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी का सवाल है हम लोगों ने दृढ़ संकल्प कर रखा है कि इनको इनके अधिकार प्राप्त होने चाहिये और उसी दशा में कदम बढ़ाने के लिए हमने मीटिंग बुलाई थी । प्रेजुडिस किसी के खिलाफ नहीं है और न पोलिटिकल लाभ उठाने की बात है ।

मैं रेलवे मंत्रालय की ओर आता हू । संविधान की दो धारायें है जो आधार शिला हैं । एक तो फंडामैंटल राइटस की 16(4) है । इसको मैं पढ़ देना चाहता हूं

> "Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately epresented in the services under the State."

दूसरा आर्टिकल 335 है । इसको भी मैं कोट करता हूं इस वास्ते कि इसको आगे रख कर हम आगें बढ़ रहे हैं :

> "The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State."

ये जो दो धारायें हैं संविधान में गृह मंत्रालय की ओर से सभी मंत्रालयों को भेजी गई हैं और सभी मंत्रालयों का यह कर्त्तव्य है कि वे इसको कार्यान्वित करें । मैं रेल मंत्रालय की ओर से कहना चाहता हूं कि मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि इस ओर हम बढ़ सकें ।

मैंने अभी कहा है कि बहुत से काम किए गए हैं जिससे हमारे शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के जो लोग हैं वे नौकरी में आ सके हैं । उनको कुछ विशेष सुविधायें प्राप्त हुई हैं । मैं सात आठ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं जो की गई हैं । अन्य लोगों को वह सुविधा उपलब्ध नहीं है । पहली तो आयु की बात है । उसको तीस बरस कर देने की बात हुई है । इंटरव्यू के लिए जाने आने का खर्चा उनको दिया जाता है जो अन्य लोगों को नहीं देते हैं ।

श्री शम्भू नाथ : वह तो पहले से है ।

श्री एल एन मिश्र : वही मैं कह रहा हूं । मैं अपने भाषण को तीन हिस्सों में बांटना चाहता हूं । पहला तो राजनीति वाला मैंने आपके सामने रखा है । दूसरा यह है कि जो मेरे पेडीसैसर थे और जो आरोप लगाया जाता है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उसके बारे में मेरा धर्म है कि उन्होंने जो कुछ किया है उसका उल्लेख कर दूं कि क्या किया है और उसको रिकार्ड पर मैं लाना चाहता हूं और तीसरा हिस्सा होगा कि चार पांच नए कदम जो मैं उठाना चाहता हूं ।

The Railway Service Commissions have been given discretion to recommend Scheduled Castes and Scheduled Tribes who may obtain low place in the examination.

Where recruitment is made otherwise then by examination, the appointing authority has discretion to select candidates from the SCST.

The General Managers have been vested with special powers to recruit SCST without reference to the Railway Service Commission to make up the shortfall.

The General Managers have been asked to appoint under the personal powers vested with them medically unfit candidates belonging to the SCST.

SHRI BHOGENDRA JHA: The General Managers have got powers, but no responsibility.

श्री एम० एन० मिश्र ऐसी बात नहीं है । 1971–72 में 68 शेडयूल्ड कास्ट्स और 16 शेडयल्ड ट्राइबज के क्लास 3 में और 31 शेडयूल्ड कास्ट और 7 शेडयूल्ड ट्राईबज के क्लास 4 में लोग जनरल मैनेजर्ज की स्पेशल पावर्ज के अधीन भरती किए गए थे ।

For recruitment and training of apprentices/trainees, SC/ST candidates are given a repeat course with stipend and another without stipend. दूसरों को स्टाइपेंड नहीं मिलता, उनको देते हैं ।

The unfilled quota is carried forward to three subsequent years and the year in which recruitment does not take place is not taken into account for the purpose.

यह सब कुछ किया गया है । लेकिन जितने अच्छे रिजल्ट हम चाहते थे प्राप्त नहीं हुए । यह भी कहना ठीक नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है । हमको आगे बढ़ना है । चार पांच बातें हम करना चाहते हैं । मैंने यह भी किया है

Candidates belonging to SC|ST are appointed in any other divisions where vacancies are available for them and their appointment is not confined to the two divisions for which they have given preference.

The Railway Service Commissions have been asked to take special steps to fill the quota reserved for SC|ST.

A psychological test has been introduced in the recruitment of assistant station masters, apprentice firemen and assistant drivers. कुछ सदस्यों ने चर्चा की थी इसको दूसरे ढंग से चालू किया गया है। अब मैं उन चार पांच कदमों की तरफ़ इशारा करना चाहता हूं, जिन से मुझे उम्मीद है कि ज्यादा लोग लिये जाने में सहायता मिलेगी । उन में से पहला कदम यह है :

Appointment of a Senior Personnel Officer on each Zonal Railway and strengthen the Cell in the Railway Board with an Additional Director and two Advisers, one each from the Scheduled Caste and Scheduled Tribe.

हमारा दूसरा मेजर यह है :

Prescription of reservation quota for promotion from Class III to Class II.

अभी तक क्लास थी से क्लास टू में प्रोमोशन के लिए कोई कोटा नहीं था । अब मैं वह कोटा रखने जा रहा हूं ।

मेरे कान में बात पहुंची है कि शिडयूल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के लोग वाइवा वोसी में सफल नहीं होते हैं । मैं उस को समाप्त कर रहा हूं । हमारा वह कदम यह है

Replacement of the oral test (viva voce) by personal interview in the direct recruitment grade for all those who pass the written test, ranking being according to marks.

I also intend to have reservation quotas for all non-selection promotional grades in Class III with the consent of the Department of Personnel.

श्री वाजपेयी और अन्य माननीय सदस्यों ने एकेडेमिक डिग्री की बात उठाई है । इस सम्बन्ध में हम यह कदम उठाने जा रहे हैं :

Further, for promotion from Class III to Class I, academic degree will not be the deciding factor.

मैं रेलवे बोर्ड में एक सेल खोलने जा रहा हूं, जिस का काम यह होगा कि इन निर्णयों और मेरे प्रेडेसर्ज द्वारा लिये पुराने निर्णयों को किस तरह कार्यान्वित किया जा

ह्या है, वह उस पर नजर रखे । हम इस सम्बन्ध में हर 6 महीने के बाद संसद के सामने रिपोर्ट पेश कर दिया करेंगे ।

माननीय सदस्य, श्री मौर्य, ने शिड्यूल्ड कास्टस कमिशन की इस रिकमेंडशन का जिक्र किया है कि क्लास टू में प्रोमोशन के लिए जोन आफ़ कानसिडरेशन को वैकेन्सीज की संख्या से 6 गुना फ़िक्स किया जाये और इस को डिपार्टमेंटल प्रोमोशन्ज कमेटी पर न छोड़ दिया जाये । हमने इस बात को मान लिया है और इस को कार्यान्वित करेंगे

श्री बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया है । हम ने इस बारे में एक्शन लिया है ।

The Supreme Court had ruled that the reservation permitted under article 16(4) of the Constitution should not be carried to a stage where the majority of vacancies are reserved. Government considered this and in line with the court's ruling, the Department of Personnel issued orders that the carry forward of reserved vacancies from year to year should not result in more than 45 per cent of the vacancies in any one year being reserved. This is being followed by the Railways.

मैंने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की बात कही है । अब मैं थोड़ी सी माइनारिटीज की चर्चा करना चाहता हूं । इस बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं । अपने लायक साथी, श्री माइनुल हक चौधरी, की बातों को सुन कर मुझे तकलीफ़ भी हुई है । मेरा उन के साथ मुहब्बत का रिश्ता है । लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने आज जो चर्चा की है उस से उन्होंने अल्पसंख्यकों की कोई सेवा नहीं की है । हम लोगों को यह देखना चाहिये कि किसी बात से देश में, और देश के बाहर, क्या प्रतिक्रिया होगी । मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर वह इस बारे में हम को बुला कर बात करते, तो ज्यादा अच्छा होता । पार्लियामेंट का फ़ोरम दुनिया के सामने एक खुला फ़ोरम है । लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि उन्होंने जो बातें कही हैं, वे सब सही हैं ।

यह कहना कि मुझे, या हमारी सरकार को, अल्पसंख्यकों पर अविश्वास है, हमारे प्रति बड़ी अन्यायपूर्ण बात है । पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 की लड़ाइयों में यहां के मुसलमानों ने---न केवल फ़ौजों में, बल्कि अन्य सर्विसिज में भी - देश के प्रति अपनी वफ़ादारी का सुबूत दिया । अगर हमारे देश के नौ, दस करोड़ मुसलमान हमारे साथ न हों, तो यहां कोई काम चलना मुश्किल हो जाये । इस लिए हम यह बात सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि हम अपने ही लोगों पर अविश्वास करें । हम मुसलमानों की वफ़ादारी पर शक नहीं करते हैं । वे अपने मजहब के अनुसार मुसलमान हैं, जैसे कि मैं हिन्दू और ब्राह्मण हूं । मुझे इसका अभिमान है और मैं इसका पूरा कम्प्रोमाइस नहीं कर सकता हूं । उन का धर्म उनका अपना जाति मामला है, लेकिन इस को राजनीति में ले आना राष्ट्र की सेवा की बात है नहीं होगी ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य ने कहा है कि एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिस के अनुसार मुसलमानों को नौकरी देने से पहले उन की खास जांच होती है । मैं इस का खंडन करता हूं । ऐसा कोई सर्कुलर नहीं जारी किया गया है । नौकरी देने से पहले उम्मीदवारों के बारे में पुलिस की रिपोर्ट मंगाई जाती है । लेकिन उस में केवल धर्म की बात नहीं है । विचारधारा आदि अन्य कई बातों की जांच की जाती है । माननीय सदस्य को इस का पता होना चाहिए, क्योंकि उन की पार्टी भी प्रशासन चला चुकी है ।

[श्री एल० एन० मिश्र]

जहां तक भर्ती का सवाल है, मैं देखूंगा कि माइनारिटीज को श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार पर भरोसा हो। ऐसी कोई बात नहीं होगी, जो उन के लायक न हो। न उनको समाज और प्रशासन में उचित स्थान मिलेगा, फेयर डील मिलेगा

MR. CHAIRMAN: The discussion is over. The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

19.38 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 1, 1973 Sravana 10, 1895 (Saka)

MGIPND—1—1206 LS—23-10-73—1010.